खण्ड-134, अंक-4
गुरूवार, 2 वैशाख, शक संवत् 1876
(22 अप्रैल, 1954 ई0)

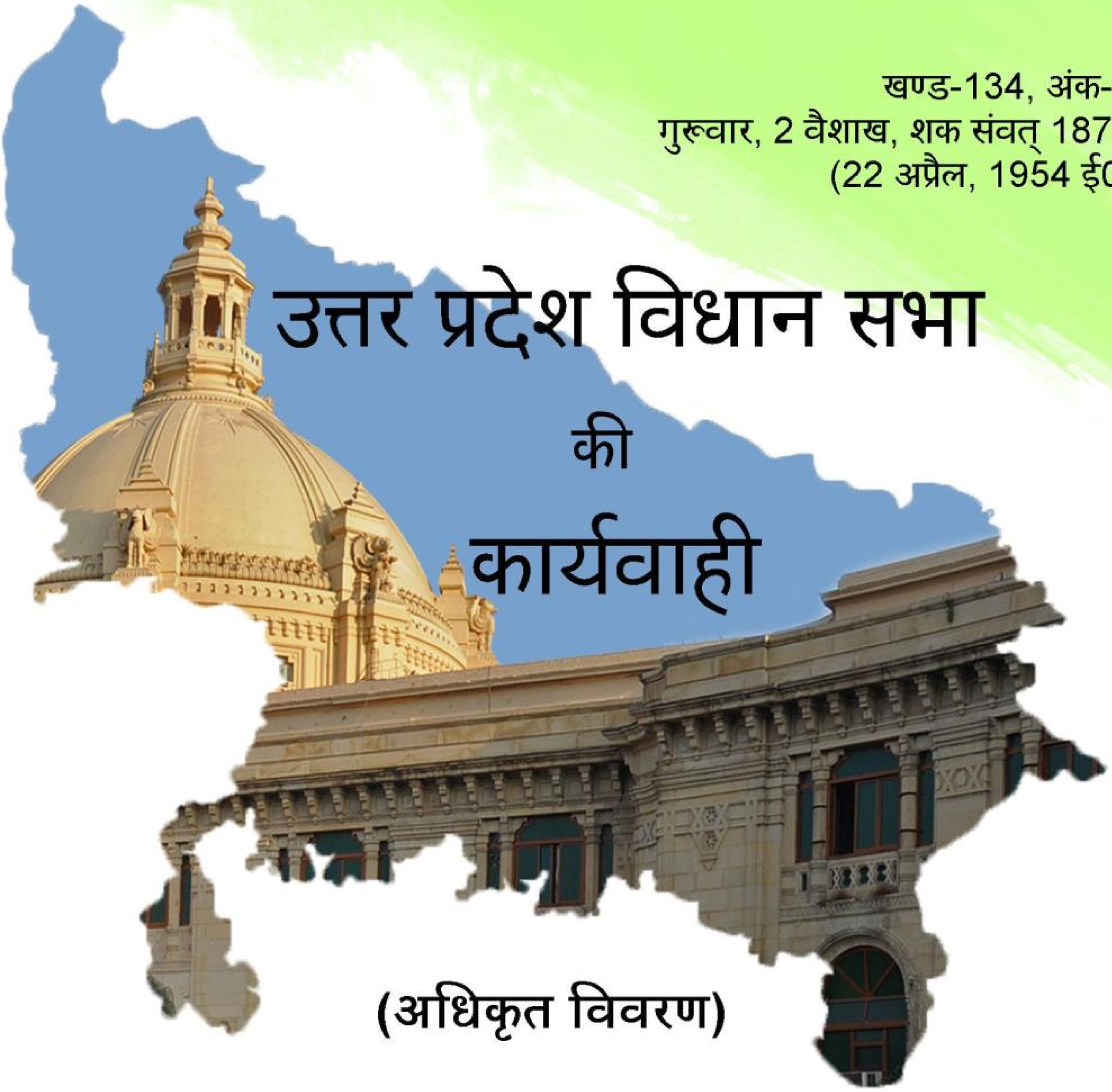

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 134 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर बैठा ी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह, विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह, राणा श्री
फूलसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नोलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राज राम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती

संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

करघा व्यवसाय को भारत सरकार से सहायता

**१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि करघा व्यवसाय को संकट से बचाने के लिये भारत सरकार ने कोई सहायता दी है ? यदि हां, तो क्या ? और उस रकम को किस प्रकार राज्य सरकार ने व्यय करने की योजना बनाई है ?

उद्योग मंत्री के सभा-सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—२०,२९,७८३ रुपया ग्रान्ट तथा १७,७१,८२५ रुपया ऋण के रूप में मिला। सरकार ने इस रुपये को खर्च करने की एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित मदों पर रुपया खर्च हो रहा है तथा आगे भी होगा :—

ग्रान्ट—

१—हैन्डलूम कपड़े की बिक्री पर रिबेट।
२—मोबायल वान्स।
३—सेल्स डिपो।
४—अन्तर्राज्यीय डिपो।
५—प्रचार तथा नुमायशें।
६—इम्प्रूव्ड एपलाइसेंस।
७—छोटे रंगाई गृह।
८—प्रतियोगिताओं में इनाम।
९—संघटन करने वाला स्टाफ।
१०—क्वालिटी मार्किंग योजना।
११—मार्केटिंग संघटन।
१२—मध्य आकार के रंगाई गृह।
१३—फिनिशिंग फैक्टरी, मऊ।

ऋण--

१--शेयर कैपिटल।
२--वर्किंग कैपिटल।
३--क्वालिटी मार्किंग योजना।
४--रेडीमेड वार्प्स की सप्लाई।
५--टैक्निकल स्टाफ।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री को इसकी जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने यू० पी० को जितनी रकम दी है उससे ज्यादा रकम इस व्यवसाय को बचाने के लिये दूसरे सूबों को दी है?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--कुछ सूबों को ज्यादा रकम मिली है।

श्री गेंदासिंह--क्या यू० पी० सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन अधिक ग्रांट मिलने के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)--जी हां, इस बात की काफी कोशिश की गयी। केन्द्रीय सरकार ने यह कहा कि उन्होंने दो बातों के आधार पर यह बटवारा किया है। एक तो यह कि करघे की तादाद किस सूबे में कितनी है और फिर जिस जमाने में कि कंट्रोल सूत के ऊपर था उस जमाने में जिस सूबे को जितना सूत दिया गया उस बुनियाद पर उन्होंने यह कहा कि तुम्हारा हिस्सा इतना ही आता है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सूबे में कितने लोगों की रोजी करघे के व्यवसाय से चलती है?

श्री हुकुमसिंह--ऐसे लोगों की तादाद लाखों में है।

श्री गेंदासिंह--सारे देश की संख्या जानने के बाद क्या यू० पी० की सरकार केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिये प्रार्थना करेगी कि यहां को ग्रांट बढ़ायी जाय?

श्री हुकुमसिंह--इस बात के लिये तो हम हमेशा उद्योग करते रहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा ग्रांट मिले।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने करघे चलते हैं जिनके अनुसार केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है?

श्री हुकुमसिंह--२ लाख के ऊपर तखमीना माना गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस केन्द्रीय सरकार की सहायता का रुपया देने के लिये सर्वोच्च अधिकारी कौन है? यानी इसको वितरण करने के लिये कौन है?

श्री हुकुमसिंह--उस स्कीम की रू से डाइरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज हैं।

श्री गेंदासिंह--जिन मदों में सरकार ने रुपया देने के लिए निश्चय किया है वह किन किन मदों पर कितना खर्च किया जायगा?

श्री हुकुमसिंह--हर मद पर रुपये की तादाद मुकर्रर नहीं है, जरूरत के मुताबिक खर्च किया जायगा।

उत्तर प्रदेश के कई पुलिस डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलों तथा सुपरिन्टेन्डेन्टों के त्याग-पत्र

**२—श्री गेंदासिंह—क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के अधिकांश डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरल तथा कई सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस ने त्यागपत्र अथवा छुट्टी के आवेदन-पत्र दिये हैं? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने और किस कारण से?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी नहीं। अभी हाल में, यानी मार्च के आखिरी दिनों में प्रदेश के केवल २ डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ने छुट्टी के आवेदन-पत्र दिये जो सरकार ने मंजूर कर लिये। इन दोनों आवेदन-पत्रों के बहुत पहले एक तीसरे डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ने देश के बाहर जाने के लिये लम्बी छुट्टी का आवेदन-पत्र दिया था और उसको स्वीकृति सरकार दे चुकी थी। इन तीन अफसरों के अतिरिक्त प्रदेश के २ डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल बहुत दिनों से छुट्टी पर हैं। उनमें से एक जो प्रदेश के बाहर इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस के पद पर कार्य कर रहे थे १४ जनवरी सन् १९५४ से ४ महीने की छुट्टी पर हैं, और दूसरे सज्जन १ फरवरी, १९५४ से ८ महीने की छुट्टी पर हैं। सरकार को किसी डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल या सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस का त्यागपत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

ऐसी दशा में प्रश्न का द्वितीय भाग उठता ही नहीं।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन इन्सपेक्टर जनरलों ने छुट्टी ली है उनके छुट्टी लेने से इन्सपेक्टर जनरल पुलिस की नियुक्ति से भी कोई सम्बन्ध है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—किसी ने अपनी छुट्टी के आवेदन-पत्र में नहीं लिखा कि इसका उससे सम्बन्ध है।

श्री गेंदासिंह—इस प्रदेश में डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल कितने हैं और वह कौन-कौन हैं और कितने लोगों ने छुट्टी ली है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—छुट्टी ली है एन० सी० मिश्रा ने, श्री सिराजउद्दीन ने, जेटली साहब ने और पहले से छुट्टी पर थे श्री बदनसिंह और श्री सरदारसिंह।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब से श्री टी० पी० भल्ला को १० जनवरी तक एक्सटेन्शन दिया गया था तो बीच में ही उन्होंने यह सेवा क्यों छोड़ दी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—बग़ैर पी० एस० सी० की रजामन्दी के जोकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है, इस तरह की नियुक्ति करने का पूरा अधिकार इस सरकार को नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन २ डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलों ने छुट्टी ली, वह किस आधार पर ली, मेडिकल आधार पर या किसी और आधार पर?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—श्री जेटली ने लिखा है कि मेरे मां-बाप और बच्चे बीमार हैं इसलिये मैं छुट्टी चाहता हूं और श्री मिश्रा ने भी एक महीने की छुट्टी ली है, शायद उनको भी ऐसी ही जरूरत है या वह आराम करके अपने को आगे के लिए ज्यादा तैयार करना चाहते हैं।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इनमें से किसी डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ने प्रिप्रेटरी टु रिटायरमेंट लीव भी ली है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---मुझे जहां तक मालूम है इस तरह की दरख्वास्त कोई नहीं है मगर मैं आपसे अपने खयाल की बात कह रहा हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की दिलचस्पी इससे क्यों ज्यादा होती जा रही है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गेंदासिंह---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि एक ही बार में इतने डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलों के छुट्टी लेने से शासन की कठिनाई बहुत बढ़ गई है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---यानी वह बड़ा माकूल काम करने वाले थे, मगर जो अब काम कर रहे हैं वह उनसे कम नहीं हैं।

तारांकित प्रश्न

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले में कार्य

*१---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन कार्य लिया जायगा और उसमें कितना धन व्यय होगा?

श्री फूलसिंह---पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला जौनपुर में जो कार्य किये जायंगे उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी है। उन परियोजनाओं के अन्तर्गत जिले की आवश्यकतानुसार कार्य हो रहा है और आगामी वर्षों में भी होता रहेगा। अभी से यह बताना मुमकिन नहीं है कि कितना काम हो सकेगा और उस पर कितना व्यय होगा। सरकार जिलेवार पुस्तक तैयार कर रही है जिसमें योजनाओं का विस्तृत विवरण होगा चाहे वे पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हैं या उसके बाहर हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३१ पर।)

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर में होने वाले पंचवर्षीय योजना के कार्यों के अन्तर्गत श्रमदान कार्य भी शामिल है?

श्री फूलसिंह---श्रमदान का कार्य पंचवर्षीय योजना में नहीं है।

उत्तर प्रदेश में आदर्श ग्राम

*२---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने आदर्श ग्राम बनाये गये हैं?

श्री फूलसिंह---आदर्श ग्राम बनाने की कोई भी योजना इस समय नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री आदर्श ग्राम बनाने की योजना पर विचार करने को तैयार हैं?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि पंचवर्षीय जैसी महत्वपूर्ण योजना में आदर्श ग्राम बनाने की योजना रखने में सरकार को अबतक क्या कठिनाई रही है?

श्री फूलसिंह--पहले यह निश्चय करना होगा कि आदर्श ग्राम में क्या क्या होना चाहिये, उनको क्या क्या आवश्यकतायें हैं ?

श्रीराम चन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भविष्य में आदर्श ग्राम बनाने की योजना वह कबतक तैयार कर रही है ?

श्री फूलसिंह--इसमें अभी समय लगेगा।

*३-५--**श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी** (जिला लखनऊ)-- [वापस लिये गये।]

*६-८--**श्री धर्मसिंह** (जिला बुलन्दशहर)-- [११ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

श्रमदान सप्ताह में किये गये निर्माण-कार्यों को स्थायी बनान की योजना

*९--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे श्रमदान सप्ताह में निर्माण किये गये नहर, बांध, सड़कों पर पुलियां आदि को स्थायी बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री फूलसिंह--जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि सन् १९५३-५४ में इस योजना की पूर्ति के लिये कितना रुपया व्यय किया गया था ?

श्री फूलसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ के वितीय वर्ष में इस मद में कितना रुपया खर्च किया जाने वाला है ?

श्री फूलसिंह-- इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस योजना को स्थायी बनाने के लिये प्लानिंग डिपार्टमेंट के मातहत काम होता है या पी० डब्ल्यू० डी० के ?

श्री फूलसिंह--यह तो काम पर मुनहसिर होता है। शुरू में काम तो प्लानिंग डिपार्टमेंट ही कर देगा और बाद का काम चाहे जो करे।

*१०-११--**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)--[२९ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२-१४--**श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी**--[२९ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१६--**श्री मदनगोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)--[२० मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७--**श्री मन्नीलाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर)--[२० मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८-१९--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--[३० अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २८-२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

साबुन बनाने के उद्योग धन्धे को सहायता

*२०--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साबुन बनाने के उद्योग धंधे के लिये किन किन जिलों में कितना कितना रुपया दिया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें साबुन, तेल तथा फीनाइल का कार्य एक साथ करने के लिये ऋण तथा अनुदान दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३२-३३३ पर।)

*२१--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसका निरीक्षण किन किन व्यक्तियों द्वारा कराया जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--निरीक्षण के लिये सरकार के पास प्रादेशिक निरीक्षक कर्मचारी हैं जैसे कि ऋण तथा अनुदान निरीक्षक, ग्राम उद्योग अधीक्षक, औद्योगिक निरीक्षक, खंडीय (Divisional) उद्योग अधीक्षक इत्यादि।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रुपया प्रत्येक जिलों में ऋण के रूप में दिया गया है वह कितने दिनों में वापस किया जायगा और उस पर किस दर से सूद लिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह--कर्जा वापस लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--वह सूद के लिये भी पूछ रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह--इंटेरेस्ट भी लिया जायगा।

श्री बाबूनन्दन--मैंने पूछा किस दर से मिलेगा ?

श्री हुकुमसिंह--साढ़े चार रुपया फीसदी के हिसाब से।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रुपया ऋण तथा अनुदान के रूप में दिया गया है वह उद्योग धंधा शुरू करने के बाद दिया गया है या पहले ?

श्री हुकुमसिंह--किसी में पहले दिया गया और किसी में बाद में दिया गया।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कितना पहले दिया गया था और कितना बाद में ?

श्री हुकुमसिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि शासन की ओर से जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई है उनके कार्य के संबंध में क्या मासिक या त्रिमासिक रूप से कोई रिपोर्ट सरकार को मिलती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मासिक या त्रिमासिक रिपोर्ट नहीं मंगाई जाती है। सिर्फ यह देख लिया जाता है कि उन्हें जो रुपया दिया गया वह ठीक इस्तेमाल हुआ या नहीं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या साबुन बनाने के उद्योग के कार्य को हायर सेकेंड्री स्कूलों में भी शुरू करने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--हायर सेकेंड्री स्कूल्स का कोर्स इन्टरमीडियेट बोर्ड मुकर्रर करता है इसलिये अगर बोर्ड रक्खे तो हो सकता है। मगर जहां तक मैं जानता हूं अभी कहीं भी साबुन बनाना नहीं सिखलाया जाता है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि निरीक्षकों ने क्या इसका भी निरीक्षण किया है कि प्रतिदिन कितना माल तैयार किया जाता है और कितने की खपत होती है?

श्री हुकुमसिंह--इस वक्त इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

नौगांव गांव सभा (अल्मोड़ा) के सिविल वन के चीड़ के वृक्षों की बिक्री

*२२--**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नौगांव सभा (अल्मोड़ा) के सिविल जंगल के चीड़ के पेड़ कुछ समय पूर्व बेच डाले गये? यदि हां, तो कब, कितने रुपयों में और किसकी आज्ञा से?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--नौगांव (अल्मोड़ा) के सिविल वन के चीड़ के वृक्षों की बिक्री १९ जुलाई, १९५० ई० को ६९,१०० रुपये में जिलाधीश अल्मोड़ा की आज्ञा से की गई थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सिविल जंगलों के पेड़ों को बेचने के संबंध में जो नियम बने हुये हैं अभी हाल में उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--काटने और बेचने के बारे में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन उस रुपये को कैसे खर्च किया जाय इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है क्या माननीय मंत्री उसे बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--पहले वह रुपया अगर उस साल खर्च नहीं होता था तो लैप्स हो जाता था। लेकिन अब वह गांव सभा के पर्सनल एकाउन्ट में चला जाता है।

मेरठ जिले की चीनी मिलों पर किसानों का शेष रुपया

*२३--**श्री हरिसिंह** (जिला मेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में कौन कौन सी शुगर मिल्स ऐसी हैं जिन पर किसानों का रुपया शेष है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मेरठ जिले की सभी चीनी मिलों पर किसानों का कुछ न कुछ रुपया शेष है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तमाम जिलों में कितना रुपया शेष है और जो शेष है उस पर क्या सरकार साढ़े सात फीसदी के हिसाब से सूद दिलवाने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह--जो इस मौजूदा सेशन का है उस पर तो सूद देने को मुस्तैजिब होंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--रुपया कितना शेष है यह भी मेरा प्रश्न था?

श्री हुकुमसिंह--३४ लाख ७ सौ ३४।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन उपायों के बकाया रहने का कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह---रुपये का अभाव।

श्री हरिसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में मुहीउद्दीनपुर मिल पर काश्तकारों का कितना रुपया अभी तक शेष है ?

श्री हुकुमसिंह---३ लाख ५७ हजार।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलावेंगे कि इस रुपये की अदायगी के लिये उन्होंने कोई प्रयत्न किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह---कुछ मिलों के खिलाफ नये कानून की रू से केन कमिश्नर ने सर्टिफिकेट ईश्यू कर दिया है और वह रुपया लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल होगा। कुछ मिलों के खिलाफ यूनियन्स ने आर्बिट्रेशन के लिये मामला दे दिया है। मुहीउद्दीनपुर मिल में दोनों फरीकैन में इस सिलसिले में सुलह हो गयी है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह रुपये का अभाव कब तक दूर हो जाने की उनको संभावना है ?

श्री हुकुमसिंह---जल्द।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुहीउद्दीनपुर मिल कितने दिनों से सरकार के प्रबन्ध में आ चुका है ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री हरिसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो मुहीउद्दीनपुर मिल पर काश्तकारों का रुपया है वह किस तिथि तक अदा हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह---उस सुलहनामे की नक़ल हमारे पास है नहीं, जो फरीक़ैन ने किया है। उसको देखने से पता चलेगा कि किस तिथि तक रुपया अदा हो जायगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि इन मिल मालिकों ने किसानों का रुपया न देकर अपनी दूसरी मिलें खोल ली हैं ?

श्री हुकुमसिंह---मुमकिन है कि ऐसा किया हो लेकिन मेरे पास कोई सूचना इसकी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या यह सत्य है कि मेरठ जिले की कुछ मिलों पर किसानों की गन्ने की क़ीमत गत वर्ष की अभी तक शेष है ?

श्री हुकुमसिंह---गत वर्ष की कुछ है और कुछ इधर की है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष का कितने किसानों का रुपया शेष है और क्या उस रुपये पर भी वह साढ़े सात प्रतिशत का सूद देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह---तादाद इस वक्त बताना असंभव है लेकिन उस रुपये पर भी सूद चलेगा।

श्री हरिसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से मुहीउद्दीनपुर मिल सरकार के अधिकार में आयी है तब से सरकार ने भी उन मिलमालिकों की तरह काश्तकारों का रुपया रोकना आरम्भ कर दिया है ?

श्री हुकुमसिंह--मौजूदा सीजन का रुपया उसके जिम्मे बहुत कम है। पिछले साल का ज्यादा रुपया बाकी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शूगर डिस्पैचेज की कोई कठिनाई है जिस ही वजह से रुपये का अभाव है या और कोई कारण है ?

श्री हुकुमसिंह--क्या मुख्य कारण है यह कहना मेरे लिये बड़ा मुश्किल है।

झांसी जिले में बुनकरों को सहायता

*२४--श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिला में बुनकरों को कितना रुपया और किस भांति सन् १९५४-५५ में दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह--रुपया आवश्यकतानुसार दिया जायगा।

*२५--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसकी स्वीकृति से यह रुपया दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह--यह रुपया प्रदेश के गृह उद्योगों के संचालक की स्वीकृति से दिया जायगा।

*२६-२७--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--[हटा दिये गये।]

विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में जिलाधीशों को आदेश

*२८--श्री किशनस्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि सरकार ने जिलाधीशों को अपने अपने जिले में किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करने के कोई आदेश दिये हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो ऐसे आदेश भेजे नहीं गये हैं और आशा यह की जाती है कि सभी को यथोचित सम्मान दिया जाय। कुछ आदेश सरकार ने भेजे हैं जिनमें जिलाधीशों से कहा गया है कि औपचारिक (ceremonial) अवसरों पर अपने अपने जिले के प्रमुख सरकारी और गैरसरकारी सज्जनों को आमंत्रित करें।

*२९--श्री किशनस्वरूप भटनागर--क्या सरकार बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में ऐसे कौन व्यक्ति हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई आदेश सरकार ने नहीं भेजे हैं। लिहाजा यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गैरसरकारी व्यक्तियों को जिलाधीश को आज्ञा दी गई कि वे औपचारिक अवसरों पर आमंत्रित करें तो कौन कौन स्टेट्स के गैरसरकारी व्यक्ति माने गये हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--स्थानीय एम० पी०, एम० एल० सी०, एम० एल० ए०, लोकल बाडीज के अध्यक्ष और कार्यकर्त्ता, बार एसोसियेशन के अध्यक्ष, ऐसे सज्जन जिन्होंने प्रदेश की विशेष सेवा की हो जिनमें वे लोग भी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में यातनायें भुगती हों, ऐसे सज्जन जिन्होंने आम सहूलियत और जनहित के लिये प्रमुख इमारतें बनवाई हों,

ऐसे सज्जन जो विद्वता, वैज्ञानिक अन्वेषण या प्रोफेशनल अटेनमेंट के कारण विख्यात हों, भूतपूर्व मिनिस्टर्स, स्पीकर्स, चेयरमैन और कौंसिलर्स इत्यादि, भूतपूर्व हाई कोर्ट जजेज या भूतपूर्व विशेष पदाधिकारी, व्यवसायी और मजदूरों के प्रनितिधि, प्रमुख प्रोफ़ेसर्स, अध्यापकगण, शिक्षक आदि, भूतपूर्व सैनिक और कोई भी विशेष सज्जन।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने जिलाधीशों को ऐसे आदेश भेजे थे कि जब कोई नया जिलाधीश किसी जिले में जाय तो वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से मिले ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सत्य है कि स्वतंत्रता संग्राम में यातनायें पाने वालों की सूचना जिलाधीशों के पास नहीं है और ऐसे प्रमुख अवसरों पर उन लोगों को निमंत्रित नहीं किया जाता ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--आमतौर पर तो वे लोग काफी मशहूर होते हैं और उनको जानते ही हैं। जहां कहीं किसी के बारे में इल्म न हो तो उनको बतलाया जा सकता है, सूचना दी जा सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया संकेत करेंगे कि वे कौन से ऐसे औपचारिक अवसर हैं जिन पर जिलाधीश सरकारी या गैरसरकारी व्यक्तियों को बुलाते हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जैसे इंडिपेंडेंस-डे की ऐनीवर्सरी होती है या रिपब्लिक-डे है या कोई और ऐसा ही खास सेरीमोनियल आकेजन हो वह हो सकता है।

*३०-३१--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--[७ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७३-७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जौनपुर जिले में मछलीशहर-कुन्दहारोड पर श्रमदान कार्य

*३२--**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मछलीशहर-कुन्दहारोड पर पिछले श्रमदान में कितना कार्य हुआ ?

श्री फूलसिंह--लगभग ३,०७,५१० घनफीट मिट्टी का कार्य किया गया।

*३३--**श्री नागेश्वर द्विवेदी**--क्या सरकार इस मार्ग के लिये आवश्यक पुल पुलियों को निर्माण कराने और ह्यूम पाइपों के प्रबन्ध का विचार रखती है ?

श्री फूलसिंह--जी हां।

*३४--**श्री नागेश्वर द्विवेदी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मार्ग पर कितनी पुलियां और कितने ह्यूम पाइप की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री फूलसिंह--इस सड़क पर ६ पुलियां बनेंगी, जिसमें से एक पुल सुजानगंज गांव के पास बनेगा। इंजीनियरिंग स्टाफ इसका निरीक्षण कर रहा है इस लिये अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कितने ह्यूम पाइप की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री फूलसिंह--यह हिदायत है कि जल्द से जल्द काम पूरा कर दिया जाय।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह निरीक्षण का काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री फूलसिंह--जब सवाल का उत्तर आया था तो वह निरीक्षण करते होंगे और अब तक तो रिपोर्ट भी आ गई होगी।

*३५--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[२९ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

व्यय परिषद्, नवाबगंज, कानपुर में वेतन प्राप्त मैनेजर की नियुक्ति

*३६--श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि व्यय परिषद, नवाबगंज, कानपुर में राज्य कोष से वेतन प्राप्त मैनेजर रक्खा गया है और क्या सरकार इस प्रथा को अनावश्यक समझ कर समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जी हां, प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*३७-३९--श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--[७ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४७-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४०--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--[स्थगित किया गया।]

जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम के परिणामस्वरूप दीवानी की कचहरियों में वर्धित कार्य

*४१--श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम के परिणामस्वरूप दीवानी की कचहरियों में कार्य बहुत बढ़ गया है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जी हां, कुछ दायरा बढ़ा है।

*४२--श्री प्रतिपाल सिंह--यदि हां, तो क्या सरकार मुंसिफों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--सरकार परिस्थिति के अनुसार इन विषयों पर विचार करती रहती है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)--क्या यह सही है कि कार्य को देखते हुये प्रयाग हाई कोर्ट ने सरकार से निवेदन किया है कि २५ मुंसिफ और रखे जायं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जी हां।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--सरकार ने अभी निर्णय बढ़ाने का नहीं किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार वांचू कमेटी की सिफारिशों को मुंसिफों की नियुक्ति के संबंध में लागू करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह तादाद से संबंधित है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—आप अपने प्रश्न को फिर से दुहरा दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मुंसिफों की संख्या बढ़ाने के संबंध में वांचू कमटी की रिपोर्ट को लागू करने का विचार सरकार कर रही है या लागू करने जा रही है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—सरकार इस बारे में समय-समय पर देखती रहती है कि कितने मुकदमे हैं और कितने मुंसिफ हैं और आया उनकी तादाद बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। इसको सरकार देखती रहती है। यह कोई एब्सोल्यूट बात नहीं है कि उतनी ही तादाद हो।

*४३–४५—श्री झारखंडेराय—[१० मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४७–४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विलीन टेहरी राज्य के सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर तथा आडीटर का वेतन

*४६—श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विलीन टेहरी राज्य के सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर तथा आडीटर का वेतन मर्जर से पेश्तर क्या था और अब क्या है?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—टेहरी राज्य के कुल तीन इंसपेक्टर सहकारी विभाग में लिये गये हैं। इनमें से एक को जिनका वेतन मर्जर से पहिले ९० रु० था आडीटर के पद पर ७५ रु० के वेतन पर लिया गया है तथा शेष दो को जो कि मर्जर के पहिले ६० रु० पा रहे थे अब क्लर्क के पद पर ६२ रु० वेतन पर लिया गया है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि इंसपेक्टर के अतिरिक्त जो आडिटर्स १२० रुपया पा रहे थे उनकी तनख्वाह भी ७५ रुपया कर दी गयी है?

श्री मंगलाप्रसाद—यह सही नहीं है, जो सही है वह जवाब में दे दिया गया है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी इन व्यक्तियों के नाम बतलायेंगे?

श्री मंगलाप्रसाद—जो आडिटर बना दिये गये हैं उनका नाम है के० एम० कंडोरी और जो क्लर्क बना दिये गये हैं और जिनको ६० के ६२ मिलने लगे हैं उनका नाम जी० सी० रेगमी और जी० एम० पेनोली।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि दो आडिटर्स ऐसे हैं जिनका नाम शुकलानन्द और पुष्पानन्द है और जिनकी तनख्वाह कम कर दी गयी है?

श्री मंगलाप्रसाद—उसकी कोई सूचना नहीं है। सूचना मिलने पर उसका जवाब दिया जा सकता है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार को विदित है कि मरजर अग्रीमेंट के मुताबिक टेहरी के उन कर्मचारियों की तनख्वाह जो मई, १९५० को पा रहे थे, यू० पी० में लौटने के बाद किसी सूरत में कम नहीं की जा सकती?

श्री मंगलाप्रसाद--तनख्वाह कम नहीं हुई है। दो के बारे में तो आपने सुन ही लिया कि ६० के ६२ हो गये हैं। लेकिन आडिटर की तनख्वाह ७५ ही से शुरू होती है। इसलिये ७५ हो गये हैं।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट--अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में आडिटर लिखा हुआ है, यह है कि सहकारी विभाग के इंसपेक्टर तथा आडिटर। तो आडिटर की सूचना मैं चाहता हूं। मंत्री जी का उत्तर साफ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--फिर से प्रश्न पूछ लें।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि कोआपरेटिव विभाग के कितने आडिटर्स उन्होंने ऐबसार्व किये हैं और किस वेतन पर?

श्री मंगलाप्रसाद--जवाब में तो स्पष्ट है कि तनख्वाह ६० मिलती थी, वह ७५ हो गयी है और ६० के ६२ हो गये हैं। उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। साफ जवाब है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये पोशाक

*४७--**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या प्रदेशीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई पोशाक निश्चित की है? यदि हां, तो क्या?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--भारत सरकार ने हाल में ही अपने सिविलियन अफसरों की पोशाक के संबंध में सुझाव दिये हैं। इस प्रदेश के कर्मचारियों से भी कहा जा रहा है कि वे भी इन सुझावों को अपनावें तो अच्छा हो। इन सुझावों का विवरण संलग्न नोट में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३४ पर।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन सुझावों में खादी को भी अनिवार्य किया गया है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--उन सुझावों में कोई खास बात इसके मुताल्लिक नहीं है लेकिन अलहदा सरकार की तरफ से हिदायतें भेजी गई हैं कि सरकारी अहलकारों के लिये यह वांछनीय है कि यथासंभव खादी का प्रयोग करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं और सब सदस्यों को उनकी सूचना नहीं है। क्या माननीय अध्यक्ष कृपा करके माननीय मुख्य मंत्री से उनको पढ़वा देंगे?

श्री अध्यक्ष--अगर थोड़े होते तो जरूर पढ़वा देता, लेकिन वे काफी विस्तृत हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जिन पोशाकों के संबंध में सुझाव दिये गये हैं क्या वे गजटेड, नान-गजटेड और निम्न श्रेणी के सभी कर्मचारियों के लिये लागू हैं?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जिन कर्मचारियों को खास तौर पर रहना होता है और जिनकी खास जिम्मेदारियां होती हैं उन्हीं के लिये ऐसी बातें लागू होती हैं, हर मामूली आदमी के लिये नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--पोशाक संबंधी जो आदेश सरकार ने निकाले हैं क्या सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही की है जिससे यह देखा जा सके कि ये आदेश कार्यान्वित भी हुये हैं या नहीं?

---

*तारांकित प्रश्न ४७ श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पूछा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अभी तक कुछ हुआ नहीं और आशा यह की जाती है कि वे इस सुझाव के मुताबिक अमल करेंगे। लेकिन यह बात उनके ऊपर लाजमी नहीं है कि वे ऐसा करें। केवल सुझाव दिया गया है कि वे ऐसा करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इन सुझावों में से मुख्य मुख्य कौन से हैं?

श्री अध्यक्ष—श्री नेकराम शर्मा को सभी सुझावों की कापी दे दी गयी है। उनसे लेकर देख लीजियेगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि सरकार के द्वारा जो वरदी चपरासियों को दी जाती है वह खादी की दी जायगी?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां, बहुत हद तक यह कोशिश की जा रही है कि यथासंभव खादी की वरदी दी जाय जहां पर भी ऐसा हो सके।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सुझाव दिये गये हैं उनमें कर्मचारियों द्वारा हैंडलूम का कपड़ा भी इस्तेमाल करने का सुझाव है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—उसमें जो सुझाव दिये गये हैं उसमें तो किस किस्म का कपड़ा पहनें कोट या पायजामा या अचकन इस प्रकार की बातें हैं न कि वह किस चीज की बनी हुयी हों।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पोशाक के संबंध में जो आदेश निकाले हैं उनको प्रांतीय सरकार ने प्रदेश में किस तारीख से सरकुलेट किया है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—वह घंटा, मिनट या तारीख तो दर्ज नहीं है। मगर इससे पहले चले गये हैं। कोई ज्योतिषी को लगन भी नहीं दिखाया था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस सिलसिले में जो सुझाव भेजे हैं क्या वह सभी गजटेड आफिसर्स के लिये एक ही प्रकार की पोशाक के सुझाव हैं या भिन्न भिन्न मुहकमों के लिये अलग अलग हैं?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—सभी के लिये एक ही है।

प्रदेश की चीनी मिलों के जिम्मे किसानों का रुपया

*४८—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किन किन चीनी मिलों के जिम्मे १ नवम्बर, १९५३ को कितनी कितनी रकम ईख की कीमत के रूप में बकाया थी और अब उन मिलों के जिम्मे कितनी बकाया रह गई है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आवश्यक विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रक्खा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३५-३३६ पर)

*४९—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के खड्डा मिल क्षेत्र के ईख उत्पादकों को कितनी ईख की कीमत नवम्बर में बांटी गई है और अब कितनी बाकी रह गई है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--खड्डा मिल क्षेत्र के ईख उत्पादकों को नवम्बर १९५३ के महीने में कोई ईख की कीमत नहीं दी गई और अब १५ मार्च, १९५४ को उक्त मिल के जिम्मे गन्ने के मूल्य के हेतु ९.४९ लाख रुपया बाकी रह गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश की इस वर्ष की और गत वर्ष की मिलों पर किसानों की कुल कितनी रकम बाकी है, इसकी फिगर्स का टोटल बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह--लगभग २,३७,२६,००० रुपया है।

श्री गेंदासिंह--क्या इस रकम के अलावा केन सेस का भी रुपया है अगर है तो कितना है ?

श्री हुकुमसिंह--हां, यह मैंने गन्ने के दाम का बकाया बताया है। सेस भी है।

श्री गेंदा सिंह--केन सेस की रकम कितनी बाकी है, यह बतलाना क्या संभव नहीं है

श्री हुकुमसिंह--नोटिस देने पर जरूर बतलाऊंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतलायेगी कि अब जो यह रकम बाकी रह गई है उसको वसूल करने के लिये क्या कोई ड्रास्टिक स्टेप सरकार उठाने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां, सारी कानूनी कार्यवाहियां की जा रही हैं। केन कमिश्नर नये ऐक्ट के रूल्स के अनुसार सर्टिफिकेट्स ईश्यू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, ताकि ये रकमें बतौर लैंड रेवेन्यू के वसूल की जा सकें। कुछ सोसाइटीज ने दावा भी दायर कर दिये हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हिदायत कर दी गई है कि इसके अलावा और एफेक्टिव स्टेप जो हों वह लिये जायं ताकि रुपया वसूल हो।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी ने जो दो करोड़ की रकम बकाया बतायी है उसमें वह रकम भी शामिल है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चार आना मन गन्ने का दाम बढ़ा करके ली गई थी ?

श्री हुकुमसिंह--संभवतः वह रकम नहीं शामिल है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि शुगर केन सप्लाई सप्लीमेंट्री ऐक्ट, जिसे गत वर्ष विधान सभा ने पास किया था प्रदेश में लागू हो गया है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो कब तक लागू हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह--लागू हो गया है और इसी सीजन से लागू हो गया है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या यह सही नहीं है कि देवरिया जिले की चार केन यूनियनों से डेढ़ लाख रुपया कर्ज दिलाकर खड्डा यूनियन से संबंधित किसानों को ईख के दाम की शक्ल में रुपया बांटा गया ?

श्री हुकुमसिंह--मुझे ठीक नहीं मालूम। जो जवाब मैंने दिया वही ठीक है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नये कानून के अन्तर्गत कोई सर्टिफिकेट्स अभी ईश्यू हुये हैं और यदि हुये हैं तो उनका क्या परिणाम हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह--कार्यवाहियां अमल में लायी जा रही हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कोई सर्टिफिकेट्स अभी तक ईश्यू हुये या नहीं?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, ईश्यू हुये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि शुगर केन सप्लाई सप्लीमेंटरी ऐक्ट के अधीन रूल्स तैयार हो गये हैं। यानी गवर्नमेंट की स्वीकृति उनको प्राप्त हो गई है अथवा नहीं?

श्री हुकुमसिंह—ड्राफ्ट तैयार हो गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या उसी ऐक्ट की धाराओं के अनुसार इन ड्राफ्ट रूल्स को विवाद के लिये सदन में माननीय मंत्री जी प्रस्तुत करने वाले हैं?

श्री हुकुमसिंह—जरूर किया जायगा।

श्री गेंदासिंह—नवम्बर के महीने में जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने खड्डा का दौरा किया था उस वक्त खड्डा यूनियन ने ईख का दाम बांटा था और इस बटवारे के काम की बड़ी प्रशंसा मुख्य मंत्री जी ने की थी?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मुझे तो ठीक याद नहीं है। मगर गेंदासिंह जी जो कहते हैं वह सही होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो रूल्स शुगर केन सप्लाई ऐक्ट के अधीन बनाये जा रहे हैं उन्हें हाउस के समक्ष कब तक पेश करने का इरादा रखते हैं?

श्री हुकुमसिंह—कुछ कसर अभी बाकी है। वह मिट जाने पर पेश किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस दो करोड़ से अधिक बकाया रकम में सूद की रकम भी है जो कि शुगरकेन सप्लीमेंटरी ऐक्ट के अनुसार मुकर्रर की गयी है।

श्री हुकुमसिंह—नहीं, जो रकम मैंने बतलायी इसमें सूद की रकम नहीं है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्टिफिकेट्स के अन्तर्गत इस दो करोड़ रुपये में से कोई रुपया अभी तक वसूल हुआ है?

श्री हुकुमसिंह—इसका हिसाब तो इस वक्त आया नहीं है। नोटिस पाने पर मैं बताऊंगा।

विलीन टिहरी राज्य का मर्जर एग्रीमेन्ट तथा विलीन राज्य के कर्मचारियों को राज्य में नौकरी देने के आदेश

*५०—**श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट**—क्या सरकार विलीन टिहरी राज्य के कर्मचारियों के Absorption के संबंध में टेहरी-गढ़वाल राज्य "मर्जर एग्रीमेंट" तथा प्रदेशीय सरकार द्वारा निकाले गये जी० ओ० को मेज पर रक्खेगी?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मर्जर ऐग्रीमेंट की प्रतिलिपि भारत सरकार के white paper on Indian states (संशोधित संस्करण) पर छपी है और यह किताब असेम्बली पुस्तकालय में मौजूद है।

विलीन राज्यों के कर्मचारियों को राज्य सरकार में नौकरी देने के संबंध में अनेकों सरकुलर निकाले गये हैं और जिनको माननीय सदस्य असिस्टेंट सेक्रेट्री सामान्य प्रशासन विभाग के पास सुविधा से देख सकते हैं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि विलीन टेहरी राज्य के जिन कर्मचारियों को यू० पी० में ऐबजार्व किया गया है उनकी सीनियारिटी निश्चित करने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--हर सर्विस में सारे हालात देखकर सीनियारिटी हर एक की कायम की जा रही है या की गयी है।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट--क्या यह सही है कि टेहरी के विलीन कर्मचारी जो ऐबजार्व किये गये हैं सीनियारिटी तय करने में उनकी पुरानी सरविस का कोई विचार नहीं किया गया है और जिस तारीख से एबजार्व किये गये हैं उसी तारीख से उनकी सरविस गिनी गयी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--संभव है कि ऐसा हुआ हो ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या इस मर्जर ऐग्रीमेंट में इस बात का प्राविजन है कि पहले के कर्मचारियों का वेतन कम नहीं किया जायगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह है कि जो परमानेंट हैं या तो वह रखे जायेंगे या उनको मुआविजा या ग्रैटुइटी दी जायगी।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट--क्या मर्जर ऐग्रीमेंट के आर्टिकिल ७ में यह दर्शाया गया है कि उनको लेस ऐडवांटेजेज में नहीं रखा जायगा यानी मई, १९५० को जो उनकी हालत होगी उससे कम उनको वेतन नहीं दिया जायगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मेरा ख्याल यह है कि आम तौर पर जितना मिलता था उससे ज्यादा मिला है ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी उन कर्मचारियों के केसेज पर विचार करेंगे कि जिनकी तनख्वाह ऐग्रीमेंट के विपरीत कम कर दी गयी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--एग्रीमेंट के विपरीत तो कोई बात की नहीं गयी।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या माननीय मुख्य मंत्री ने अभी पिछले सवाल के जवाब में जो कोआपरेटिव उपमंत्री ने दिया है, सुना है जिसमें उन्होंने बताया है कि कतिपय आडिटर्स को जो तनख्वाह पहले मिलती थी उससे कम तनख्वाह उनको दी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--उनको उतनी ही तनख्वाह मिल रही है या इसके अलावा उनको परसनल पे मिल रही है वह मैं कह नहीं सकता, मगर आमतौर पर बहुतों को ज्यादा मिल रही है यह मैं कह सकता हूं ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--क्या माननीय मुख्य मंत्री इसका कारण बताने की कृपा करेंगे कि जब कि और मर्ज्ड स्टेट्स में ऐबजार्प्शन द्वारा यू० पी० सर्विस में लिये हुये कर्मचारियों की सीनियारिटी के संबंध में उनकी रियासत की सर्विस भी गिनी गयी तो टिहरी-गढ़वाल के सिलसिले में यह क्यों नहीं किया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--सभी रियासतों के लिये एक ही नियम बरता गया है, टिहरी के लिये अलग और औरों के लिये अलग नहीं ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी सीनियारिटी को तय करने में उनकी पुरानी सर्विसेज का ख्याल रक्खा जायगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--किसी खास कर्मचारी या अधिकारी की कोई शिकायत जाब्ते के मुताबिक हो तो ख्याल किया जायगा। ये बातें ऐसी हैं जो उनके आफिसर्स से ताल्लुक रखती हैं और अगर वे समझते हैं कि ठीक तरह से नहीं हुआ है तो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न

१९५० से १९५३ तक जिला गढ़वाल में नयाबाद ग्रान्ट के लिये दरख्वास्तें

१--**श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५० से लेकर सन् १९५३ तक नयाबाद ग्रान्ट के लिये जिला गढ़वाल में कितनी दरख्वास्तें पड़ीं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--८,२१४।

२--**श्री चन्द्रसिंह रावत**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें शिल्पकारों की कितना दरख्वास्तें थीं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--१,१६४।

३--**श्री चन्द्रसिंह रावत**--उपर्युक्त दरख्वास्तों में से कितनी दरख्वास्तें मंजूर की गईं और कुल रकबा कितना मंजूर किया गया?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--९१३ जिसमें मंजूर की गई। भूमि का रकबा लगभग ९,४७९ नाली है।

म्योर मिल, कानपुर के झगड़े के सम्बन्ध में और किसी माननीय मंत्री के कार्य से सम्बद्ध किसी बैठक के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास तीन कामरोको प्रस्ताव आये हैं। दो प्रस्ताव श्री झारखंडे राय तथा श्री रामनारायण त्रिपाठी के हैं। अभी म्योर मिल के सम्बन्ध में जो झगड़ा कानपुर में हुआ, उसको लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, उसके सम्बन्ध में विचार करने के लिये हैं। उनमें यह नहीं दिया कि उनके पास क्या खबर और किस प्रकार से आयी। केवल उनको अखबार से खबर मालूम हुई है। कोई निश्चित बात इनमें दिखायी नहीं देती है। अनिश्चित होने के कारण तथा जो कुछ खबर छपी है उससे यह प्रतीत होता है कि प्रस्ताव रोज के इन्तजाम के मामलों से सम्बन्धित है इसलिये मैं इनको वैध करार नहीं देता हूं।

तीसरा श्री गजेन्द्र सिंह का है। उसको मैं पढ़ने की जरूरत नहीं समझता हूं क्योंकि किसी माननीय मंत्री के किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी मीटिंग का उसमें जिकर है और वह विषय कोई महत्व का नहीं हो सकता जिसके लिये कामरोको प्रस्ताव लिया जा सकता हो। इसलिये मैं इसको भी अवैध करार देता हूं।

विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष--मेरे पास मुख्य सचेतक ने एक प्रार्थना-पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि इन समितियों का चुनाव होने वाला था और उसके लिये आज की तारीख नामजदगी के लिये रखी गयी थी। अगर सब चुनाव होते हैं तो सदन का

बहुत समय लगेगा। हमेशा यह तरीका रहा है कि सर्वसम्मति से ही नामजदगी हो जाती थी। यह बहुत सी समितियां हैं। इसलिये वह कुछ समय चाहते हैं कि बढ़ा दिया जाय। मैंने यह निर्णय किया है कि समय बढ़ा दिया जाय। इसलिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि अब ४ मई, १९५४, एक बजे हो गयी है। नाम निर्देशन पत्र की सूक्ष्म परीक्षा ५ मई, १९५४ को ३ बजे तक होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि ७ मई, १९५४ को ३ बजे तक और उसके बाद निर्वाचन तिथि, स्थान और समय यदि निर्वाचन हुआ तो बाद में सूचित कर दी जायगी।

सदन की बैठक प्रातःकाल करने के संबंध में सुझाव

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, क्या मैं हाउस के नेता या सरकार से यह निवेदन कर सकता हूं कि वह नियमों में आपकी आज्ञा से इस प्रकार का संशोधन कर सकें जिससे कि यह सदन प्रातःकाल के समय बैठे या मिले जैसा कि हाउस आफ दी पीपिल में भी हो गया है, क्योंकि यह ग्रीष्मकाल का समय है।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये सदन में वह स्वयं भी प्रस्ताव ला सकते हैं और यदि मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह दें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---मुझे तो यह लगता है कि गरमी में यहां रहने में तो जरा ठंड मिलती है और दूसरी जगह जावें तो मुश्किल होती है। इसलिये ज्यादा गरमी में यहीं रहना चाहिये। सरदी में जहां चाहें जावें।

कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि कैटिल ट्रेसपास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ फरवरी, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ मार्च, १९५४ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २५ मार्च, १९५४ को प्राप्त हो गई और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४-(क्रमागत)

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जितना मैं कल अर्ज कर चुका हूं उसके अलावा मुझे एक दो बातें और कहनी हैं और वह यह कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने यह प्रश्न उठाया था कि निष्क्रान्त सम्पत्ति कानून तो बहुत पहले बन चुका था। इसलिये गवर्नमेंट ने जो जल्दी में विधेयक पास किया, जो अधिनियम का रूप धारण कर चुका है, उसमें जल्दबाजी हो गई सरकार को इस बात का लिहाज पहले ही रखना चाहिये था। इसके मुताल्लिक मुझे गुजारिश करनी है कि कोई जल्दबाजी नहीं की गई। उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (४) को यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो मालूम होगा कि अगर आगम (Title) का प्रश्न किसी समर्थ (competent) अदालत से तय न हुआ हो तो वह मध्यस्थ के सुपुर्द होगा। फिर उस प्रापर्टी ऐक्ट के मातहत कौन अदालत समर्थ अदालत है या नहीं, यह सवाल रह जाता है। तो वह बात बिल्कुल साफ थी। हमारी राय में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन खैर, यह कानून की बात है और इसमें दो रायें हो सकती हैं। आगम (Titel) के प्रश्न पर कस्टोडियन के फैसले पर विवाद नहीं करना चाहिये, यह हमारे ला आफीसर्स की राय थी और इसे गवर्नमेंट ने

*२५ मार्च, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चरणसिंह]

माना। कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमारे सामने या हमारे ला आफीसर्स के सामने न रही हो और जिसके लिये हमने पहले से प्रोवाइड नहीं किया हो। अब जहां तक कि २–४ संशोधन हैं उनके मुताल्लिक मेरी गुजारिश है, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका था कि यदि राष्ट्रपति के कहने के मुताबिक इस विधेयक के लाने की आवश्यकता न होती तो हम और संशोधनों को भी न लाते सिवाय एक संशोधन के, यानी मध्यस्थ की नियक्ति तथा सिविल जज द्वारा मध्यस्थ को अभिदेश की प्रक्रिया, क्योंकि यह एक आवश्यक संशोधन था। इसके अलावा और कोई आवश्यक संशोधन नहीं था। इसके अतिरिक्त जो दूसरे संशोधन हैं वे किसी उसूल से ताल्लुक नहीं रखते बल्कि तफसीली बातों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन चूंकि यह संशोधन विधेयक लाना ही था इसलिये और संशोधनों को भी इसमें रख दिया गया। इसके अलावा कंसोलीडेशन आफ होल्डिंग्स का मामला मामूली मामला नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है। जमीन लोगों की रोटी का सहारा है अगर जमीन को कोई १०–५ साल ही जोत लेता है तो इससे यूंही मोह हो जाता है, लेकिन अगर कोई २–४ पीढ़ी से उसको जोतते चले आये हैं, तो अगर उस जमीन को बदला जाय और उसके लिये कानून बनाया जाय तो कानून ऐसा होना चाहिये जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत न हो। इसके अलावा जमीन मुख्तलिफ किस्म की है, मुख्तलिफ किस्म के काश्तकार हैं। जमीन के साथ तेरी और मेरी की भावना भी जुड़ी होती है। फिर उसके इन्दराज की दुरुस्ती का भी सवाल है।

इसके अलावा हम चकबन्दी के साथ ही साथ गांव का पुनर्निर्माण भी करना चाहते हैं। वहां पर सार्वजनिक उपयोग के लिये, स्कूलों के लिये, सड़कों के लिये, पंचायत घरों के लिये, बीज गोदामों के लिये, मंदिर और मसजिद के लिये भी इस मौके से फायदा उठा कर जमीन हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि ये गांवों की खास जरूरतों के काम हैं, इस प्रकार यह कोई सरल मामला नहीं है। आज किसान सब जगह हैं और हर जगह किसानों ने जहां जहां मौका मिला है चकबन्दी करायी है लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत ऐहतियात बरतने की जरूरत है।

इसलिये मैं अब भी, यह वायदा नहीं कर सकता कि इस संशोधन के बाद दूसरा संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के वे अधिकारी जो तजुरबेकार हैं, ला आफीसर्स हैं, उन्हें अभी तो और जरूरत नहीं मालूम पड़ती। उनकी बुद्धि और उनका तजुरबा जितना आगे देख सकता है उसके मुताबिक ही यह बिल बनाया गया है और पहला अधिनियम बनाया भी गया था, लेकिन भविष्य में क्या कठिनाइयां हमारे सामने आयेंगी, नहीं कहा जा सकता। अगर कोई कठिनाई आयी जिसके लिये अधिनियम या कानून में संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो हम बिला किसी संकोच के सदन के सामने आयेंगे और ऐसा करने में हमें न कोई हिचकिचाहट होगी और न लज्जा ही आयेगी। जैसा कि मैंने कहा कि इस अधिनियम का सम्बन्ध करोड़ों आदमियों की जिन्दगी से है। जमीन की अदलाबदली का मामला आसान नहीं है। करोड़ों एकड़ जमीन का सवाल है। ६–७ बरस तक ये आपरेशन्स चलेंगे। मुख्तलिफ किस्म के होल्डिंग्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जमीनें हैं, कहीं एक फसली है, कहीं दो फसली। इस प्रकार से अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या दिक्कतें आयेंगी। जो कठिनाइयां अभी हम सोच नहीं सकते हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उनके आने पर हमें संशोधन विधेयक लाना ही पड़ेगा। यह कहना कि इस संशोधन विधेयक का आना गवर्नमेंट या माल विभाग की कमी जाहिर करता है इसके बारे में मेरा कहना यह है कि यह कानून गवर्नमेंट ने तो पास किया नहीं था, यह तो विधान सभा के माननीय सदस्यों ने पास किया था,

जिनमें वकील भी हैं, गांवों में काम करने वाले लोग भी हैं, उन सबके मशविरे से यह चीज बनी थी। दुनिया के अन्दर कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि जो हमने कर दिया वही ठीक है और इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं पहले संशोधन ले लेता हूं जो श्री गेंदा सिंह जी ने उपस्थित किया है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--२०

विपक्ष में--१३०।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की (जिसे यहां उ० प्र० पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३ के खंड (२) के बाद निम्नलिखित नया खंड (२-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :-- अधिनियम १९५४ की धारा ३ का संशोधन।

"(२-क) 'चकबन्दी समिति' का तात्पर्य १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबन्धक समिति से है, और इसके अन्तर्गत धारा ४३ के अधीन स्थापित उप-समिति भी है।"

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की पंक्ति २ में से शब्द "पर" हटा दिया जाय।

मेरे इस प्रस्ताव का उद्देश्य व्याकरण सम्बन्धी दोष को दूर करने का है। जान पड़ता है कि इसको अंग्रेजी के शब्द "हीयर इन आफ़टर" के अनुवाद के रूप में रखा गया है। अगर हिन्दी के व्याकरण पर विचार किया जाय तो यह "पर" यहां पर अनावश्यक है और व्याकरण के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग गलत है। यह "हियर इन आफ़टर" एक विचित्र शब्द है जिसका मतलब है "इन दिस एन्ड आफटर दिस" जिसका मतलब होता है इस पर या इसमें यहां "पर" तो इसमें निहित है। इसलिये "पर" का रखना यहां अनावश्यक है और इसको हटा देना चाहिये।

श्री चरण सिंह--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति २ में से शब्द "पर" हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के अन्त में आपकी आज्ञा से कुछ जोड़ना चाहता हूं।

खंड २ में प्रस्तावित नये उपखंड (२-क) को निम्न प्रकार से रख दिया जाय--

"(२-क) 'चकबन्दी समिति' का तात्पर्य उस समिति से है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार गांव सभा द्वारा जोतों की चकबन्दी के हेतु बनाई गई हो, जिसकी संख्या ७ से कम तथा ११ व्यक्तियों से अधिक की नहीं होगी और इसके अन्तर्गत धारा ४३ के अधीन स्थापित उपसमिति भी है।"

यह आखिर का हिस्सा जो छपा नहीं है वह मैं बढ़ाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यदि इस संशोधन को माननीय राजस्व मंत्री जी गौर करके स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि हमारी बहुत सी कठिनाई दूर हो जायगी। मैंने बार बार इस पर आग्रह किया है कि इस चकबन्दी को जिनके लाभ के लिए करना है उनका विश्वास भी प्राप्त किया जाना चाहिये। चकबन्दी समिति का काम बहुत भारी है और बड़ी जिम्मेदारी का है और यदि इस परिभाषा को हम यहां स्वीकार कर लें तो आगे जो समिति चकबन्दी की बनेगी उसका काम बहुत आसान हो जायगा और पिछली मर्तबा ३९ के कानून के मातहत जो चकबन्दी हो रही थी और जिन कारणों से चकबन्दी को छोड़ना पड़ा था और इधर ५ बरस तक सोचने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे थे गांव वालों की जरूरत पूरी हो जायगी। अधिकारियों के काम करने में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं, गांव वालों का अविश्वास हो सकता है। यह हो सकता है कि उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जायगा। यह सब बातें बहुत हद तक इससे दूर हो जायेंगी। मैं नहीं समझता कि ग्राम सभाओं द्वारा इन चकबन्दी समितियों को बनाने में सरकार को क्या कठिनाइयां होंगी। ग्राम सभायें पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार करीब करीब प्रदेश के सभी गांवों में बन चुकी हैं और उनसे सम्बन्ध रखती हुई भूमि प्रबन्धक समितियां भी बन चुकी हैं। फिर अगर उन्हीं गांव सभाओं के द्वारा चकबन्दी समितियों को बना डालें तो कोई बुरा नहीं होगा। मैं इसलिये इस पर जोर देता हूं कि भूमि प्रबन्धक समितियां या उसका जो भी नाम दें गांव पंचायतें जो कुछ भी बनी हुई हैं उनका फंक्शन, उनका कार्य कुछ और है और ऐसा समझ करके उन पंचायतों को लोग चुनते हैं और वोट देते हैं और भूमि प्रबन्धक समिति बनाते हैं। उसके कार्य से चकबन्दी समिति का कार्य ज्यादा जिम्मेदारी का है अगर किसी जमीन के बदले जाने से एक किसान की हैसियत बनने और बिगड़ने वाली है, इसलिये अगर ऐसा गांव वाले समझें कि इस समिति के अधिकार में उसकी हैसियत बिगाड़ना और बनाना है तो बहुत सोच समझ कर बहुत ही जिम्मेदार लोगों को इस समिति में स्थान देंगे। हम गांव पंचायतों अथवा भूमि प्रबन्धक समितियों के सम्बन्ध में कोई राय नहीं देना चाहते कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी से काम किया है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह बहुत गुरुतर काम है।

श्री अध्यक्ष--आपने जो अन्त में "धारा ४३ के अधीन" अपने संशोधन में बात कही है वह धारा तो इस विधेयक में नहीं है। यह कहां की है?

श्री गेंदासिंह--जो चकबन्दी का मूल अधिनियम है उसकी धारा ४३।

श्री अध्यक्ष--यह तो आपने स्पष्ट नहीं किया है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, जो असल विधेयक पेश था उसमें भी इसका जिक्र है। मैं मूल अधिनियम की धारा ४३ को आपके सामने पढ़ दूं तो शायद स्पष्ट हो जाय "(१) यदि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबन्धक समिति में पांच से अधिक सदस्य हों तो समिति उनमें से पांच या उससे अधिक, परन्तु ग्यारह से अधिक नहीं, जैसा कि चकबन्दी संचालक नियत करे, ऐसी योग्यतायें रखने वाले जो नियत की जायं चुनेगी। ऐसे चुने हुये सदस्यों और उपधारा (२) के अधीन नामांकित सदस्यों को यदि कोई हों मिला कर बनी हुई समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भूमि प्रबन्धक समिति समझी जायगी। (३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) भूमि प्रबन्धक समिति के लिये एक से लेकर चार तक ऐसे सदस्य नामांकित कर सकेगा जिनका बढ़ाना उसके मतानुसार उस मंडल (circle) में चकबन्दी की कार्यवाही के लिये सुविधाजनक होगा। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, इस प्रकार नामांकित व्यक्तियों के वे सब अधिकार और दायित्व होंगे जो समिति के सदस्यों के होते हों"।

श्री अध्यक्ष--मैं जानना यह चाहता हूं कि उसमें जो पहले अधिनियम की १२१ दफा दी हुई है उसे आपने अपने संशोधन में बदल दिया है और पंचायत राज ऐक्ट का जिक्र किया है और पंचायत राज ऐक्ट के साथ में आगे चकबन्दी ऐक्ट की दफा ४३ का भी जिक्र किया है तो इस तरह से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है।

श्री गेंदासिंह--मैं ऐसा समझता हूं कि भूमि प्रबन्धक समिति की जो परिभाषा है वह उसे गवर्न करेगी और जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ जो है वह गवर्न नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपने अपने संशोधन में धारा १२१ का जिक्र छोड़ दिया है और दूसरे अधिनियम का जिक्र किया है।

श्री गेंदासिंह--अगर कंफ्यूजन हो तो आखरी वाला जो हिस्सा है उसे निकाल दिया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--श्रीमन्, यह फिर से पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--अब जो संशोधन इसमें छपा हुआ है वही प्रस्तुत रहा, जो हिस्सा बढ़ाया गया था वह निकाल दिया गया।

श्री गेंदासिंह--मैं निवेदन कर रहा था कि पुरानी भूमि प्रबन्धक समितियां चकबन्दी के लिये जो काम करेंगी वह इस कार्य के लिये नहीं बनायी गयी थीं। गांव सभाओं के द्वारा उन भूमि प्रबन्धक समितियों का निर्माण जरूर हुआ है लेकिन गांव सभाओं के जिम्मे जितना काम सरकार ने दिया है या गांव सभाओं के पास जितना काम है उसी काम के लिये वह सभायें बनायी गयी हैं। मेरा कहना यह है कि यह जो कार्य है वह बहुत जिम्मेदारी का है। हमारे सूबे भर में करीब ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन है। इस सारी जमीन का एक प्रकार से पुनर्वितरण का काम उनके जिम्मे होगा। केवल इतना ही कि अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो उसे जमीन नहीं देनी है लेकिन जिन लोगों के पास जमीनें हैं जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, उनकी सारी जमीन का फिर से वितरण करना है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों की संख्या अपने प्रदेश में एक करोड़ से भी ज्यादा है यानी १,१५,३५,८०० आदमियों के करीब साढ़े

[श्री गेंदासिंह]

सूबे भर में खेती करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक करोड़ १५ लाख लोगों में इस जमीन को फिर से वितरित करना है यानी पहले इकट्ठा करना और फिर वितरण करना, इतना काम है। मैं समझता हूं कि इतने लोगों को विश्वासपात्र बनाने का और इतने लोगों में जमीन को इकट्ठा करके फिर से बांट देने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। किसी गांव में इस चकबन्दी को लेकर के सुलह भी फैलाई जा सकती है। अगर यह चकबन्दी समितियां जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर ले जायं और सरकारी अधिकारी चकबन्दी समितियों के सहयोग से अपना काम करें जिसमें कम से कम सब को शिकायत करने का मौका मिले और फिर वैसी हालत में जो उद्देश्य इस विधेयक का है वह पूरा हो जाय, लेकिन उसी के साथ-साथ कहीं झगड़े भी खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जैसे पिछली मर्तबा हुआ था, मेरा अनुभव है कि जिन गांवों में चकबन्दी करने की योजना का एलान होता था वहां लोगों के ऊपर एक मुसीबत मालूम होती थी क्योंकि कुछ गांवों में चकबन्दी का कार्य हुआ उसे देखने के बाद दूसरे गांवों में जब एलान होता था कि यहां पर भी चकबन्दी की जायगी तो लोग यही समझते थे कि मुसीबत आ गई। मेरे जिले की मेरी तहसील में भी कुछ गांवों में काम हुआ और गोरखपुर में, महराजगंज में भी यह काम हुआ था, लेकिन जब दूसरे गांवों के लिये एलान होता था तो वहां के लोग इस फिक्र में पड़ते थे कि यह काम किसी तरह से हमारे गांव में न होने पाये। जिन गांवों में चकबन्दी का काम हुआ उन गांवों में साल-साल दो-दो साल तक खेत परती पड़े रहे। जिन छोटे किसानों को जमीन दी गयी उन लोगों ने यह कहा कि हमारी जमीन पहले वाली से ज्यादा अच्छी थी और जो जमीन हमको दी गयी है वह खराब है। बड़े लोगों ने हमारी जमीन ले ली है। इसलिये हम यह जमीन नहीं जोतेंगे और अपनी जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि खेत एक-एक दो-दो साल तक परती पड़े रहे।

सौभाग्य से जो इस समय चकबन्दी योजना के कमिश्नर अपने प्रान्त के बनाये गये हैं श्री डी० पी० सिंह, वह उस जमाने में गोरखपुर के कलेक्टर थे। मैं उन लोगों में से हूं कि मैंने और कुछ कांग्रेस के भाइयों ने उनसे यह शिकायत की कि साहब यह बड़ी बुरी बात हो गयी है और इससे गांव-गांव में तूफान मचा हुआ है, किसी तरह से आप इस मामले को रफा-दफा कीजिये। उन्होंने उसकी छानबीन की और छानबीन करने के बाद हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने सरकार से सिफारिश की और शायद कुछ और जगहों से भी इस बात की सिफारिश आयी होगी कि इस चकबन्दी से बड़ा असंतोष फैल रहा है और फिर सरकार ने उसके बाद सन् ४८ में उस काम को बन्द किया। मुझे इस संबंध में संदेह है और मैं इस संदेह को यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी जितनी है वह जिम्मेदारी मैं समझता हूं और अगर माननीय राजस्व मंत्री जी उसे नहीं मानेंगे तो मेरा जो कर्तव्य है उसका मैं पालन कर रहा हूं। मुझे यह विश्वास है कि अगर उन्होंने चकबन्दी समिति को आम जनता से चुनने का अवसर नहीं दिया और वे जिन के खेतों को इकट्ठा करना चाहते हैं उनको यह मौका नहीं दिया कि वे इस संबंध में अपनी राय दे सकें तो इससे उनमें असंतोष फैलेगा। भले ही बाद में जा करके कोई काम हो, लेकिन इस समय मैं समझता हूं कि लोगों में असंतोष होगा, अविश्वास होगा और देश में इस समय जितनी चकबन्दी के काम में प्रगति होनी चाहिये उसमें हमें संदेह दिखाई देता है। माननीय मंत्री जी को मुजफ्फरनगर और मेरठ का प्रत्यक्ष अनुभव होगा लेकिन सारा प्रदेश मुजफ्फरनगर और मेरठ नहीं है पंजाब की बात कहना चाहता हूं कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के किनारे के जिले हैं जहां चकबन्दी का काम हुआ है वहां की अवस्था दूसरी थी और उस अवस्था में वहां पर आसानी हुई। इसके अतिरिक्त वहां गांव वालों को अधिक से अधिक सुविधा दी गयी और जहां तक हो सका वहां के लोगों के सहयोग और सहायता से चकबन्दी का काम किया गया। यह मैं मानता हूं कि वहां के अधिकारियों को अधिकार दिये गये थे लेकिन मैं यह समझता हूं कि यहां पर भी छोटे-छोटे खाते हैं उनकी वजह से चकबन्दी के काम में कुछ कठिनाई हो सकती है। पंजाब में बड़े-बड़े खाते थे और वहां के किसानों की दूसरी हालत है, लेकिन वह हालत हमारे प्रदेश की बिलकुल नहीं है। माननीय रामलखन जी जिस दृष्टि से इस बात को देख रहे हैं, उस दृष्टि से मैं उनसे अपील करता हूं कि वे जरा बस्ती,

गोरखपुर, आजमगढ़ और दूसरे इर्द गिर्द के जिलों के लोगों की तरफ ध्यान दें और उन लोगों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करें न कि एक डिप्टी कलेक्टर को भेज कर लेखपालों के बल पर चकबन्दी का काम शुरू कर दें। पटवारियों से जितने ज्यादा नेकनाम लेखपाल हैं, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जानें। फिर भी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह हम नहीं समझते कि कोई आदमी स्वर्ग से उतर करके उन कामों को करेगा लेकिन हमें यह उपाय करना चाहिये कि जो भी आदमी हो उसके लिये कम से कम बुराई में फंसने की गुंजाइश हो। मैं आखीर में यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि संभवतः विनोबा जी भी कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स के मत के नहीं हैं। खैर, मैं सभी बातों का समर्थक विनोबा जी का नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे छोटे खातों के संबंध में इस विधेयक में यह बात है और पिछला विधेयक जो था उसमें भी है कि तीन टुकड़े तय कर सकते हैं और दो टुकड़े से कम किसी हालत में होंगे नहीं। एक एकड़ का जो किसान है उसके अगर दो टुकड़े हैं तो दो टुकड़ों में केवल उसका लाभ इतना ही हो सकता है कि जो दो टुकड़े पहले से उसके पास थे उनके बजाय दूसरे टुकड़े उसको मिल जायं। यह तो नहीं हो सकता कि एक एकड़ का किसान अगर है वह तो दो टुकड़े अगर रखता है तो एक टुकड़ा हो जाय। यह इस अधिनियम में तो स्पष्ट है। इसलिये अगर उससे कुछ काम लेना है और उसके सहयोग की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि चकबन्दी समिति की इस परिभाषा को बदल कर इसी के अनुरूप सारे विधेयक में ऐसा कर देना चाहिये कि हमको गांव वालों का अधिक से अधिक तादाद में सहयोग मिल सके।

श्री चरणसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या बतलाऊं, कुछ बातें माननीय गेंदा सिंह जी ऐसी-ऐसी कहने लगते हैं कि जो न उठाई जायें न धरी जायं। जो माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन अब है ठीक उसी विषय पर जब हमने मूल अधिनियम पास किया था इस पर विचार हो चुका। सेलेक्ट कमेटी की बात तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो कमेटी गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी उसमें भी माननीय गेंदा सिंह जी थे और इस मामले पर बहुत विस्तार से विचार हुआ और हम सब ने सर्वसम्मति से उसको रद कर दिया था। अब माननीय गेंदा सिंह जी ने फिर वही बात उठायी। उन्हें उठाने का अधिकार है उठायें। लेकिन जो दलीलें पहले मैंने दी थीं वे ही दलीलें आज जैसी की तैसी मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिनियम में यह है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के मेम्बर्स की तादाद जहां ५ हो (पांच से कम तो होती ही नहीं है) तो वही लैंड मैनेजमेंट कमेटी कंसालिडेशन कमेटी कहलायेगी और जहां तादाद पांच से ज्यादा है तो वह अपनी एक सब कमेटी चुन लेगी जिसके मेम्बर्स की तादाद ५ से लेकर ११ तक हो सकती है बड़े गांवों में ८,१०,११ और छोटे गांवों में ५, ६, ७। इस कमेटी का नाम अब तक लैंड मैनेजमेंट कमेटी ही हमने रख दिया था जिसकी वजह से भ्रम पैदा होता था। अब हमने उसका नाम चकबन्दी समिति कर दिया है। तो माननीय गेंदासिंह जी यह चाहते हैं कि बजाय इसके कि जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी ५ मेम्बर्स की है वह रहे, गांव सभा इस चकबन्दी कमेटी को चुने। अब लैंड मैनेजमेंट कमेटी चुनाव करे या गांव सभा सीधे चुने तो इसमें यह बात कहां से आ जाती है कि हम जिन लोगों के जीवन पर इस चकबन्दी का असर पड़ेगा उनकी राय नहीं लेना चाहते हैं। मुझे गेंदा सिंह जी से शिकायत यह है कि वह दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हम लोगों के ऊपर चकबन्दी थोप रहे हैं और १ करोड़ ३० लाख या कितनी तादाद किसानों की उन्होंने बतलायी उनकी हम राय ही नहीं लेना चाहते। इतने आटोक्रैटिक (Autocratic) हैं कि करोड़ों किसानों की जिन्दगी का जिससे वास्ता है उसमें हम उनकी राय नहीं लेना चाहते। क्या जैसा अधिनियम है और जो संशोधन विधेयक है दोनों को शामिल करके यह नतीजा निकलता है कि हम लैंड मैनेजमेंट कमेटी को उनके ऊपर थोप रहे हैं हरगिज नहीं। लैंड मैनेजमेंट कमेटी उनकी अपनी चुनी हुई है। उसके द्वारा एक सब कमेटी चुनी जायगी जिसका नाम कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स कमेटी रखा जायेगा। श्री गेंदा सिंह जी चाहते हैं कि वह कमेटी गांव सभा द्वारा चुनी जाय। लेकिन यह लैंड

[श्री चरणसिंह]

मैनेजमेंट कमेटी भी तो इसी गांव सभा द्वारा चुनी हुई है। लेकिन आप अजसरे नौ चुनाव कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है वही अपनी सब कमेटी चुन ले। इसलिये मुझे शिकायत है और सख्त शिकायत है कि जो बात है वह वैसी ही कही जाय। कहना यह चाहिये था कि हम अजसरे नौ चुनाव कराना चाहते हैं तब तो बात ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, अब रही दूसरी बात कि आया अजसरे नौ चुनाव कराना चाहिये या नहीं। तो इसके संबंध में मेरा नम्र निवेदन है कि नहीं कराना चाहिये क्योंकि यह जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है वह विश्वासपात्र लोगों की ही बनाई हुई है। ये उनके नुमाइन्दे हैं। अगर हम चुनाव कराते हैं तो गांव के जीवन में एक फिरकाबन्दी और बढ़ेगी। वह लोगों के ही चुने हुये हैं। ऐडल्ट फ्रैन्चाइज से चुने हुये हैं तो फिर क्या बात है। जहां लैंड मैनेजमेंट कमेटी के मेम्बर्स की तादाद ५ से ज्यादा है वहां पर वह एक सब कमेटी चुन लेगी और जहां पर कम मेम्बर्स हैं वहां पर वही कमेटी हो जायगी। इस तरह से सैकड़ों केसेज में वही कमेटी हो जायगी।

फिर वैसे भी अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि अमल में इसका क्या असर पड़ेगा। आज हम केवल दो जिलों में चकबन्दी करने जा रहे हैं स्टाफ का चुनाव भी शुरू हो गया है। इन दोनों जिलों सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर में भी हम सब तहसीलों को नहीं ले पाये हैं। थोड़ा हिस्सा रह गया है। मैं यह कहना चाहता था कि अगले साल हम १८–२० जिलों में यह काम करने जा रहे हैं। जब हम इन १८-२० जिलों में काम शुरू करेंगे तो उससे पहले पंचायतों का चुनाव भी हो जायगा। पंचायत राज संशोधन बिल आने वाला है और सदन के सामने यह अधिनियम बन जायगा और चुनाव भी हो जायगा और फिर सब लोग चुने हुये होंगे यह लोग चुने होंगे। यह नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं चाहते हैं। माननीय गेंदा सिंह जी चाहते हैं उनका आशय दुबारा चुनाव का मौका दिया जाय। केवल दो जिले हैं जिनमें पुराने इलेक्शन से काम चल रहा है। बाकी में तो चुनाव हो ही जायगा। और जो वह चाहते हैं वही बात हो जायगी।

तीसरी बात अध्यक्ष महोदय गेंदा सिंह जी ने यह कही है कि पश्चिमी जिले मेरठ और मुजफ्फरनगर की हालत और तरह की है। हर जिले और हर सूबे की हालत दूसरे जिले और दूसरे सूबे की हालत से अन्तर होता है, लेकिन उसूल में कोई अन्तर नहीं होता है। पंजाब में जो कंसोलिडेशन आफ-होल्डिंग्स कमेटी है उसको भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमने अपने यहां की कमेटी को सारे अधिकार दे दिये हैं। माननीय गेंदा सिंह जी यह साबित करना चाहते हैं कि वहां चकबन्दी किसानों के मश्विरे से हुई है और हम यहां बिना मश्विरे के करना चाहते हैं। हमारे यहां कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स कमेटी को पूरे अधिकार हैं। जो यह कार्य करेगी उसी के मुताबिक हमारे अधिकारी कार्य करेंगे। जो हमने अपने यहां कमेटी को हक दिये हैं वह पंजाब में नहीं दिये गये हैं।

फिर अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रस्ताव है वह भी बेमानी है। आपका संशोधन यह है कि "चकबन्दी समिति का तात्पर्य उस समिति से है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनयम के अनुसार गांव सभा द्वारा जोतों की चकबन्दी के हेतु बनाई गई हो।" कोई बनाई नहीं गई है बल्कि आप यह मान रहे हैं। इस तरह की कोई कमेटी चुनी ही नहीं गयी, बनायी ही नहीं गयी है। आप यह कहते हैं कि पंचायत राज ऐक्ट के मातहत जो गाँव सभा है वह चकबन्दी समिति चुनेगी और वह दफा ४३ के मातहत चकबन्दी समिति कहलायेगी और वह यह काम करेगी, तो वह बात दूसरी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वैसे भी यह स्वीकार नहीं हो सकता।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

†श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के विरोध में बोलना चाहता हूं। श्रीमन्, जहाँ तक माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन है इससे पहली कठिनाई तो यह उत्पन्न होती है जो मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं।

"चकबन्दी समिति का तात्पर्य उस समिति से है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार गाँव सभा द्वारा जोतों की चकबन्दी के हेतु बनाई गयी हो जिसकी संख्या ७ से कम तथा ११ व्यक्तियों से अधिक की नहीं होगी।"

श्रीमन्, जहाँ तक इसका प्रश्न उठता है, अभी तक तो कोई समिति बनाई ही नहीं गयी, लिहाजा इसमें अगर यह मान लिया जाय इस समय कि आप इस गाँव सभा से एक कंसालिडेशन कमेटी का चुनाव कराना चाहते हैं तो इस संशोधन से उस अभिप्राय की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती है। जहाँ यह कहा जाता है कि यह गम्भीर गुरुतर और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो भूमि प्रबन्धक समिति के सुपुर्द करना अनुचित होगा, तो श्रीमन्, भूतपूर्व जमींदारों के जाने के बाद जमींदारियाँ जब से टूटी हैं, गाँव में जो कुछ भी सम्पत्ति बची है वह भूमि प्रबन्धक समिति के सुपुर्द की गयी है और उसका संचालन और हर प्रकार से उसका प्रबन्ध उसी के द्वारा हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर अविश्वास करना कदाचित उचित नहीं हो सकता है। रहा यह कि अगर इस संशोधन को वह दूसरे रूप से लाये होते तो मैं उनसे सहमत होता और वही एक बात है जो हमारे दिमाग में कुछ आशंका उत्पन्न किये हुये हैं। वह यह है कि श्रीमन्, असंगत सा तो अवश्य हो सकता है, परन्तु आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं "or appoint some other authority to perform the functions and discharge duties of the Land management Committee."

जहाँ तक गाँव का सवाल है, यह चाहे आप उसको कंसालिडेशन कमेटी बनाइये, या लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनाइये, उनसे निर्वाचित होगी तब तो किसी को उससे आशंका उत्पन्न नहीं हो सकती, परन्तु यह हो सकता है कि इन अधिकारों के होते हुये सरकार यह कर सकती है कि किसी भी एक अधिकारी को यह अधिकार प्रदान कर दे और उसमें भूमि प्रबन्धक कमेटी और कंसालिडेशन कमेटी यह दोनों लुप्त हो जायं। मैं समयाभाव से उस पर कोई संशोधन न दे सका और साथ ही साथ संशोधन जिस रूप से आया है उसका विरोध ही करना उचित प्रतीत होता है। जहाँ तक विधेयक में है कि "चकबन्दी समिति का तात्पर्य १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबन्धक समिति से है, और इसके अन्तर्गत धारा ४३ के अधीन स्थापित उप-समिति भी है।" इसको देखते हुये इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होती। आगे चलकर उसके ऊपर भी संशोधन लाया जा सकता है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, क्योंकि यह लाभदायक नहीं हो सकता है और न उसकी मंशा इससे पूरी होती है।

†श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी की दलीलों को पूरी तरह से सुनने के बाद मुझे कठिनाई यह होती है कि वह हमको एक दूसरी तरह से समझने की या दूसरी तरह से कहने की कोशिश करते हैं। चकबन्दी की योजना की जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी उसमें मैंने क्या कहा? अगर उन्हें मैं स्मरण दिला सकूं तो मुझे याद है कि इस प्वाइन्ट पर हमारा उनका मतभेद हमेशा बना रहा। मैंने बराबर इस बात की प्रार्थना की थी कि चकबन्दी के काम में अधिक से अधिक गाँव को विश्वास में लिया जाय, इसका प्रयत्न होना चाहिये। कमेटी की रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट में मेरी कोई असहमति टिप्पणी नहीं है इसलिये वह कह सकते हैं और मैं भी कोई हकदार नहीं हूं इस समय कि यह कहूं उनसे लेकिन अगर वह उसको कार गुजारी देखेंगे। प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें वह पायेंगे कि मैं बराबर इस राय का था और बराबर मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप मेहरबानी करके ऊपर से चकबन्दी को लादने की

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

कोशिश मत कीजिये। अगर वह ऐसा समझते हैं कि समूचे उत्तर प्रदेश की खेती करने वाली जनता इससे प्रभावित होने वाली है और वह उसका स्वागत करती है तो फिर इस मामले में उससे क्यों वह छुई मुई हो जाते हैं कि गाँव वालों से पूछने से काम बिगड़ जायगा। मैं तो नहीं समझता कि जिस चीज को समूची जनता चाहने वाली हो उस चीज में केवल उनसे पूछ लेने से कोई काम बिगड़ जायगा। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं इस बात को कि चूंकि यहां से इस तरह की राय देने का कोई अवसर नहीं है कि मैं उनसे कहूं कि जहां-जहां पर चकबन्दी का काम शुरू किया जाय वहां-वहां के लोगों से पूछकर के वह काम शुरू किया जाय। इसलिये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी यह दलील ऐसी है कि जब माननीय राजस्व मंत्री यह कहते हैं कि सब लोग उसके माफ़िक हैं, तो वह उनसे पूछने से क्यों डरते हैं। जब इस विधेयक और अधिनियम में यह बातें हैं कि हम पुनर्निर्माण की योजनायें बनायें, सड़कें भी हों, पोखरे भी हों, स्कूल के लिये भी जमीन हो, खेल का मैदान हो, चरागाह हो, इन सारी चीजों का बन्दोबस्त हमको करना है और उसमें से हमको जमीन भी लोगों से लेनी है और फिर इन सब चीजों के बाद उनसे चकबन्दी का व्यय भी लेना है तो जब इन सब चीजों को कराना है और उनकी प्यारी से प्यारी जमीन जो है उसको लेकर दूसरी जगह उनको जमीन देनी भी है तो क्यों न हम इस योजना को उन्हें बतायें और उनकी स्वीकृति लें। इस स्वीकृति के लेने की गुंजाइश कहीं भी इस विधेयक में नहीं है। इस अधिनियम में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हम उनसे जाकर के पूछेंगे और उनकी स्वीकृति लेकर के इस काम को शुरू करेंगे। लेकिन अगर वह नहीं है तो एक अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की स्वीकृति इस तरह से ली जा सकती है कि हम चकबन्दी का कार्य करने जा रहे हैं तो उसके लिये उसकी समितियां बनायें और उससे उनकी स्वीकृति मिल जाती तथा इस तरह से हम अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति लेकर एक बड़े उत्साह के साथ उस काम को शुरू करते। हमारा उद्देश्य यही है और इस उद्देश्य को माननीय राजस्व मंत्री जी घसीट कर के दूसरी जगह ले जाते हैं। कभी सुल्तानपुर की बात कहते हैं और कहीं और का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हम चकबन्दी का विरोध करना चाहते हैं, हम उसको बरबाद करना चाहते हैं। कभी मैं कहता हूं कि हम नहीं चाहते हैं कि वह बरबाद हो, वही उसे बरबाद करना चाहते हैं और माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी तो चाहते हैं नहीं कि चकबन्दी हो। हम समझते हैं कि उनको चकबन्दी की आवश्यकता ही नहीं है। उनके चक पहले से ही बने हुये हैं और जो छोटे-छोटे किसानों के खेतों की चकबन्दी होने वाली है उसकी जड़ ही वह नष्ट करना चाहते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि इस चकबन्दी की शुरुआत खुशी से हो, उत्साह से हो, जो एक एकड़, आधा एकड़ पाव एकड़, जमीन वाले हैं वे भी यह समझें कि हमारा इससे कल्याण होगा, हमारी स्वीकृति मांगी जा रही है। इस काम में हमारा हाथ होगा और इसके लिये वह माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देंगे। लेकिन राजस्व मंत्री जी न मानें। मैं जानता हूं कि वह नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूं और मैं इस बात को सदन के सामने कह देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमको बड़ा कड़वा अनुभव हुआ है दो तीन वर्ष के अन्दर कि जो जो कानून उन्होंने बनाये हैं इधर उन कानूनों की जो प्रतिक्रिया हुई है उसको देखते हुये मैं यह कह रहा हूं कि इसमें वह फिर वही काम कर रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचा है। उनकी इच्छा यह होगी कि उनको नुकसान न पहुंचे। लेकिन नुकसान पहुंचा है। फिर वह समझते हैं कि वह बड़े डेमोक्रेटिक हैं और हम बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक हैं। उसमें आगे चल कर इस बात की क्यों गुंजायश कर रहे हैं कि किसी समय भी चकबन्दी समिति को अभिदस्त कर सकते हैं। क्या इसकी आवश्यकता पड़ी? केवल माननीय राजस्व मंत्री जी ह्विम पर हैं कि जिस दिन चाहें जब भी उनके दिल में आये तो चकबन्दी समिति को बरखास्त कर देंगे और अपनी इच्छा से प्राधिकारी नियुक्त कर देंगे। मैं कहता हूं कि यह परस्पर विरोधी बातें हैं। वह कहते हैं कि वह बड़े डेमोक्रेटिक हैं। वह चाहते हैं कि सारे गांव वालों के सहयोग से काम करें। तो फिर इस विधेयक में यह

क्यों लाया गया है कि चकबन्दी समिति को अभिदस्त करके प्राधिकारी नियुक्त कर देंगे ? यह परस्पर विरोधी बातें हैं।

मैं इतना कहना चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री मेरे संशोधन पर पुनः विचार करें और अगर न विचार करें तो मैं किसी भी हालत में इसको वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने खुद इस बात को मान लिया कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी उसमें सर्वसम्मति से फैसला हुआ। और उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने कोई असम्मति की टिप्पणी नहीं दी मैंने खुद कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने यह प्रश्न उठाया था इस पर बहस हुई। लेकिन जब उन्होंने दूसरों की दलील सुनीं तो वह खामोश हो गये और वह सर्वसम्मति से पास हुआ। अब वह चाहे जितने जोरों से निकलना चाहें लेकिन निकल नहीं सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि वह जो पंजाब का जिक्र करते हैं तो पंजाब में एक बात तो यह है कि चुनाव नहीं होता था जिसको वह कहते हैं कि पंजाब में चुनाव होता था। वहां पर अफसर लोगों को बुला कर, कुछ लोगों का मशविरा लेकर अपनी तरफ से एक कमेटी नामजद करता था। दूसरी बात यह है कि वहां पर पहले से लैंड मैनेजमेंट जैसी कोई कमेटी चुनी हुई नहीं थी। यह नामिनेशन भी अजसरे नौ किया क्योंकि पहले कोई बाडी मौजूद नहीं थी। हमारे यहां पहले से एक चुनी हुई समिति लैंड मैनेजमेंट कमेटी है। वहां पर चूंकि कमेटी पहले नहीं थी और उनको बनानी थी तो अजसरे नौ उन्होंने बनायी। दूसरे पंजाब में जो कमेटी बनाई गई वह कोई चुनी हुई बाडी नहीं थी, नामिनेटेड बाडी थी। तो माननीय गेंदा सिंह जी पंजाब से क्या मुकाबिला कर रहे हैं ?

तीसरी बात यह है कि मैंने यह नहीं कहा कि माननीय गेंदासिंह जी अनडेमोक्रैटिक हैं। उन्होंने मुझे जो कहा था कि अनडेमोक्रैटिकली चल रहे हैं, उसका मैंने प्रतिवाद करने की कोशिश की थी। मैंने कहीं एक लफ्ज भी नहीं कहा कि वह अनडेमोक्रेटिक हैं। लिहाजा उस पर भी जो व्याख्यान हुआ वह निरर्थक रहा।

उन्होंने आज फिर वही बात उठायी जो उन्होंने कल अपना यह संशोधन पेश करते समय कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय उठायी थी। उन्होंने यह फरमाया था कि चकबन्दी समिति को बरखास्त करके दूसरी कमेटी बनाने की गुंजायश इस गवर्नमेंट ने क्यों रखी है। इसका मैं जवाब दे चुका। अब अगर बकरी की तीन टांगें ही कही जायं तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर किसी वजह से किसी कमेटी से काम न चल सके तो गवर्नमेंट को हमेशा अधिकार होता है कि वह किसी दूसरे की नियुक्ति कर सके।

चौथी बात उन्होंने यह कही कि हमने जो चकबन्दी कमेटी बनायी है उसके अलावा चार ऐसे आदमियों को नामजद करने का अधिकार अफसरान को है जिनको वह यह समझते हों कि ईमानदार हैं, काम करने वाले हैं और जो चुनाव में किसी वजह से नहीं आये और जिनके चकबन्दी कमेटी में शामिल करने से सहूलियत हो जायगी जैसा मैं पहले कह चुका हूं। पंजाब से यहां यह अन्तर है कि यहां पर पहले से एक बाडी मौजूद है। जो आदमी किसी वजह से १९४९ में पंचायत राज के चुनाव में नहीं आ सके और आदमी ईमानदार हैं तो चार आदमियों को अफसर मुकर्रर कर सकता है। इससे बेहतर इंतजाम कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती है कि माननीय गेंदासिंह उधर बैठे हैं। अगर इधर बैठते तो कुछ और सोचते। मैं जानता हूं कि

[श्री चरणसिंह]

उनकी मजबूरी है। आखिर कहें क्या? भली से भली बात में छिद्रान्वेषण करना पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं फिर विरोध करता हूं।

श्री गेंदासिंह--खंड १२ की उपधारा (३) में जो यह लिखा है "जब किसी भी समय राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि चकबन्दी समिति बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा क्षतव्य बात के इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये अभ्यर्पित कर्तव्यों अथवा कृत्यों के करने में असफल रही है, अथवा उसने उन्हें करने से इन्कार कर दिया है अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे समिति उक्त कर्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में असमर्थ हो गई है अथवा अन्य किसी हेतु ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों के अनुसार या तो भूमि प्रबन्धक समिति का पुनःसंगठन करेगी या किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के हेतु नियुक्त करेगी।" इसको राजस्व मंत्री ने पढ़ा है या बिना पढ़े ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता। जिस समय वह सामने आयेगा उस वक्त प्रश्न पूछ लिया जायगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है खंड २ में प्रस्तावित नये उपखंड (२-क) को निम्न प्रकार से रख दिया जाय--

"(२-क) 'चकबन्दी समिति' का तात्पर्य उस समिति से है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार गांव सभा द्वारा जोतों की चकबन्दी के हेतु बनाई गई हो जिसकी संख्या ७ से कम तथा ११ व्यक्तियों से अधिक की नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नए खंड २-क तथा २-ख

श्री अवधेश प्रताप सिंह--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य के संशोधन को आप देखें, जिसमें लिखा है "खंड २ के बाद निम्नलिखित नये खंड २-क तथा २-ख के रूप में बढ़ा दिये जायं" लेकिन मोशन के आगे आप देखेंगे "२-क मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) की चौथी पंक्ति में"। श्रीमन्, द्वारका प्रसाद जी मौर्य यह संशोधन मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) की चौथी पंक्ति में लाना चाहते हैं जब कि वह धारा संशोधित होने नहीं जा रही है जब कि वह संशोधन मूल अधिनियम की धारा ३ में आया है।

श्री अध्यक्ष--आपको शायद भ्रम हो गया है कि ५वीं धारा इसकी संशोधित नहीं हुई, इसको वह संशोधित करना चाहते हैं। यह जो आपत्ति है वह उचित नहीं है।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

खंड २ के बाद निम्नलिखित नये खंड (२-क) तथा (२-ख) के रूप में बढ़ा दिये जायं--

"(२-क) मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) की चौथी पंक्ति में शब्द 'आयेगा' के पश्चात् आये हुये 'कामा' के स्थान पर विराम का चिन्ह '।' रख दिया जाय और उसके बाद के शब्द 'और तत्पश्चात् उक्त चैप्टर के अधीन कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार को प्राप्त सभी अधिकार, जब तक उक्त जिला अथवा क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत रहे, क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जायंगे' निकाल दिये जायं।

(२-ख) मूल अधिनियम की धारा ८ में उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (१) रख दी जाय--

(१) भौमिक अभिलेखों (Land records) की उपर्युक्त रीति से परीक्षा कर लेने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी वर्तमान नक्शों तथा अभिलेखों की शुद्धता (Correctness) और ऐसे नक्शों तथा अभिलेखों के पुनरीक्षण की आवश्यकता, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को नियत आकार में और नियत रीति से रिपोर्ट देगा, और

उपधारा (३) में शब्द 'यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के उपबन्धों' के स्थान पर शब्द 'नियत की जाने वाली प्रक्रिया' रख दिये जायं।"

तो इस संशोधन का सम्बन्ध चकबन्दी की प्रक्रिया से है। चकबन्दी के सिलसिले में जो २ (क) वाला संशोधन पेश किया गया है उसमें मेरा आशय केवल इतना है कि जब वहां फिर से सर्वे यानी जांच पड़ताल की जाय तो उसमें लैंड के लिये कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार के प्राप्त अधिकार उन लोगों के हो जायंगे जो चकबन्दी प्रक्रिया के अनुसार चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं। तो इसको निकाल दिया जा रहा है और उनकी जगह पर फिर जो नियमावली के द्वारा जो अधिकार उस काम के लिये दिये जायंगे वही संशोधन किये गये हैं।

जहां तक २ (ख) का सम्बन्ध है उसमें थोड़ा सा अन्तर है। जिस समय रिपोर्ट जायगी तो अगर गांव का नक्शा और खसरा ज्यादा गलत नहीं है शुद्ध है तो उसकी रिपोर्ट डाइरेक्टर के पास जाय या ज्यादा गलत है तो उसकी भी रिपोर्ट डाइरेक्टर के पास जाय। मूल अधिनियम में यह है कि पुनर्वीक्षण की आवश्यकता हो तभी रिपोर्ट जायगी, किन्तु इस संशोधन के बाद इतना अन्तर पड़ता है कि उसकी शुद्धता हो और उसमें पुनर्वीक्षण की आवश्यकता हो तो उसकी रिपोर्ट डाइरेक्टर के पास जाय। पुनर्वीक्षण के लिये जो अधिकारी नियुक्त किया जायगा वह प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त किया जायगा। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। इसलिये मैं श्री गेंदासिंह जी से कहूंगा कि वह यह न समझें कि कोई बहुत बड़ा अन्तर इसमें

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

किया जा रहा है, क्योंकि जब कभी वह बड़ा संशोधन देखते हैं तो यह समझने लगते हैं कि बहुत अन्तर हो रहा है। इसमें केवल प्रक्रिया के सम्बन्ध में अन्तर है। इससे उनके प्रिन्सिपल में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा।

†श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें जो यह बड़ा संशोधन है उससे म यह मौर्य जी के कहने से मान गया कि घबराहट की कोई बात नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो उन्होंने लिखा है कि "नियत की जाने वाली प्रक्रिया" उसके स्थान पर रख दिया जाय तो पहले अधिनियम में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से उनकी कठिनाई पड़ी हो। यह आखिरी जो हिस्सा है, जिसमें यह कहा गया है कि उपधारा (३) में शब्द "यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के उपबन्धों" के स्थान पर शब्द "नियत की जाने वाली प्रक्रिया" रख दिये जायं। तो यह लैंड रेवेन्यू ऐक्ट जो है मैं समझता हूं कि अभी वह प्रचलित है तो जब वह प्रचलित है तो उसकी जगह पर आपको इसे रखने की क्या आवश्यकता पड़ी?

दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने यह कहा अपने दूसरे नम्बर के संशोधन के लिये कि "भौमिक अभिलेखों की उपर्युक्त रीति से परीक्षा कर लेने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी वर्तमान नक्शों तथा अभिलेखों की शुद्धता और ऐसे नक्शों तथा अभिलेखों के पुनरीक्षण की आवश्यकता, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को नियत आकार में और नियत रीति से रिपोर्ट देगा।" यह मूल अधिनियम की धारा ८ में लिखा हुआ है कि "भौमिक अभिलेखों की परीक्षा कर लेने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी नक्शों की शुद्धता तथा नक्शों की और अभिलेखों की यदि पुनरीक्षण की आवश्यकता हो वह बन्दोबस्त अधिकारी को नियत आकार से रिपोर्ट देगा"। माननीय मौर्य जी ने यह कहा कि पहले से अब अन्तर यह पड़ता है कि इस विधेयक के अनुसार जब वह जरूरत समझेगा तब उस अधिकारी को रिपोर्ट देगा। पहले ही अधिनियम में ऐसी बात थी कि पुनरीक्षण आवश्यक है तो वह तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी नियत रीति से रिपोर्ट देगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैंने यह कहा था कि दोनों हालतों में रिपोर्ट देगा। अगर शुद्धता है तो भी और अशुद्धता है तो भी।

श्री गेंदासिंह—माननीय मौर्य जी के ऊपर तो सारे शासन का भार है और अगर वे इसे ठीक समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

खंड २ के बाद निम्नलिखित नये खंड २-क तथा २-ख के रूप में बढ़ा दिये जायं—

"२-क मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) की चौथी पंक्ति में शब्द 'आयेगा' के पश्चात् आये हुए 'कामा' के स्थान पर विराम का चिह्न '।' रख दिया जाय और उसके बाद के शब्द 'और तत्पश्चात् उक्त चैप्टर के अधीन कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार को प्राप्त सभी अधिकार, जब तक उक्त जिला

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अथवा क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत रहे क्रमशः बन्दोबन्त अधिकारी (चकबंदी), चकबंदी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे' निकाल दिये जायं।

२-ख मूल अधिनियम की धारा ८ में उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (१) रख दी जाय---

(१) भौमिक अभिलेखों (land records) की उपर्युक्त रीति से परीक्षा कर लेने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी वर्तमान नक्शों तथा अभिलेखों की शुद्धता (correctness) और ऐसे नक्शों तथा अभिलेखों के पुनरीक्षण की आवश्यकता, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को नियत आकार में और नियत रीति से रिपोर्ट देगा, और

उपधारा (३) में शब्द 'यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चेप्टर ३ के उपबन्धों' के स्थान पर शब्द 'नियत की जाने वाली प्रक्रिया' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नये खंड २-क और २-ख इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १६ निमट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४*

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३७-३८२ पर।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४---
(क्रमागत)

खंड ३

३---मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं १०-क और १०-ख के रूप में बढ़ा दी जायं :---

उ०प्र० अधिनियम ५,१-५४ में नयी धाराएं १०-और ,१०-का बढ़ाया जाना।

जोतों का बंटवारा।

१०-क---(१) ऐसे निरोधों (restrictions) के अधीन जो नियत किये जायं, एक या एक से अधिक खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से किसी भी खाते का स्वत्वधारी खातेदार धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात किसी भी समय, किन्तु धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से अथवा

* ११ मार्च, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

धारा १० के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी दशा हो, पूर्व चकबन्दी अधिकारी के पास प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि खाते में उसका अंश अलग प्रदिष्ट (allot) कर दिया जाय।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन खातेदार द्वारा कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जाय, तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १७८ में किसी बात के होते हुए भी, चकबन्दी अधिकारी खातेदार को उसमें उसके स्वत्वगत अंश के अनुपात से जोत के भाग का स्वत्वाधिकारी समझेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा।

जोतों का एकत्रीकरण।

१०-ख---किसी जोत के स्वत्वाधिकारी खातेदार के लिए यह वैध होगा कि वह किसी भी अन्य खातेदार के साथ आपस में तय किये हुए प्रतिबन्धों के अधीन अपनी जोत को उसकी जोत में सम्मिलित (amalgamate) करा ले और जहां तक कि ऐसा करना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, चकबन्दी अधिकारी भी इसे कार्यान्वित करेगा।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं---

खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा १०-क की उपधारा (१) की पंक्ति १ से लेकर पंक्ति २ में शब्द "एक" के पहले के शब्द हटा दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि ये जो नयी उपधारायें मूल अधिनियम की धारा १० में जोड़ी गयी हैं, उसमें से मैं इन शब्दों को हटा देना चाहता हूं जो सबसे पहले हो १०-क की उपधारा (१) में आये हैं "ऐसे निरोधों के अधीन जो नियत किये जायं," अब अगर इनको रखा जाय तो वह यों होता है---

"१०-क---(१) ऐसे निरोधों (restrictions) के अधीन जो नियत किये जायं, एक या एक से अधिक खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से किसी भी खाते का स्वत्वाधिकारी खातेदार धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से अथवा धारा १० के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी दशा हो, पूर्व चकबन्दी अधिकारी के पास प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि खाते में उसका अंश अलग प्रदिष्ट (allot) कर दिया जाय।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन खातेदार द्वारा कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जाय, तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १७८ में किसी बात के होते हुए भी, चकबन्दी अधिकारी खातेदार को उसमें उसके स्वत्वगत अंश के अनुपात से जोत के भाग का स्वत्वाधिकारी समझेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा।"

अब मुझे इसमें यह कहना है कि इसमें इस बात की व्यवस्था नहीं है कि किन लोगों को हम जमीन बटवारे में न दें। अगर खानदान में ८ भाई हैं अगर हम ३ के लिए कोई व्यवस्था रोजी

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की न कर सकें तो हमें अधिकार नहीं होना चाहिए कि हम उन तीनों को बेरोजगार करके सिर्फ एक को ही जमीन का मालिक बना दें। धारा १७८ जमींदारी विनाश कानून की जहां तक मुझे याद है, उसमें यह है कि बटवारे में एक हद तक जमीन जिसके पास जिस खाते में होगी उससे ज्यादा उसका बटवारा नहीं हो सकेगा। यहां पर इस बात की गुंजायश रखी गयी है कि इस चकबन्दी के सिलसिले में उस धारा का ध्यान न रखा जाय और अगर खातेदारों में से कुछ नहीं चाहते हैं कि हमारी जमीन चकबन्दी में अलग दिखाई जाय, दे दी जाय तो सरकार चाहती है कि यह अधिकार कुछ बन्धन सहित दिया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो शब्द आये हैं "ऐसे निरोधों के अधीन जो नियत किये जायं" इनको हटा दिया जाय। इतने शब्द हटा कर जो संशोधन है वह जैसे का तैसा पास कर दिया जाय। सरकार का जो मंशा है उससे केवल इतना अन्तर पड़ता है कि सरकार कुछ निरोध नियत करना चाहती है और मैं यह कहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर यह बात मान ली जाय तो सरकारी खाते में अगर कोई आदमी शामिल है तो उसमें उसको यह अधिकार होना चाहिये चकबन्दी कराते समय कि वह अपनी जमीन को अलग ले सकें और मैं समझता हूं कि सिद्धान्त रूप में इस संशोधन को लाकर के सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब केवल एक बात रह जाती है कि उसमें कहीं-कहीं जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी स्वयं कहेंगे कि इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, तो अगर आवश्यकता बहुत कम पड़ी तो इसे निकाल दें और जहां कहीं दुरुपयोग होने का भय है यह भय भी दूर हो जाता है और फिर अगर उस निरोध की रूपरेखा भी हमको मालूम हो तो फिर उस पर हम लोग विचार करें, लेकिन मैं समझता हूं कि बेकार वक्त बरबाद होगा उसकी रूपरेखा बताने में और उसे समझाने और समझने में। इसलिये मैं समझता हूं कि केवल इतना अंश निकाल दिया जाय और बाकी संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय। मुझसे जब राजस्व मंत्री जी कभी अपील करते हैं तो मुझे साहस नहीं होता कि मैं उनकी अपील पर इन्कार करूं लेकिन मैं क्या कहूं। वह कहते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करो। विश्वास करने को जी भी चाहता है और अगर वह अकेले इस बात को कहते अपने लिये कि हम पर विश्वास करो और इसका दुरुपयोग नहीं होने पायेगा तो मैं मान जाता लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जबान जो है।

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो असली बात है उस पर कोई आपत्ति माननीय गेंदा सिंह जी को नहीं है। केवल वह यह चाहते हैं कि निरोध अगर कहीं लगाना पड़े तो उसके लिये जो हमने यहां व्यवस्था रखी है वह न रखी जाय। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम इस प्रतिबन्ध को रखें तो इसमें आपत्ति क्या है, हानि किसको क्या होती है। यह तो सिर्फ यह है कि अगर कहीं निरोध लगाना पड़ जाय तो उसके लिये व्यवस्था रहे। मसलन २ एकड़ से जमीन किसी को कम है तो उसका अलग चक नहीं बनेगा। हो सकता है कि ऐसी जरूरत पड़े कहीं आध एकड़ की पड़ जाय, कहीं ढाई एकड़ की पड़ जाय और फिर दूसरे यह कि कहीं शर्त यह लगानी पड़ती है कि १३६१ फसली से पहले से लोग काश्त करते थे तो उनका अलग चक बना दिया जायगा तो वह न बनाया जाय ऐसी कंटिंजेंसीज के लिये विभिन्न परिस्थितियां जो हमारे मुख्तलिफ जिलों में हैं उनको ध्यान में रखते हुये गवर्नमेंट यह अधिकार अपने पास रखना चाहती है और रूल्स बनाना चाहती है और रूल्स बन कर आप के सामने आ जायंगे। मुमकिन है हमको कोई नियम न बनाना पड़े लेकिन अगर कहीं जरूरत पेश आये तो उसके लिये धारा यहां रखी गई है और जब वे नियम विधान सभा के सामने आ जायेंगे तो इसमें शिकायत क्या है। कानून बनते वक्त इसका लिहाज रखना पड़ता है कि न जाने बाद में क्या जरूरत पड़ जाय। आखिर हमें इसमें क्या लुत्फ है कि खामखा के लिये लफज रखें। इसका

[श्री चरण सिंह]

दुरुपयोग क्या होगा अफसरान को तो कोई अधिकार मिल नहीं रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं माननीय गेंदासिंह से कि इस गवर्नमेंट की नेकनियती पर विश्वास करें। यह हम इसलिये रखना चाहते हैं कि बार-बार विधान सभा के सामने संशोधन बिल न लाना पड़े। मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी अब इसे वापस कर लेंगे।

श्री गेंदा सिंह---लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जबान जो है वह कुछ दूध पीने में जल गई है इसलिये मैं पानी को भी जरा फूंक-फूंक कर पीता हूं, बस इतना ही है। मेरे सामने जो नकशा है उस नकशे को मैं बार-बार दोहराता हूं, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि नहीं। कल उन्होंने कहा मुझसे कि तुमने तो सब कुछ आजमगढ़ में करके देख लिया और तुम फेल हो गये। मालूम नहीं कितनी मर्तबा बड़े से बड़े आदमी हमारे मुल्क में फेल हो गये, लेकिन अगर उसको माननीय राजस्व मंत्री जी फेल होना ही कहते हैं तो मैं भी कहता हूं कि ठीक है और उसे उन्हीं की बुद्धि पर ही छोड़ देता हूं। उनके हाथ में ताकत है वह हमें जेलखाने भेज दें, हमें बन्द कर दें, वह सब कुछ कर सकते हैं। मगर मैं कहता हूं कि हमारे ऊपर मुसीबत आयी हुई है। जो आदमी सैकड़ों कष्ट भोगकर मारा-मारा फिरता है उससे भरोसा करने की बात कही जाय, लेकिन फिर भी आप जब अपील करेंगे तब मैं मान जाऊंगा। मैं कहता हूं कि अगर आपके कहने पर मैं मूर्ख बन जाऊं तो उससे दुनिया हमको मूर्ख नहीं समझेगी, आप भले ही समझा करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं। इसलिये मैं मान गया। पहले मौके पर भी मैंने कहा था कि आप बटवारे का अधिकार दीजिये और आज भी कहता हूं कि जमींदारी विनाश की १७८ धारा को बदलिये। अगर आप सब को रोजी देने का बन्दोबस्त न करे तो कम से कम रोजी छीनने की भी कोशिश न करें। हालांकि वह बात यहां पर नहीं आती है लेकिन मैं कहता हूं कि १७६ में आपने कानून बना दिया है कि सवा ६ एकड़ तक के खाते नहीं बट सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सवा ६ एकड़ और इससे कम के खाते हमारे सूबे में ८५ फीसदी हैं। अब ८५ फीसदी खातों का बटवारा नहीं हो पायेगा। इसलिये इस पर विचार करना होगा आपको। आपकी अपील पर मुझे संतोष है और मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं, लेकिन हुजूरवाला, आपसे मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि आजमगढ़ की दुर्गति हमारे यहां न होने पावे।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ३-क

मालमंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के बाद निम्नलिखित नये खंड ३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"३-क---मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (५) में शब्द "प्रत्येक गाटे" के पूर्व शब्द "जहां भी आवश्यक हो" रख दिये जायं।

इसका आशय यह है कि जहां यह लिखा है कि "प्रत्येक गाटे की नियत रीति से आकलित मालगुजारी या लगान जैसी भी दशा हो"। "तो हर गाटे के लगान को निर्धारित करना जरूरी नहीं होगा। ऊपर लिखा है सब क्लाज ४ में कि "प्रत्येक गाटे का लगानी मूल्य तो" लगानी मूल्य हुआ। उसके बाद सब-क्लाज ५ में लिखा है "प्रत्येक गाटे की नियत रीति से आकलित मालगुजारी या लगान जैसी भी दशा हो" इसलिये इसमें जोड़ दिया गया है कि

'जहां भी आवश्यक हो आवश्यक होगा तो किया जायगा और आवश्यक नहीं होगा तो नहीं किया जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री चरण सिंह--स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के बाद निम्नलिखित नये खंड ३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय --

"३-क--मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (५) में शब्द "प्रत्येक गाटे" के पूर्व शब्द "जहां भी आवश्यक हो" रख दिये जांय।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नया खंड ३-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--मूल अधिनियम की धारा १२--

(१) की उपधारा (४) में शब्द "हेतु" और शब्द "मध्यस्थ" के बीच में शब्द "क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) सिविल जज के पास अभिदिष्ट (refer) करेगा, जो उसे" रख दिये जायं। — उ० प्र० अधिनियम ५ की धारा १२ का संशोधन।

(२) की वर्तमान उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(५) उपधारा (४) के अधीन अभिदेश (reference) किये जाने पर आदिम, अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (court of first instance, appeal, reference or revision) में विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियां, जिनमें उस भूमि से सम्बद्ध आगम (title) का प्रश्न उठा हो, रोक दी जायंगी।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५--मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (ङङ) के रूप में बढ़ा दिया जाय :-- — उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १४ का संशोधन।

"(ङङ) वह आधार जिस पर खातेदार सामान्य उपयोगिता की भूमि के लिये अंशदान करेंगे, और"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित नये उपखंड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(ङङ) वह आधार जिस पर खातेदार सामान्य उपयोगिता के प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित भूमि के लिये अंशदान करेंगे और वह सीमा जिस तक खाली भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजनों के निमित्त किया जा सकेगा।"

इसमें तो सिर्फ यही बात है कि नियम बनाने के समय इन बातों पर विचार कर लिया जायगा कि किस रूप में अंशदान करेंगे, अस्पताल, स्कूल, चरागाह के लिये और दूसरे उपयोगी कामों के लिये अंशदान कैसे होगा। इसी लिये यह रखा गया है। मुझे आशा है कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक शाब्दिक संशोधन चाहता हूं। आखिर में "जा सकेगा" शब्द के बाद यह शब्द बढ़ा दिये जायं :--

"जो चकबन्दी समिति की सलाह से निश्चित किया जायगा।" अब यह खंड इस प्रकार होगा --

"वह आधार जिस पर खातेदार सामान्य उपयोगिता के प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित भूमि के लिये अंशदान करेंगे और वह सीमा जिस तक खाली भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजनों के निमित्त किया जा सकेगा, जो चकबन्दी समिति की सलाह से निश्चित किया जायगा।"

श्री चरणसिंह--वह तो सारी चीजों को गवर्न करता है। चकबन्दी समिति की सलाह सभी में ली जायगी और इसमें भी ली जायगी।

श्री गेंदासिंह--मैं समझता हूं कि यहां अगर इसको स्पष्ट कर दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि इस खंड के कंटेस्ट में कहीं चकबन्दी समिति का कोई जिक्र नहीं है। जहां तक जमीन के अंशदान देने की बात मौर्य जी ने कही है, यह बात ठीक है कि गांवों के निकास के लिये, गांवों के खेल के मैदान के लिये, स्कूल के लिये, चरागाह के लिये, सड़कों के लिये और दूसरी चीजों के लिये जमीन का एक सिद्धांत निश्चित किया जायगा कि कितनी जमीन ली जाय, किस अनुपात से ली जाय। यदि चकबन्दी समिति की सलाह से यह काम किया जायगा तो मुझे यह विश्वास है कि जो सबसे अधिक लोगों का तबका होगा उसकी सलाह से यह काम होगा। उसमें फिर असंतोष और अविश्वास करने का कारण नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री चरणसिंह--आपकी इजाजत से मैं धारा १४ की उपधारा (२) की तरफ माननीय गेंदासिंह जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है, "सहायक चकबन्दी अधिकारी भूमि प्रबन्धक समिति की मंत्रणा लेकर नियत रीति से इस विवरण को तैयार करेगा" तो इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि यही चीज नहीं बल्कि सभी चीजें चकबन्दी समिति की सलाह से तय करेगा। अब आप इसमें लिखवाना चाहते हैं तो भ्रम हो जायगा कि जो इसके अलावा और चीजें हैं उनमें चकबन्दी समिति की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदासिंह--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित नये उपखंड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(ङङ) वह आधार जिस पर खातेदार सामान्य उपयोगिता के प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित भूमि के लिये अंशदान करेंगे और वह सीमा जिस तक खाली भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजनों के निमित्त किया जा सकेगा।"

(प्रश्नउपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--मूल अधिनियम की धारा १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १५ का संशोधन।

"सिद्धांतों के विवरण की तैयारी में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत।

१५-(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अधीन सिद्धांतों का विवरण तैयार करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, यथा :--

(क) गांव की भूमि का विभाजन और वर्गीकरण विभिन्न हारों (blocks) में किया जायगा, जो संख्या में बिना चकबन्दी संचालक की आज्ञा प्राप्त किये तीन से अधिक न होंगे और निम्निलिखित तथ्यों पर विचार करके परिच्छिन्न (demarcated) किये जायेंगे; यथा :--

(१) गांव में उगाई जाने वाली फस्लों की किस्म और संख्या,

(२) मिट्टी की किस्म,

(३) सिंचाई की सुविधाओं का होना अथवा न होना, और

(४) किसी नदी की बहिया में पड़ने वाली भूमि का होना,

(ख) केवल उन्हीं खातेदारों को किसी हार (block) विशेष में भूमि मिलेगी जिनके पास वहां पर पहले से भूमि हो;

(ग) आबादी के लिये तथा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट (earmarked) क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या, गांव की हारों (blocks) की संख्या से अधिक न होगी;

(घ) एक ही परिवार के खातेदार को जहां तक संभव होगा पड़ोस वाला चक दिया जायगा;

(ङ) खातेदार के निवासगृह अथवा उसके द्वारा की गयी समुन्नति (improvement) की स्थिति पर यदि कोई हो, जहां तक संभव हो चक प्रदान करने में विचार किया जायगा;

(च) छोटे खातेदार को जहां तक संभव हो गांव की आबादी के पास भूमि दी जायगी;

(छ) वर्तमान संहत जोत (existing compact holding) अथवा फार्म जिसका क्षेत्रफल सवा छः एकड़ या उससे अधिक हो, जहां तक संभव हो, वितरित अथवा विभक्त नहीं किया जायगा;

(ज) प्रत्येक खातेदार को जहां तक संभव हो, उसी हार (block) में भूमि प्रदान की जायगी जिसमें उसकी जोत का अधिकतम अंश हो;

(झ) खंड (ज) के अधीन गाटों की प्रदेशना (allotment) उनके लगानी मूल्य के आधार पर की जायगी : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रस्तावित प्रदिष्ट किये जाने वाले गाटों का क्षेत्रफल, जहां तक संभव हो, मूल गाटों के २५ प्रतिशत से अधिक न हो।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी अन्य ऐसे सिद्धांतों का भी ध्यान रखेगा, जो नियत किये जायं अथवा जिन्हें भूमि प्रबन्धक समिति निर्दिष्ट करे और जो इस अधिनियम तथा नियमों से असंगत न हों।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की पंक्ति ५ तथा पंक्ति १२ में अल्पविराम अथवा अर्द्धविराम और शब्द "यथा" निकाल दिये जायं।

शब्द "यथा" का मतलब होता है उदाहरणार्थ। अंग्रेजी में यह शब्द "नेमली' से लिया गया है। जिनका उदाहरण देना होता है उसमें केवल २-४ दिये जाते हैं लेकिन नमली में सब आ जाते हैं। मेरे ख्याल में यदि मेरा संशोधन मान लिया जाय तो उसके मतलब में कोई बाधा नहीं पड़ती है। मैं आशा करता हूं कि यह मान लिया जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ की पंक्ति ५ तथा पंक्ति १२ में अल्पविराम अथवा अर्द्धविराम और शब्द "यथा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशभान राय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की धारा १५ (१) की उपधारा (घ) में शब्द "एक ही परिवार के खातेदार" के स्थान पर शब्द "चाहने वाले खातेदारों" रख दिये जायं।

इस प्रस्ताव की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि 'परिवार' शब्द की कोई परिभाषा इसमें नहीं है। इसलिये यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि परिवार के माने क्या लगाये जायेंगे और कौन-कौन शब्द लगाये जायेंगे। जो लोग चाहते हैं कि उनका चक एक जगह बना दिया जाय तो जहां तक संभव हो सके उन्हें वह सुविधा दी जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक ही परिवार के खातेदार शब्दों को हटाकर "चाहने वाले खातेदर" रख दिये जायं। चाहे वह एक परिवार के हों या कई परिवार के हों अगर वह चाहते हों तो उनका चक एक ही स्थान पर यदि संभव हो सके तो रख दिया जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह "चाहने वाले खातेदार" शब्द रख देने से तो झगड़े वाली बात हो जायगी। इसलिये यह स्वीकार नहीं है। एक ही परिवार के लोग अगर चाहें तो उनको एक जगह रखा जा सकेगा लेकिन अगर सब आदमी गांव में चाहने लगेंगे तो कैसे संभव हो सकेगा।

श्री केशभान राय--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बतला दिया कि इसमें परिवार शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिये पता नहीं चल सकता है कि इसमें कौन-कौन लोग

आयेंगे। अगर गांव भर चाहे और संभव हो सके तो कर दिया जाय। कोई वजह नहीं है कि इसको न रखा जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि जो बाधा उपस्थित की जा रही है वह कोई बाधा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपने मित्र से दरख्वास्त करूंगा कि वह इसे वापस ले लें। इसकी वजह यह है कि इससे दिक्कत बढ़ेगी। मान लीजिये कि मैं चाहता हूं कि मेरा चक श्री केशभान राय जी के पास हो जाय। इसलिये यह आफिसरों को बेकार का काम बढ़ जायगा। श्री रामलखन जी चाहते हैं कि उनका चक श्री मौर्य जी के पास हो जाय। इस तरह से अगर गांव के सभी लोग इच्छा करने लगें तो जमीनों की हैसियत बराबर करने में बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि एक जमीन की हैसियत बराबर करने में और चक बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर यह कैसे होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन काम इतना ज्यादा हो जायगा कि अगर किसी गांव में चकबन्दी करने में एक महीना लगता तो इसकी वजह से छः महीने लग जायेंगे या कम से कम दो महीने तो लग ही जायेंगे जो चकबन्दी समिति होगी वह जो चाहे कर ले। यह नियम तो इलास्टिक (elastic) है कोई रिजिड (regid) नहीं है। इसलिये इस तरह से रखकर आफिसरान के हाथ बांध देना ठीक नहीं होगा। श्री केशभान राय जी यदि इस पर फिर विचार करेंगे तो वह मेरी राय से सहमत हो जायेंगे।

श्री केशभान राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)।

‡**श्री गेंदा सिंह**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (१) का भाग (छ) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अनावश्यक सा मालूम होता है। "वर्तमान जोत जिसका क्षेत्रफल ६ एकड़ अथवा उससे अधिक हो, जहां तक संभव हो विभक्त नहीं किया जायगा।" मैंने पहले ही कह दिया था और माननीय राजस्व मंत्री जी की ही जबान से इस संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी उन्मूलन समिति के आधार पर जो तेईसवें पन्ने पर उन्होंने कहा है कि "सवा छः एकड़ की आराजी को लाभकर मान लें तो प्रांत के ८५.४ प्रतिशत किसानों की अर्थात् १,०४,८५,४११ आराजियां लाभकर नहीं है। तो इस चकबन्दी का काम तो बिलकुल टूट जायगा अगर सवा छः एकड़ वाली आराजी को हम छोड़ दें। सवा छः एकड़ वाली आराजी को बगैर छोड़े और बगैर उस से पूर्व कुछ नतीजा कायम किये यह चकबन्दी चल नहीं सकती और जब सिर्फ चकबन्दी खेतों की ही नहीं कर रहे हैं बल्कि गांव का पुनर्निर्माण भी कर रहे हैं, जैसा कि राजस्व मंत्री जी कहते हैं, तो अगर मान लीजिये कि गांव के पास किसी स्थान पर सवा छः एकड़ वाले को ही देना है तो उनको तोड़ने की जरूरत पड़ जायगी। इसलिये यह अनावश्यक सा हमको लगता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में इस बात की भी हमने गुंजाइश की है कि जो छोटे किसान होंगे उनको हम गांव के नजदीक जमीन देंगे। तो फिर सवा छः एकड़ वालों से छुआ छूत न करेंगे। सवा छः एकड़ वालों को हम ऐसी गुंजाइश दे दें कि हम उनको नहीं छुयेंगे। इसके रहते हुये माननीय मंत्री जी का जो कानून है कि छोटे किसानों को गांव के करीब जमीन दे देंगे, वह पूरा नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रख कर के वह इस धारा को निकाल देंगे। यो तो उनकी मरजी है, जो चाहें वह कर सकते हैं लेकिन इन बातों की ओर उनका ध्यान दिलाने के बाद मुझे उम्मीद है कि ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होगी और वह इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सवा छः एकड़ या सवा छः एकड़ से ऊपर क्षेत्रफल के चक हैं कितने ? ऐसा कौन सा खुशकिस्मत गांव है कि जिसके चारों तरफ सवा छः एकड़ या उससे ज्यादा के चक पड़े हुये हैं। हमारी मंशा

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

है कि छोटे किसानों के चक गांव के नजदीक पड़ जायं। लेकिन सवा छः एकड़ या सवा छः एकड़ से ज्यादा के कहीं पर चक हों तो जहां तक सम्भव हो उन्हें न तोड़ा जाय। यह इसमें कहा है कि कहीं किसी किसी खास आदमियों को एक जगह लाया जाय जिनकी जमीन सवा छः एकड़ से ज्यादा हो ? इसमें तो मुश्किल पड़ जायगी। यह जो सिद्धांत है कि छोटों को गांव के पास चक दें, उससे कोई बाधा नहीं पड़ती और अगर बाधा भी पड़ती है तो इसमें लिखा है कि "जहां तक संभव हो" यह रिजिड (Regid) कहां है। अगर किसी और उसूल से यह टकराता है तो चकबन्दी आफिसर उसको नहीं मानेगा और चकबन्दी समिति के मशविरे से ही काम होगा। इसमें कई परस्पर विरोधी सिद्धांत हैं, जो एक दूसरे से टकराते हैं। कहां लाजमी है कि चकबन्दी कमेटी इन सब सिद्धांतों को मानें ? वह इनमें से किसी को माने या न मानें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी से एक और दरख्वास्त करूंगा कि वह मुझे ऐसा न ख्याल करें कि "गिविन अप फार लास्ट" जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इस आदमी से बहस करना बेकार है और यह कि वह जो चाहे कर सकते हैं और चाहे जो करने के लिये यहां बैठे हैं। ऐसा क्या किसी का दिमाग खराब है कि चाहे जो कुछ भी कर डाले ? जो बात माकूल है, जो लोगों के फायदे की है, आप लोगों के मशविरे से वही बात की जाती है।

†श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मुझे दुख होता है यह देखकर कि सवा ५ एकड़ के जो मौजूदा चक हैं उनको हमारे माननीय गेंदा सिंह जी तोड़ना चाहते हैं और इससे जनता को सुख पहुंचाना चाहते हैं। मैं तो समझता हूं कि उनको एक भ्रम सा है। पहले तो उनको यह भ्रम था शायद कि इसका संबंध वह जमीन से देखते थे लेकिन अब सवाल जहां तक सवा छः एकड़ के चक का उठता है मैं समझता हूं कि शायद किसी गांव में कतिपय लोगों के पास ऐसे चक होंगे। यदि माननीय गेंदा सिंह जी को कुछ आपत्ति हो, क्लेश होता हो, दुख होता हो और उनसे यह सहन न होता हो कि लोगों के पास अब भी क्यों सवा छः एकड़ है या उसके साथ-साथ एक चक में क्यों है तो संभव हो सकता है। ऐसी ही भावना के साथ वह ऐसे संशोधन भवन के सम्मुख पेश करते हैं।

श्री चरण सिंह—उनकी नजर आपके चक पर है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, जहां तक कि मेरे चक का ताल्लुक है उस पर माननीय गेंदा सिंह जी की नजर तो अब हो सकती है, लेकिन श्रीमान् की तो बहुत पहले से थी।

अब ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें और अगर उनकी यह भावना हो कि माननीय मंत्री जी को या मुझे कुछ वह प्रत्युत्तर में कहना चाहते हों तो वह सहर्ष कह सकते हैं, लेकिन वह यह न भूलें कि जैसे माननीय राजस्व मंत्री बहुत सी गलतियां कर रहे हैं तो वह उनसे भी अधिक गलतियां कर रहे हैं।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय गेंदा सिंह जी ने यह प्रश्न रखा है कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (।) कामा, (छ) निकाल दिया जाय मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके पढ़ने से यह मालूम हो रहा है कि माननीय मंत्री जी का जो मंशा है कि छोटे-छोटे खातेदारों को खेती करने के लिये वह पास की जमीन देंगे जिसमें कि वह तरकारी वगैरा बोकर ज्यादा पैदावार कर सकें, वह मंशा पूरा नहीं होगा। वह अपने यहां की बात कर रहे हैं। हमारे यहां बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास सवा छः एकड़ से ज्यादा जमीन है जैसे हमारे पहले के भूतपूर्व जमींदार हैं या और जिन लोगों के बहुत बड़े-बड़े खाते हैं, उन लोगों

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के खाते अगर तोड़े नहीं जाते हैं तो वह जो छोटे-छोटे आदमी हैं जो कि थोड़ी सी जमीन से ज्यादा पैदावार करके अपनी गुजर करते हैं, उनको वह जमीन कहां से देंगे और राजस्व मंत्री जी का मंशा पूरा कैसे होगा। उसको अगर वह छुयेंगे नहीं तो कहां से उनको जमीन देंगे ? इसलिये मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी माननीय गेंदा सिंह का संशोधन स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसको तो माननीय राजस्व मंत्री ने स्वीकार कर लिया कि कुछ इसमें ऐसे भी खंड हैं कि जो परस्पर विरोधी हैं और इसे मैं भी समझता हूं कि वह परस्पर विरोधी हैं। एक तरफ यह कहना कि हम चाहते हैं कि छोटे काश्तकार को गांव के नजदीक जमीन देंगे और दूसरी जगह यह कहना कि सवा छः एकड़ या सवा छः एकड़ के ऊपर के खातेदारों को जहां तक सम्भव हो सकेगा हम छुयेंगे नहीं, यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। तो परस्पर विरोधी बातों को जितना ही साफ कर दिया जाय, दूसरों के ऊपर भाष्य करने का बोझ न डाला जाय उतना ही अच्छा है और वह भी कैसे लोगों के ऊपर भाष्य करने का बोझ डाला जा रहा है जैसे कि चकबन्दी समिति के ऊपर वह भाष्य किया करे। तो मैं समझता हूं कि इस भाष्य करने में ठीक मंशा जो है इस कानून, का वह वहां तक पहुंच नहीं पायेगा। मैं मंशा यह समझता हूं कि छोटे काश्तकार जमीन गांव के नजदीक पा जायं। लेकिन जब उस कानून के बाद यह संशोधन पहुंचेगा तो हर आदमी सोचेगा कि पहले से तो कानून बनाया गया था, लेकिन बाद को संशोधन में यह बात सोची गयी कि भाई यह हो जानना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि एक तो थोड़े ही लोग हैं सवा छः एकड़ वाले और उसमें यह कहना कि जहां तक सम्भव हो तो सवा १४ फीसदी सवा छः एकड़ वाले या उससे ऊपर वाले हैं और उनमें से भी हम जहां तक सम्भव हो उनको नहीं छुएंगे तो यह मैं समझता हूं कि इसमें कठिनाई पड़ेगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मुनासिब होगा कि हम बिल्कुल खुला छोड़ दें कि चकबन्दी समिति या जो भी अधिकारी वहां जा रहा है वह वहां आपस में इस बात को तय कर लेता कि सवा छः एकड़ वाले को छोड़ देना चाहिए या सवा छः एकड़ वाले से लेना चाहिये। यह काम अगर उसकी बुद्धि पर छोड़ दिया जाता तो ज्यादा मुनासिब नहीं होता। इसलिए मैं अपने संशोधन को चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफसोस है कि मैं गेंदा सिंह जी के संशोधन को स्वीकार करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं।

पहली बात आपने यह कही कि इसकी ताबीर और अर्थ करने की जिम्मेदारी चकबन्दी समिति पर डाल दी और अभी माननीय गेंदा सिंह जी दहाड़ रहे थे, (अगर वह इस लफ्ज के लिए माफ करें,) कि साहब बिला लोगों की रजामन्दी के कर रहे हैं। वही यह चकबन्दी समिति है जिसको आप कह रहे थे कि फिर चुनी जानी चाहिए पुरानी चुनी हुई आउट आफ डेट हो गयी और उसमें न मालूम कितने गुण बताये जा रहे थे। उसी चकबन्दी समिति पर छोड़ा जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि इसमें जो धारा है वह यह है—"सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अधीन सिद्धान्तों का विवरण तैयार करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा"—

उसके लिये लाजिमी नहीं है। अगर कहीं विरोधाभास है तो एक को न माने दूसरे को माने या उसमें कुछ संशोधन कर दे। क्योंकि यह सिद्धान्त रिजिडली फालो हो नहीं कर सकते इसलिये हर जगह जहां तक सम्भव हो रख दिया गया है। पहले भी यही था कि छोटे किसान को जहां तक सम्भव होगा गांव के नजदीक जमीन दी जायगी।

[श्री चरण सिंह]

और सबा छः एकड़ या उससे कम भूमि है तो यह सम्भव नहीं तोड़ी जायगी। इन आर्डर आफ प्रायरिटी इम्पार्टेंस कम हो गयी यह बात नहीं है। इस तरह का ख्याल करने की कोई बुनियाद नहीं है। मैंने यह कहां कहा है कि जो पहले नम्बर पर है उसका सब से अधिक महत्व होगा और जो सोलहवें नम्बर पर है उसका महत्व १/१६ रह जायगा। सब एक ही सा महत्व रखते हैं। अगर माननीय गेंदासिंह जी की तसल्ली होती हो तो आगे पीछे कर दें तो मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १५ की उपधारा (१) का भाग (छ) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नागेश्वर प्रसाद द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (१) के भाग (ज) की पंक्ति १ व २ में शब्द "उसी हार (Block) में" निकाल दिये जायं तथा उसके स्थान पर शब्द "हार में वहां" रख दिये जायं तथा पंक्ति २ में "जायगी" के बाद "जिसमें" शब्द निकाल कर "जहां" रख दिया जाय।

मैं समझता हूं कि अगर यह खंड इसी तरह से पास कर दिया जाता है तो उसका अर्थ हो जायगा कि जो तीन चार हार बनेंगे उनमें जिस आदमी की जमीन ज्यादा होगी उसी में उसे जमीन मिल जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय जिससे अलग-अलग हारों में जहां-जहां उसकी जमीनें हों उसको वहां-वहां जमीनें मिल सकें। कानून की भी यही मंशा है जो मेरे संशोधन की है कि अलग-अलग हारों में जमीन मिल सके। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं इस संशोधन के लिये श्री नागेश्वर प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूं। वास्तव में जिस प्रकार है अगर वैसा ही रह जाय तो जो मंशा है वह पूरी नहीं होती। मंशा यही है कि किसी भी हार में जिसकी जहां जमीन हो उसे वहां जमीन मिले। अगर तीन हार बनते हैं और किसी शख्स की जमीन तीनों हारों में है तो उसे तीनों हारों में जमीन मिले। लेकिन इसकी शब्दावली अगर ऐसे ही रह जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि जिस हार में उसकी जमीन अधिक है उसी हार में उसे जमीन मिल पायेगी, दूसरे हार में नहीं मिल पायेगी। इस संशोधन से अर्थ साफ हो जाता है इसलिये मैं उसे स्वीकार करता हूं।

***श्री केशभान राय**—मैं श्री नागेश्वर प्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो शब्दावली है उस पर विचार करें। प्रत्येक खातेदार को उसी जोत में जमीन दी जायगी जिसमें उसकी जोत का अधिकतम अंश है। एक गांव में कई हार बनाये जायंगे। मान लीजिये दो प्रकार की जोत है ए और बी। ए में भी जमीन है और बी में भी जमीन है। ए में अधिक है। तो इसका मतलब यह हो जायगा कि बी वाली जोत में उसे जमीन नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है कि विधेयक का यह उद्देश्य नहीं है। मान लीजिये ए ब्लाक एक फसली है और बी ब्लाक दो फसली है तो वह बी ब्लाक में जमीन नहीं पा पायेगा जिसमें उसकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन कम है। नागेश्वर प्रसाद जी का जो प्रस्ताव है उससे जो विधेयक का अर्थ है वह सिद्ध हो जाता है और उसको हर ब्लाक, में जिसमें उसकी जमीन है, जमीन मिल सकेगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—उसे तो पहले ही स्वीकार किया जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (१) के भाग (ज) की पंक्ति १ व २ में शब्द "उसी हार (Block) में" निकाल दिये जायं तथा उसके स्थान पर शब्द "हार में वहां" रख दिये जायं तथा पंक्ति २ में "जायगी" के बाद "जिसमें" शब्द निकाल कर "जहां" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (१) के भाग (झ) की अन्तिम पंक्ति में संख्या "२५" के स्थान पर "१२ १/२" रख दिया जाय।

महोदय, मैं दोनों तरफ से इस विधेयक के सम्बन्ध में कल से विवाद सुन रहा था और सरकारी पक्ष के एक सदस्य ने सुल्तानपुर के यह कहा कि विरोधीदल के लोग सुल्तानपुर में चकबन्दी के विरोध में झूठा प्रचार कर रहे हैं। विरोधी दल का मतलब यह हुआ कि जो यहां पर विरोधी दल है। विरोधी दल तो यहां पर कई पार्टी हैं अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं तो वह गलत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उधर से अगर इसको स्पष्ट कर दिया जाय तो अच्छा है। कोई भी पार्टी पनप नहीं सकती है अगर वह गलत आधार पर प्रचार करती है और जिस कानून से जनता का हित होता है अगर उसमें बाधा डाली जाती है या उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो यह गलत बात है।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है माननीय मंत्री जी को स्वयं इसका अनुभव हुआ होगा और अन्य माननीय सदस्यों को भी इसका अनुभव हुआ होगा कि अगर गरीबों के लिये कोई मार्मिक स्थान है जिसके बारे में कोई आशंका हो सकती है तो यही हो सकती है कि कहीं ऐसा न हो कि उनसे अच्छी जमीन ले ली जाय और उनको खराब जमीन दे दी जाय। यह सवाल माननीय मंत्री जी से अक्सर पूछा जाता होगा। हमसे अक्सर पूछा जाता है। इस विधेयक में यह रखा गया है कि जब खेतों का आदान-प्रदान इस चकबन्दी के सिलसिले में हो तो और भी प्रतिबन्ध अवश्य हों, लेकिन जहां तक रकबे का सवाल है उसमें २५ फीसदी का फर्क हो सकता है। किसी का अगर १०० बीघा है तो उसके बदले में दूसरे को १२५ बीघा मिल सकता है और किसी को २५ बीघा कम भी मिल सकता है यानी उसको १०० के बजाय ७५ बीघा भी मिल सकता है तो यह जो २५ की संख्या रखी गयी है उसके स्थान पर मैं चाहता हूं कि १२ १/२ रख दिया जाय। गेंदा सिंह जी चाहते थे कि बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिये लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से इसमें कठिनाई पड़ती है। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो अपना संशोधन रखा है उसको हमने आधा तो स्वीकार कर लिया है और वास्तविकता भी यह है। राजस्व मंत्री जी भी इसको जानते हैं कि सरकार यहां पर अच्छा कानून बनाती है, लेकिन उससे आम जनता को लाभ कम पहुंचता है। यह बड़ी समस्या है और इस पर सरकार को और हमको विचार करना चाहिये। ऐसा किसान जो ट्यूबवेल से अपने खेत को सींच रहा है वह यह तो समझता है कि नाली से उसके खेत में पानी जा रहा है लेकिन बीच में

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जो बालू का गढ़ा है वह उसको सोखता जाता है और उस खेत तक पानी नहीं पहुंचता है। तो वही हालत यहां पर है जिसके ऊपर हमको और आपको विचार करने की जरूरत है। यही वह धारा है जिसके जरिये से भ्रष्टाचार को अवसर मिलेगा और इससे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा। मूल अधिनियम की धारा १५ में इस किस्म के अदलाव बदलाव के लिये प्राविजन था जो इस प्रकार था कि : "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रदिष्ट किये जाने वाले गाटों के क्षेत्रफल मूल गाटों के क्षेत्रफल का २० प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं रहेगा" खेतों के सम्बन्ध में चकबन्दी करने के लिये आदान-प्रदान के समय इस बात का प्राविजन किया गया है कि २० प्रतिशत से अधिक अन्तर न रहे किन्तु अब सरकार ५ प्रतिशत और बढ़ाने की बात सोच रही है। इस बात की आमतौर पर आशंका है और वह आशंका इसलिये और भी बढ़ जाती है कि जहां तक चकबन्दी अधिकारी का सवाल है सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि गजटेड आफिसर हो, लेकिन साधारणतौर पर काम करने के लिये एक कानूनगो को भी उस काम के लिये रखा जायगा। हमारे प्रदेश की जनता कानूनगो और पटवारियों से कितनी दुःखी रही है यह तो माननीय मंत्री जी जानते ही हैं। किसी भी सहायक चकबन्दी अफसर के लिये जो कि एक मामूली कानूनगो की हैसियत का होगा, यह आसान होगा कि वह २५ के बदले ४० प्रतिशत तक क्षेत्रफल घटा बढ़ा दे। मेरे साढ़े बारह को अगर वह २० तक भी ले गया तो ओरीजिनल बिल की मंशा पूरी होगी मगर २५ को तो ४० तक ले जा सकता है। देहातों में इस पर बहुत आपत्ति है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैं माननीय रामनारायण जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। २५ फीसदी से लोगों को क्षति पहुंच सकती है और इससे अशान्ति और क्षोभ पैदा होंगे। माननीय मंत्री जी कानून से पूर्णरूप से परिचित हैं। अतः वह सम्भवतः वही जवाब मुझे देंगे जो गेंदासिंह जी को अभी दिया था क्योंकि मंत्री जी की बुद्धि में कोई अन्तर नहीं है। वह यह कि कंसालिडेशन कमेटी को अधिकार है कि उसके सिद्धान्त को कंसालिडेशन अफसर को मानना लाजिमी है। इसके विषय में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महज उन सिद्धान्तों पर मैनेजमेंट कमेटी के जोकि भविष्य में कंसालिडेशन कमेटी कहलायेगी, सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा सकता है वहां तक जहां तक कि इस अधिनियम से विरोध न करता हो। परन्तु कंसालिडेशन कमेटी की इच्छाओं की पूर्ति अवश्य की जाय, यह कहीं ऐक्ट में नहीं है। आपकी आज्ञा से मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

"The Assistant Consolidaton Ofiicer shall in preparing the stateme rt of principles under section 14, have regard to the following principles, namely,"

इसमें कई आधार दिये हैं जो कि पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह प्राविजन है कि—

"provided that the area of the plots propsed to be allotted does not differ as far as possible by more then 25% of the area of the original plots."

दूसरा यह है कि—

"The Assistant Consolidation officer shall have regard to such other principles as may be prescribed or specified by the land managing Committee and are not inconsistent with the provisions of this Act and the Rules."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक कंसोलिडेशन कमेटी का सम्बन्ध है उनके अधिकारों की सीमा वहीं तक है जहां तक हमने इस अधिनियम के द्वारा उनको अधिकार दिये हैं। लेकिन इसमें जब कि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि २५ फीसदी तक अंतर रह सकता है तो ऐसी अवस्था में काश्तकारों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो सकती है, उनके हकूक को ठेस पहुंच सकती है। अतः मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इसको ध्यानपूर्वक सोच लें और यदि इसमें विशेष आपत्ति न हो तो इस संशोधन को उन्हें मान लेना ही लाभदायक होगा।

*श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं रामनारायण जी जैसे गंभीर व्यक्ति से यह आशा भी करता था कि वे ऐसी बात कभी न कभी अवश्य कहेंगे कि उनका दल या कोई और दल यदि चकबन्दी का विरोध करता है तो ग़लती करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सुल्तानपुर से यह समाचार आया है और प्रतापगढ़ में भी जहां अभी चकबन्दी नहीं हो रही है, वहां भी इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि चकबन्दी के द्वारा सरकार काश्तकारों की जमीनें छीन लेना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय रामनारायण जी चाहेंगे तो उनके दल की ओर से इस प्रकार के बांटे गये पर्चे को उनकी सेवा में भेज दूंगा तथा आपके द्वारा उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि जो विचार उन्होंने यहां व्यक्त किये हैं उनका कड़ाई से अनुशासन के साथ पालन करायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जो कदम चकबन्दी का उठाया है वह काश्तकारों के भाग्य का निर्णय अच्छी दिशा में करने वाला है।

जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है मुझे केवल एक बात कहना है कि वह यह कि मेरी तरह से माननीय रामनारायण जी भी गांव के रहने वाले हैं। वे जानते हैं कि गांवों की विभिन्न जमीनों की हैसियत में बहुत ज्यादा अन्तर है। अगर उनके कहने के अनुसार सीमा निर्धारित कर दी जाय तो जो आशंका आज उनको हो रही है वह अवश्य प्रत्यक्ष हो जायगी। मिसाल के लिये किसी भी की २ बीघा अच्छी जमीन है और उस जमीन को दूसरे चक में शामिल करना है। अगर ऐसी दशा में साढ़े बारह फीसदी मिला कर उसको दे दी जायगी तो उसको जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अवधेश-प्रताप जी ने जो इस संशोधन का समर्थन किया वह तो ठीक ही किया। उसको तो मैं समझ पाया। उनका रुख और निशाना ठीक था, क्योंकि उनकी जमीन तो जितनी थोड़ी कम हो उतनी ही अच्छी बात है। लेकिन रामनारायण जी त्रिपाठी की यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब जमीन की हैसियत में इतना अन्तर है तो उसका वेल्यूएशन कैसे होगा? इस विधेयक में माननीय मंत्री जी संभवतः यह मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा २०-२५ प्रतिशत तक सीमा रक्खी जाय। फिर जिलाधीश को यह अधिकार होंगे कि वह गांव की परिस्थिति को जानते हुए, वहां के लोगों की राय लेकर इस प्रतिशत को कम या ज्यादा कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इतनी साफ सी चीज है तब फिर कोई रजिड कर देना कि १२ १/२ फीसदी तक नहीं होगा तो इससे बड़ा नुकसान हो जायगा। मैं समझता हूं कि इस संशोधन से कोई लाभ नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी से प्रार्थना करूंगा कि पड़ोस में बैठने के कारण माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी से सहमत होकर उनके लक्ष्य की पूर्ति के साधन न बनें और अन्त में मैं फिर उनके उस विचार के लिये उनको धन्यवाद देता हूं जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

उन्होंने चकबन्दी के विषय में इस सदन के सामने रखे हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि ये सेंटेंस जो उन्होंने कहे हैं वे कल अखबारों में बड़ी मोटी-मोटी लाइनों में निकलें ताकि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के रहने वाले लोगों को, जो वहां पर काम कर रहे हैं, एक सही रास्ता मिल सके।

*श्री केशभान राय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। साढ़े १२ फीसदी हो या २५ फीसदी हो इस पर हमें गौर से विचार करना है। हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि खातों के बनाने में बड़ी ही व्यावहारिक कठिनाई होगी इसलिये हमें तो एक आदर्श रखना है, ताकि इसमें कोई विशेष अन्तर न पड़े। मैं समझता हूं कि जितना ही अन्तर अधिक होगा उतना ही बटवारे में सहूलियत होगी और जितना ही अन्तर कम रखा जायगा उतना ही बटवारे में कठिनाई होगी। हमें तो ऐसा रखना है कि उस आदर्श की भी पूर्ति हो सके और क्षेत्रफल के अन्दर बहुत ज्यादा अन्तर न पड़े और चकबन्दी में जो व्यावहारिक कठिनाई होगी उसे दूर करने की बात भी आ जाय। साढ़े १२ फीसदी हो या २५ फीसदी हो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम कोई सीमा निर्धारित करें तो हमें गाटों की संख्या भी निर्धारित करनी होगी। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि अगर हम २५ फीसदी से कम अन्तर रखते हैं तो इसका तात्पर्य यह हो जाता है कि साधारणतया हमें कुल ब्लाकों की संख्या भी बढ़ा देनी पड़ेगी। वहां एक एक खेत को इकट्ठा करके उसका चक बनाना होगा। २५ फीसदी से जितना ही कम रखेंगे उतनी ही कठिनाई पैदा हो जायगी और इन कठिनाइयों को दूर करना चकबन्दी अफसर के लिये कोई आसान काम नहीं होगा। इस मामले को हल करना बहुत कठिन हो जायगा। हमें बार-बार जहां तक सम्भव हो सकेगा उनको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिये मैं यह चाहता हूं कि व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रख कर २५ फीसदी से कम अन्तर न रहे। अगर २५ फीसदी से कम अन्तर रहता है तो फिर हमें गाटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और कई खेत जिनमें दुगुनी उर्वरता है उनके गाटे नहीं बन सकेंगे। ऐसे बहुत से खेत हैं जिनकी उर्वरता में डेढ़गुने और दुगुने का फर्क पड़ सकता है। क्षेत्रफल के लिहाज से २५ फीसदी अन्तर रहने से हमें गाटों के बनाने में सहूलियत पैदा हो जायगी। यदि यह अन्तर नहीं रहा तो बहुत बड़ी कठिनाई हो जायगी और गांटे तैयार नहीं किये जा सकेंगे। इसलिये मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री चरणसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ श्री केशभान राय ने कहा है और श्री रामनरेश जी ने कहा है मैं उसका स्वागत करता हूं यानी उसका अनुमोदन करता हूं और श्री रामनारायण त्रिपाठी जी से आशा करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे क्योंकि जो हमारा एक संशोधन आ रहा है उसमें हमने २० ही रखा है और रखा है असिस्टेंट डायरेक्टर आफ कन्सालिडेशन की रजामन्दी से अगर आवश्यकता हो तो २० फीसदी से ज्यादा का अन्तर रकबे में हो जाय। कोशिश तो हैसियत को बराबर करने की की जायगी और जब हैसियत बराबर होगी तो रकबे में अन्तर आयेगा। दोनों चीजें बराबर हो नहीं सकतीं। हम चाहते हैं कि रकबे में कम से कम अन्तर हो। २० फीसदी से वह ज्यादा न हो लेकिन अगर नहीं करना पड़े तो वह असिस्टेंट डायरेक्टर आफ कन्सालिडेशन की रजामन्दी से हो सकता है। हम यह अधिकार हर कलेक्टर को देंगे। अगर कलेक्टर समझता है कि जमीन की क्वालिटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिहाज से २० प्रतिशत से ज्यादा फर्क रकबे में रखना जरूरी है तो वह कर दे। इसलिये आशा है कि रामनारायण जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामनरेश जी का अनुगृहीत हूं कि उन्हें मेरी बात पसन्द आई। अगर वह इस तरह का पर्चा पेश करें कि जिसमें कहा गया है कि किसानों की जमीन सरकार छीन लेना चाहती है तो मैं उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही में सहयोग दूंगा। अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो कहा मैं उनका भी अनुगृहीत हूं। मुझे तो उन के ऐसे लोगों से ही डर था परन्तु वे इतने उदार हैं कि वह गलत और नाजायज प्रभाव डालकर हेरफेर नहीं कराना चाहते। मैं उनके समर्थन का आभारी हूं। हर माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी राय दे। कभी-कभी श्री अवधेश प्रताप सिंह सरकार का भी समर्थन करते हैं, इसके मानी यह नहीं कि जब वे सरकार का समर्थन करें तो अच्छे हैं और हमारा समर्थन करें तो बुरे हैं। मैंने जो संशोधन किया है वह व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण से किया है। जब यू० पी० सप्लीमेंटरी ऐक्ट लागू हुआ तो उसकी सब ने सराहना की लेकिन अगर तहसीलों से रिकार्ड मंगाये जायें तो मालूम होगा कि २५ से ४० फीसदी ऐसी दरख्वास्तें हैं कि जिन पर आर्डर तो हो गया है, लेकिन अमलदरामद नहीं हुआ है और किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिये सरकार का जो मंशा होता है और जिस मंशा से वह प्राविजन करती है उसको सरकारी अधिकारी चलने नहीं देते हैं। जब मंत्री जी २५ फीसदी से २० फीसदी करने जा रहे हैं तो फिर अगर वह साढ़े १२ नहीं तो १५ फीसदी ही कर लें तो मैं मानने को तैयार हूं। मैंने यह कहा कि २५ फीसदी से क्या ४० फीसदी तक पहुंचा देना कर्मचारियों के लिये कोई मुश्किल बात नहीं है। उसकी भावना को देखते हुए, प्रेक्टिकेबिलिटी को देखते हुये व्यवहार में चीज आ जाय और दिक्कत न पड़े इसलिये साढ़े बारह फीसदी की बात रखी गयी है। मुझे अफसोस है कि माननीय केशभान राय जी माननीय रामनरेश जी और माननीय राजस्व मंत्री जी को भी निराश करना पड़ रहा है और मैं संशोधन को वापस नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर साढ़े बारह फीसदी के स्थान पर १५ फीसदी भी अगर आवश्यकता हो तो करदी जाय तो मैं उस समझौते को मानने के लिये तैयार हूं।

श्री चरणसिंह——उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने कहा कि सप्लीमेंट्री ऐक्ट के मातहत आज इंदराजों पर अमलदरामद नहीं हो रहा है, मेरे सामने ऐसी बात नहीं है और अगर ऐसा है तो फौरन आदेश जारी हो जायेंगे कि नकल लेकर दरख्वास्त देने की जरूरत न पेश आये। अगर आर्डर हो गया तो सुओ मोटो अमलदरामद हो जाना चाहिये। आपने १५ तो कह ही और १५ और २५ के बीच गांठ लगाइये तो २० की गांठ आयेगी और २० का संशोधन आगे आ रहा है और उसको मैं मान भी रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (१) के भाग (झ) की अन्तिम पंक्ति में संख्या "२५" के स्थान पर "१२ १/२" रख दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री केशभान राय——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की धारा १५ (१) की उपधारा (झ) में शब्द "अधिक" के स्थान पर शब्द "न्यूनाधिक" रख दिया जाय। इसको देखा जाय तो "२५ प्रतिशत से अधिक न हो" जो शब्द हैं वे ठीक नहीं हैं। और "अधिक" के स्थान पर "न्यूनाधिक" रख दिया जाय तो अर्थ ठीक हो जाता है और साथ ही अंग्रेजी में जो रूप है उसका ठीक अर्थ आ जाता है। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--१८वें नम्बर पर जो प्रस्ताव है उससे मतलब आ जाता है। यह संशोधन ठीक नहीं है और अस्वीकार है।

श्री केशभान राय--मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री गेंदासिंह**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (१) का भाग (झ) निकाल दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर काफी बहस हो चुकी है। अगर माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी का संशोधन स्वीकार हो गया होता कि साढ़े बारह फीसदी की कमीबेशी पर जमीन की चकबन्दी कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि किसी तरह से मैं अपने को मना लेता कि इस वक्त स्वीकार कर लूं। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने उसे भी मानने से इन्कार कर दिया। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इससे चकबन्दी समिति और उसके अधिकारियों के हाथ बांधने की क्या जरूरत है। चकबन्दी समिति और चकबन्दी अधिकारी वहां की परिस्थिति के अनुसार अगर मुनासिब समझता है कि २० फीसदी से भी अधिक जमीन किसी को दी जाय और किसी को २० फी सदी से कम जमीनें दे करके भी हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं। तो फिर यह अधिकार रहने दिया जाय कि वह ऐसा न कर सके और उसी के साथ-साथ यह कि अगर आवश्यकता न हो तो फिर इस बात की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि बिलकुल बे जरूरत की यह चीज है। और बस इतना ही कहा जा सकता है कि आप अड़चन खड़ी कर रहे हैं लेकिन इल्जाम हम लोगों पर लगाया जा रहा है कि हम लोग अड़चन खड़ी कर रहे हैं। जब सुविधा पूर्वक २० प्रतिशत तक जमीन कमबेश न करते हुये भी चकबन्दी हो सकती है तो उसके लिये एक अड़चन पैदा करने की बात क्यों हो रही है। इसलिये कि उसमें देर लगे और चकबन्दी अधिकारी को सोचना और समझना पड़े। यही एक बात पैदा होती है। आगे माननीय मौर्य जी का जो संशोधन आने वाला है उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा कि अगर यह हमारा संशोधन स्वीकार न हो तो मैं समझूंगा कि मौर्य जी का जो संशोधन आ रहा है वह स्वीकार हो गया। उस संबंध में मैं उसी समय बात करूंगा कि अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इससे काम में सुविधा होगी। फिर उसमें नियम बनाने की गुंजाइश की जा सकती है कि किन-किन बातों की ओर ध्यान रक्खा जाय, लेकिन यहां पर मैं कोई इस प्रकार का बंधन जरूरी नहीं समझता हूं और इससे कठिनाई ही पड़ेगी चकबन्दी के काम में। इसलिये मैं यही चाहता हूं कि इस प्राविजन को यहां से हटा दिया जाय।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने आपके सामने जो संशोधन रक्खा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह घटाने बढ़ाने का अधिकार दे रक्खा है। यह कंफ्यूजन पैदा करता है क्योंकि इस संबंध में मुझे काफी अनुभव है। गांवों में पटवारियों या लेखपालों को माननीय मंत्री जी ने जो इन्दराज करने का अधिकार दिया है उसकी वजह से आजकल वह सांपनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने इस कागज में इन्दराज के अधिकार को पाकर के अनेकों भ्रष्टाचार किये हैं। इसलिये मेरा यह विचार है कि यह जो २५ प्रतिशत घटाने बढ़ाने का अधिकार चकबन्दी अधिकारियों को दिया जा रहा है उससे उनमें भ्रष्टाचार की अधिक संभावना दिखाई दे रही है। इसलिये इसको बिलकुल न रक्खा जाय, यही सबसे अच्छा है।

***श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ गेंदासिंह जी जैसे व्यक्ति से यह भाषण सुन करके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि यह पूरे का पूरा उपखंड ही इससे निकाल दिया जाय। अभी माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के भाषण से जैसा कि ज़ाहिर हुआ कि वह चाहते हैं कि चकबन्दी हो क्योंकि चकबन्दी एक अच्छी चीज है लेकिन गेंदासिंह जी के ऐसा कह देने के बाद एक बहुत असंभव सा हो जाता है कि कहीं चकबन्दी हो भी सकेगी। क्योंकि चकबन्दी दो ही आधारों पर हो सकती है। या तो उसका रकबा बराबर कर दिया जाय या उस का मूल्य बराबर कर दिया जाय। यदि मूल्य बराबर करने की बात होगी तो रकबे में घटी-बढ़ी होगी और यदि रकबे को बराबर करने की बात होगी तो मूल्य घट बढ़ जायगा। यहां तो सबसे अच्छा तरीका जो अपनाया गया जो पुराने कानून में भी था और दूसरी जगहों की चकबन्दी देखने के बाद जो तरीका समझ में आया वह यह था कि मूल्य बराबर कर दिया जाय और जब मूल्य बराबर होगा तो रकबे में घटी और बढ़ी होगी ही। माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का यह अर्थ निकलता है कि रकबे में कोई घटी बढ़ी न हो। तो इसके माने यह हैं कि रकबा बराबर रहे और मूल्य भी बराबर रहे और ऐसा असंभव है और इसके माने यह हैं कि कहीं भी चकबन्दी न हो। मैं इस हद तक कह सकता हूं कि गेंदा सिंह जी एक तजुर्बेकार व्यक्ति हैं और उन्हें काफी ज्ञान गांवों के बारे में है और चकबन्दी कानून की जानकारी में वे शुरू से आखिर तक रहे हैं। अगर वे खुद ही अपनी जिम्मेदारी पर कोई ऐसा एक गांव बतादें जिस की कीमत और रकबा बराबर हो सके तो मैं मान लूंगा लेकिन ऐसा आदर्श असंभव है और हमारी समझ से नामुमकिन है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर किसी भी ऐसे वादे के लिये तैयार होंगे। तो जो एक नामुमकिन बात है उसके लिये प्रस्ताव करना हमारी समझ से सदन के समय का दुरुपयोग करना है। जब स्वयं वे जानते हैं कि चकबन्दी बगैर रकबे में घटी बढ़ी के नहीं हो सकती तो यह अप्रासंगिक और बेकार सी बात है किइस तरह का प्रस्ताव रखा जाय। मैं विनम्र निवेदन उनसे करूंगा कि जब वे यह जानते हैं कि उनका यह प्रस्ताव व्यवहार में नहीं लाया जा सकता जब कि वे साफतौर पर समझते हैं कि रकबे में घटी बढ़ी होगी और जबकि मौर्य जी का दूसरा प्रस्ताव आ ही रहा है कि २० फीसदी से अधिक अन्तर उसमें नहीं होगा, वे उसे वापस ले लेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति श्री रामनारायण जी ने इस सिद्धांत को मानते हुये कि रकबे में घटी बढ़ी हो सकती है और होनी चाहिये। साढ़े १२ फीसदी का खुद एक संशोधन रखा, तो अब माननीय गेंदासिंह जी के मुख से यह बात कहां तक वाजिब मालूम होती है कि रकबे में कोई फर्क ही न हो। उसके माने यह हैं कि इन दोनों व्यक्तियों में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई एक राय नहीं है। ऐसी दशा में जहां तक मैं समझ सका हूं या तो इसपर बिना ज्यादा चार किये हुये गेंदा सिंह जी ने संशोधन रख दिया या एक बात कहना चाहते थे इस वजह से संशोधन रख दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गेंदा-सिंह जी की समझदारी से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस लेलें।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने जो पहले संशोधन रखा था और उसपर जो उन्होंने स्पीच दी थी उसको मैंने गौर से सुना और अब गेंदासिंह जी ने जो वक्तव्य दिया है और जो अपना संशोधन उपस्थित किया है उसको भी गौर से सुना। इन दोनों को देखते हुये बड़ा अन्तर मालूम होता है। एक तरफ माननीय मंत्री रामनारायण जी यह कहते हैं कि जब हम तमाम अधिकारियों को यह मौका दे रहे हैं तो अगर २५ फीसदी तक हम मौका दे देते हैं तो भ्रष्टाचार का ज्यादा मौका मिलता है और इसीलिये उन्होंने यह कहा कि इस सीमा को कम कर दिया जाय यानी साढ़े १२ फीसदी कर दिया जाय, उसके बाद यह कहना कि नहीं, बिलकुल छूट दे दी जाय, जितना वह चाहें उतना बढ़ा करके रकबा दे सकते हैं, यह दोनों पालिसीज में बड़ा भारी अन्तर है और मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी के दो व्यक्तियों में एक पालिसी पर इतना मतभेद होना कहां तक उचित है। वास्तव में उनकी पार्टी के कुछ लोग चकबन्दी का विरोध कर रहे हैं। जनवरी में माननीय चरणसिंह जी सुल्तानपुर गये हुये थे और वहां रानीगंज में उनका भाषण हुआ था। उसी रानीगंज स्थान पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने जा करके बड़े जोरों की स्पीच दी और इस चकबन्दी का विरोध किया। मैं यह चाहता हूं कि

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

रामनारायण जी खुद सुल्तानपुर के अपने कार्यकर्ताओं से पूछें कि क्या उन्होंने ऐसा किया है या नहीं और अपनी पार्टी की पालिसी ठीक रखना उनके लिये उचित है और ऐसा उन्हें करना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि अगर श्री गेंदासिंह जी का संशोधन मान लिया जाता है तो फिर अधिकारियों को बड़ा भारी मौका भ्रष्टाचार का मिलता है जैसा कि श्री रामनारायण जी ने कहा था। इसलिये इस नजर से भी इस संशोधन को मानना अनुचित होगा और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्रीचरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की धारा १५(९) में यह दिया हुआ है कि उपधारा (१) के अधीन गाटों का प्रदेशन लगानी मूल्य के आधार पर किया जायगा। किसी किसान की जमीन की जो हैसियत पहले थी कागजात बन्दोबस्त के आधार पर आना पाई से उतनी ही हैसियत की जमीन उसको दूसरी दी जायगी। अब अगर चकबन्दी करना है तो पहली जमीन तो रह ही नहीं सकती, दूसरी जमीन उसको मिलेगी, मुमकिन है कि पहली जमीन और गाटों के एक आध खेत और एक आध गाटे रह जायं। तो अब हमारे सामने दो रास्ते थे कि या तो यह करते कि हैसियत बराबर हो और रकबे में चाहे जितना अन्तर हो, १०० बीघे वाले को २५ बीघे मिल जायं या ढाई सौ बीघे मिल जायं और या यह करते कि रकबा बराबर कर देते चाहे हैसियत में कितना ही अन्तर हो जाय। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५–६ महीनों के अन्दर कोई २५–३० जिलों में गया हूं और कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स की स्कीम को मैंने किसानों को समझाने की कोशिश की और मैंने सब जगह उनसे यह प्रश्न किया कि कौन सा तरीका तुम चाहते हो कि हम अख्तियार करें। सभी जिलों में और प्रायः एक मत से, हमारे किसानों ने जो बेपढ़े लिखे हैं और जिनको कुछ लोग मूर्ख भी मानते हैं, यही कहा कि हैसियत बराबर कर दी जाय चाहे रकबे में थोड़ा बहुत अन्तर भी पड़ जाय। यह हम पहले कर भी चुके थे। अब देखना यह है कि रकबे में कितना अन्तर हो। तो अगर हम यह प्रतिबन्ध नहीं रखते हैं तो फिर माननीय गेंदासिंह जी को जो शिकायत रहा करती है कि अधिकारियों के हाथ में ज्यादा अधिकार चले जायंगे और उसका यह दुरुपयोग करेंगे वह बात हो जायगी। इसलिये हमने उनकी स्वेच्छा को कम करने की कोशिश की है कि हैसियत बराबर करो, लेकिन जहां तक हो सके रकबे में २० फी सदी से ज्यादा अन्तर न हो। १०० बीघे वाले को अगर अच्छी जमीन मिलती है तो ८० बीघे तक मिल जाय, यानी ८५ बीघे मिल जाय, ९० बीघे मिल जाय लेकिन ८० बीघे से कम न मिले। अगर जमीन घटिया किस्म की है तो १२० तक मिल जाय, लेकिन उससे ज्यादा न हो। तो २५ के बजाय जो संशोधन आ रहा है माननीय द्वारिका प्रसाद मौर्य के नाम से उससे जाहिर है कि हम २० का अन्तर चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि २० का अन्तर जरूर हो लेकिन २० से ज्यादा का अन्तर न हो सिवाय उस सूरत के जब कि असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन किसी जिला विशेष की भूमि को दृष्टि में रखते हुए जरूरत समझे कि २० से ज्यादा अन्तर होना चाहिये। इससे ज्यादा क्या माकूल बात हो सकती है? अगर अब द्रो माननीय गेंदासिंह जी को मैं नहीं समझा पाया हूं तो अपनी बदकिस्मती मानूंगा और कुछ नहीं।

+**श्री गेंदा सिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो बात हम कहें उसको उल्टा समझा जाय। माननीय रामनारायण जी ने जो कहा उसका अर्थ माननीय कुंवर साहब ने यह लगा लिया कि हम दोनों आदमियों में बड़ा भेद है। नारायण जी ने जो कुछ कहा और जो गेंदासिंह जी ने कहा वह बिलकुल उल्टा पड़ जाता है। मैंने शुरू में ही दरख्वास्त की थी कि अगर श्री रामनारायण जी की बात मान ली गई होती तो शायद मैं इस संशोधन को वापस ले लेता या पेश ही नहीं करता। लेकिन रामनारायण जी के साढ़े बारह फीसदी वाले संशोधन को जब स्वीकार नहीं किया गया तो मैंने मजबूर होकर इसको प्रेस किया।

+वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता हूं कि साढ़े बारह फीसदी का बंधन या इससे भी अधिक हो सकता है, इस बंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसको रखने की बात मैंने शुरू में ही निवेदन की थी कि इसमें यह कठिनाई पड़ेगी कि समूचे उत्तर प्रदेश में लगान की दर जमीन की किस्म पर नहीं है। जमीन की किस्म पर ज्यादातर लगान है, लेकिन ऐसी भी जमीनें हैं जिन पर इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है।

पुराने जमाने में जो बाजीबुल अर्ज बना करते थे या लगान लगाने के जो तरीके थे उसमें जाति का हिसाब था कि कौन खुद खेती करते हैं और कौन दूसरों के हाथों से कराते हैं। जो दूसरों से खेती कराते थे उन पर लगान कम पड़ता था और जो अपने हाथ से खेती करते थे उन पर ज्यादा लगान पड़ता था। यह बुनियादी चीज आज भी कायम है। जमींदारी खत्म हो जाने के बाद जो भूमिधर लोग हैं और काफी तादाद में जमीन है उसके लगान का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। साकितुलमिल्कियत के जो काश्तकार थे उनका भी लगान कुछ कम है दूसरे काश्तकारों से। दूसरे कुछ ऐसे काश्तकार हैं, जिन्होंने पहले लगान कम करा रखा था वह आज भी कम है और जिन्होंने लगान किसी वजह से या जमींदार ने या किसी और ने जिसने बन्दोबस्त कर रखा था उसने ज्यादा लगान करा दिया तो उस पर आज भी ज्यादा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा और मेहरबानी करके वह बतलायें कि सारे उत्तर प्रदेश में सरकिल रेट के अनुसार मालगुजारी हो गई है।

श्री चरणसिंह--इसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--इससे वास्ता इसलिये है कि मालगुजारी के हिसाब से ही तो भूमि की कीमत मुकर्रर करेंगे और उसी के अनुसार चकबन्दी करेंगे। जब आप यह कहते हैं तो इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैं सोचता हूं कि इसको मुकामी तौर पर छोड़ दिया जाय और जो भी चकबंदी आफिसर या कमेटी हो वह जमीन की हैसियत को देखते हुये आपस में सुलह से, बातचीत के जरिये मामला तय करा दें। लेकिन अगर हमने २० फीसदी का बंधन कर दिया या २५ फीसदी का कर दिया तो उसके काम में बड़ी कठिनाइयां आयेंगी। मैं कहां कह रहा हूं कि इसको लम्बा किया.....

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जाय और समय नष्ट किया जाय। मैं अपने मित्र भगवती प्रसाद जी को भी नहीं समझा सका। मैं नहीं चाहता हूं कि चकबन्दी के काम में दिक्कत आये। मैं इस धारा के खंड (झ) को निकाल देने की बात कह रहा हूं जिसके निकलने से सारा काम चलता है, क्योंकि इसके आखीर में लिखा है कि--

"सहायक चकबन्दी अधिकारी अन्य ऐसे सिद्धान्तों का भी ध्यान रखेगा जो नियत किये जायं अथवा जिन्हें भूमि प्रबन्धक समिति निर्दिष्ट करे और जो इस अधिनियम तथा नियमों से असंगत न हों।"

तो इसमें तो आप अधिकार दे ही रहे हैं। आप नियत करने का भी अधिकार ले रहे हैं, रूल्स बनाने का अधिकार ले रहे हैं। फिर मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह से दूसरे को दोष दे देना कि ये चकबन्दी के विरोधी हैं और इसलिये इस चीज को कहते हैं यह कहां तक उचित है? हमारी समझ में जो बात आती है वह कहते हैं, कोई ठेका तो नहीं ले रखा है कि दुनिया भर की समझ हमारे ही पास है। हम समझते हैं कि इससे कठिनाई बढ़ेगी, वह आपके सामने रखा कि कठिनाई बढ़ेगी। अब आप सोच लें, सारा सदन सोच ले। अगर वह मुनासिब समझेगा स्वीकार करेगा, न मुनासिब समझेगा अस्वीकार कर देगा।

श्री चरणसिंह--शब्द यह हैं, "गाटों की प्रदेशना उनके लगानी मूल्य के आधार पर की जायगी।" तो लगानी मूल्य रखा गया है। इससे यह नतीजा निकालना कि जो मालगुजारी दे

[श्री चरण सिंह]

रहे हैं उसके आधार पर मूल्यांकन किया जायगा, यह गलत है। लगानी मूल्य का या रेंटल मूल्य का मतलब यह है कि जो सरकिल रेट्स बन्दोबस्त के समय तय किये गये थे और जो जमीन की क्वालिटी वगैरा देखकर तय किये गये थे, उनके आधार पर हैसियत तय की जायगी। यह ठीक है कि लगान या मालगुजारी से सरकिल रेट्स बहुत भिन्न हैं यह तो कुछ जमींदार के ऊपर था। उसमें कहीं-कहीं काफी अन्तर है। तो उसके आधार पर हम हैसियतों का अंकन नहीं कर रहे हैं बल्कि जो सरकिल रेट बन्दोबस्त में दिये हुये हैं उनके बेसिस पर कर रहे हैं। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि मैं फिर वही बात दोहराता हूं कि शिकायत मेरे विरोधी मित्रों को यह रहा करती है कि अफसरान को ज्यादा अधिकार दे रहे हैं। अब अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो अफसरान को बहुत अधिकार हो जायेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। आप कहते हैं कि हर मामले में वह समझाये बुझाये। हम कहते हैं कि वह जरूर समझाये बुझाये, लेकिन २५ परसेंट से अधिक अन्तर न हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या शिकायत हो सकती है और क्या विरोध हो सकता है। अगर गलत संशोधन हो गया है तो यह कहने की क्या आवश्यकता है कि हमने ही सारी अक्ल का ठेका नहीं ले रखा है। जबकि माननीय गेंदासिंह की स्पीच से यह ध्वनि निकलती है कि उन्होंने सारी अक्ल का ठेका ले रखा है हम कैसे कह दें कि आपने नहीं ले रखा है। इन शब्दों के साथ में संशोधन का वरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (१) का भाग (झ) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री ब्रजबिहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (२) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम में चकबन्दी समिति की परिभाषा नहीं दी गयी है। इस अधिनियम के खंड २ में मूल अधिनियम की जगह पर एक फिर से संशोधन हुआ है, उसमें चकबन्दी समिति की परिभाषा कर दी गयी है। अतः इस स्थान पर "भूमि प्रबन्धक समिति" का रखना उचित नहीं होगा।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा १५ की उपधारा (२) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १५ के वर्तमान प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रदिष्ट किये जाने वाले गाटों के क्षेत्रफल और मूल गाटों (original piots) के क्षेत्रफल का अन्तर सहायक चकबन्दी संचालक की अनुज्ञा के बिना किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक न होगा"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है जब कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के और माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन आये थे। तो मैं समझता हूं कि अब और अधिक समय इस पर लेने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह जो प्रतिबन्ध आप बता रहे हैं यह धारा १५ की उपधारा (१) के भाग (झ) में है, उसके स्थान पर आप यह रखना चाहते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी हां (झ) में ही है। इसको यों कर दीजिये कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १५ की उपधारा (१) के भाग (झ) के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

*__श्री अवधेशप्रताप सिंह__---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। वह श्रीमन्, इस तरह से है कि "का अन्तर" के बाद "सहायक चकबन्दी संचालक की अनुज्ञा के बिना" यह हिस्सा निकाल दिया जाय। ऐसी दशा में यह संशोधन इस प्रकार रहा :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रदिष्ट किये जाने वाले गाटों के क्षेत्रफल और मूल गाटों (original plots) के क्षेत्रफल का अन्तर किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक न होगा।"

श्रीमन्, मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि यहां पर पहले तो इसमें २५ प्रतिशत अन्तर जायज माना गया था, लेकिन मौर्य जी ने इसको २० प्रतिशत किया। अब श्रीमन्, मालूम यह होता है कि दिखावे में तो यह २० प्रतिशत है परन्तु अन्दरूनी तरीके से बहुत से जिलों में यह भी हो सकता है कि सहायक चकबन्दी संचालक की आज्ञा से यह प्रतिशत बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिये यह चीज काश्तकारों को क्षति भी पहुंचा सकती है। श्रीमन्, जब यह विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया था तो उसमें भी इस बात की झलक थी।

"Provided that the area of the plots proposed to be allotted does not differ, as far as possible, by more than 25 per cent. of the area of the original plots.

(2) The Assistant Consilidation officer shall also have regard to such other principles as may be prescribed or specified by the land Management Committee and are not inconsistent with the provisions of this Act and the rules."

अब माननीय मौर्य जी उसको २५ से २० फीसदी करना चाहते हैं। "ऐज फार ऐज पासिबिल" अल्फाज जो थे जिनका आइन्दा तोड़-फोड़ कर मतलब लगाया जा सकता था कि २५ फीसदी से ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन यहां पर सहायक चकबन्दी संचालक को यह अधिकार देना कि अगर वह आवश्यक समझें तो २० फीसदी से अधिक कर सकते हैं यह अधिकर देना ठीक न होगा और आपके जरिये मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन है निर्दोष है और माननीय मंत्री जी को इसके मानने में कोई विशेष अपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री गेंदा सिंह---मैं माननीय मौर्य जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि लगानी मूल्य के आधार पर जो कमी-बेशी होगी उसका मतलब क्या है। जिस जमीन का लगान कम होगा उसको कम जमीन मिलेगी या उसको ज्यादा मिलेगी उसके मूल्य का आधार क्या है। यह स्पष्ट नहीं हुआ है। जरा इसको वह स्पष्ट कर दें। जिस जमीन की मालगुजारी कम होगी तो उसकी कीमत कम समझी जायगी और जिस जमीन की मालगुजारी ज्यादा होगी उसकी कीमत ज्यादा समझी जायगी, इसको जरा स्पष्ट कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जितना लगान का मूल्य होगा उसी के बराबर लगान के मूल्य की जमीन दी जायगी। लगानी मूल्य निर्धारित किया जायगा। जैसा कि मूल अधिनियम में बताया गया है कि जितना भी लगान मूल्य होगा किसी मालगुजारी का, उसी लगानी मूल्य के बराबर दूसरी लगानी भूमि मिलेगी।

श्री गेंदासिंह--वह फार्मूला क्या है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--फार्मूला तो चकबन्दी अधिनियम में दिया हुआ है ? सर्किल रेट से जितना मूल्य निकलेगा वही लगानी मूल्य होगा।

श्री अध्यक्ष--आप जवाब देना चाहते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह संशोधन स्वीकार नहीं है। विशेष परिस्थिति में अगर कहीं आवश्यक हो तो चकबन्दी संचालक यदि बीस प्रतिशत से अधिक की बात होगी तो इजाजत दे देंगे। वैसे कोशिश इस बात की होगी कि बीस प्रतिशत ही हो। लेकिन विशेष परिस्थिति के लिये प्राविजन होना जरूरी है।

श्री गेंदासिंह--मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस चकबन्दी अधिनियम में वह फार्मूला कहां है ?

श्री अध्यक्ष--पहला संशोधन श्री द्वारका प्रसाद मौर्य का यह है--

खंड ६ में प्रस्तावित धारा १५ की उपधारा (१) के भाग (झ) के वर्तमान प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रदिष्ट किये जाने वाले गाटों के क्षेत्रफल और मूल गाटों (original plots) के क्षेत्रफल का अन्तर सहायक चकबन्दी संचालक की अनुज्ञा के बिना किसी भी दशा में भी २० प्रतिशत से अधिक न होगा।"

प्रश्न यह है कि उपरोक्त संशोधन में "सहायक चकबन्दी संचालक की अनुज्ञा के बिना" शब्दों को हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं मूल संशोधन उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १५ की उपधारा (१) के भाग (झ) के वर्तमान प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रविष्ट किये जाने वाले गाटों के क्षेत्रफल और मूल गाटों (original plots) के क्षेत्रफल का अन्तर सहायक चकबन्दी संचालक की अनुज्ञा के बिना किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक न होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७--मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (३) में शब्द "निरीक्षण" के पश्चात् शब्द "करेंगे" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "कर सकते हैं" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १७ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८--मूल अधिनियम की धारा २२-- उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ कीधारा २२ का संशोधन।

(१) की उपधारा (१) में शब्द "हेतु" और शब्द "मध्यस्थ" के बीच में शब्द "क्षेत्राधिकार प्राप्त सिविल जज के पास अभिदिष्ट करेगा जो उसे" रख दिये जायं;

(२) की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(२) उपधारा (१) के अधीन अभिदेश किये जाने पर आदिम, अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (Court of first instance, appeal, referance or revision) में विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियां, जिसमें उस भूमि से सम्बद्ध आगम का प्रश्न उठा हो, रोक दी जायंगी।"

*श्री केशभान राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के दूसरे उपखंड में शब्द "आदिम" के स्थान पर शब्द "आदि" रख दिया जाय। इस संशोधन के रखने का उद्देश्य व्याकरण के दोष को दूर करना है। इसमें लिखा है "उपधारा (१) के अधीन अभिदेश किये जाने पर आदिम, अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय।" व्याकरण की दृष्टि से तमाम शब्द एक से होने चाहिये लेकिन यहां पर सब शब्द व्याकरण की दृष्टि से एक समान नहीं हैं। 'आदिम' विशेषण है जब कि अपील, अभिदेश, पुनरीक्षण के न्यायालय ये सब संज्ञा हैं। इसलिये इनमें एकरूपता लाने के लिये "आदिम" में से "म" निकाल कर उसे संज्ञा का रूप प्रदान करना आवश्यक है। तो यह इस तरह से हो जायगा "आदि, अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय"। इसका मतलब फिर होगा "आदि के न्यायालय, अभिदेश के न्यायालय अथवा पुरीक्षण के न्यायालय"। इसका करना आवश्यक है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरणसिंह--मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को नहीं मान सकूंगा। क्योंकि अंग्रेजी का लफ्ज है "आरिजिनल"। "आरिजिनल" की जगह है "आदिम"। "आदि" कर देंगे ठीक नहीं रहेगा। अब तक जितने अधिनियम बने उनमें "आदिम" ही आया, कहीं "आदि" नहीं आया। अगर इसमें "आदि" रख दिया गया तो कहीं "आदिम" हो जायगा और कहीं "आदि" हो जायगा, इसलिये गड़बड़झाला हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशभान राय--- मेरा कहना यह है कि "अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय" ये तीनों संज्ञा हैं। "आदिम" शब्द संज्ञा नहीं है। अगर "आरिजिनल" शब्द रक्खा जाता तो हिन्दी में "आदिम न्यायालय" उसके स्थान पर होता और उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन "अथवा" शब्द रख देने से अर्थ हो जाता है "अपील के न्यायालय", अभिदेश के न्यायालय, पुनरीक्षण के न्यायालय, आदिम के न्यायालय "आदिम के न्यायालय" ऐसा कहना गलत होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि यहां "ओरिजनल" शब्द नहीं है।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, बात बहुत बारीक हो गई है।

श्री अध्यक्ष---व्याकरण की दृष्टि से श्री केशभान राय जी का प्रस्ताव ठीक मालूम होता है और जगह क्या आया है ?

श्री चरण सिंह---और जगहों पर "आदिम" ही आया है "आदि" नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---"आदिम न्यायालय" तो हो सकता है, लेकिन "आदिम के न्यायालय" नहीं हो सकता।

श्री चरण सिंह---लेकिन आपकी दलील से ही यहां अपेलेट कोर्ट है। हिन्दी में अपेलेट के लिये कुछ नहीं है और अपेलेट न्यायालय भी तो नहीं हो सकता। आप जिस प्रकार से इसको अच्छा और ठीक समझें कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं इसको सोचकर ठीक कर लूंगा।

श्री केशभान राय---इस झंझट को दूर करने के लिये अपना मैं और संशोधन दे सकता हूं जो इस प्रकार से होगा कि "आदिम न्यायालय के अपील अभिदेश"।

श्री चरण सिंह---यह भी ठीक नहीं रहेगा।

श्री केशभान राय---मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री केशभान राय---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के दूसरे उपखंड में शब्द "विचाराधीन" और शब्द "सभी" के बीच शब्द "ऐसे" रख दिया जाय। यह संशोधन व्याकरण का साधारण दोष दूर करने के लिये है, क्योंकि जब कभी कोई विशेषण अपवाद के लिये हो तो जिससे सम्बन्धित वह विशेषण हो उसके पहले निश्चित विशेषण रहना चाहिये। इसलिये "विचाराधीन" और सभी के बीच में "ऐसे" शब्द रखने की जरूरत है। अब यह ऐसे हो जायगा कि "विचाराधीन ऐसे सभी वाद ... रोक दी जायंगी"।

मुझे आशा है कि मेरा प्रस्ताव माननीय मंत्री को स्वीकार होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैं इसको उचित नहीं समझता हूं और ऐसा करने से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सभी वादों के लिये वह आ गया है। कोई पहले का रेफरेन्स नहीं है। जिस प्रकार से ओरिजनल की शब्दावली है उसी प्रकार से आप रखना चाहते हैं लेकिन अब जो शब्दावली रखी गयी है वह बिल्कुल स्पष्ट है और उसमें "ऐसे" शब्द रखने की गुंजायश नहीं है। यह बिल्कुल मुनासिब है और इसको माननीय सदस्य वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री केशभान राय--चूंकि "ऐसे" शब्द के रखने से और न रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है, इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९--मूल अधिनियम की धारा २६ में शब्द "पहली मई" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी संचालक द्वारा निश्चित किये जाने वाले किसी दिनांक" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा २६ का संशोधन।

श्री गेंदा सिंह--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ निकाल दिया जाय। खंड ९ जिस प्रकार से रखा गया है वह उचित नहीं है और न खूबसूरत ही है। अगर पहले के अधिनियम में इस खंड को माननीय मंत्री जी देखेंगे तो उसे अच्छा पावेंगे। उसमें यह था कि जमीन पर लोगों के कब्जा करने की तिथि १ मई रख दी जाय या यह भी है कि जब लोग आपसी समझौते से तय करें तो उसे इधर उधर भी कर लिया जाय। लेकिन अब किसी खास वक्त में ही उस जमीन पर कब्जा किया जा सकेगा। माननीय केशभान राय जी भी उसे पसन्द करेंगे कि अगर माननीय राजस्व मंत्री जी पुराने को ही रहने दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री चरणसिंह--मैं समझता हूं कि मौजूदा संशोधन से कुछ सहूलियत ही होगी। पहले यह था कि एक ही तारीख पर कब्जे की अदला-बदली होगी और अब डाइरेक्टर आफ कंसोलडेशन कोई डेट मुकर्रर कर सकते हैं। उसकी उपधारा (२) में यह भी है कि अगर सभी खातेदार चाहें तो आगे पीछे भी अपने कब्जे का तबादला कर सकते हैं। सभी की शर्त पूरी होना बहुत मुश्किल है। कहीं चकबन्दी की स्कीम ३ मई को मुकम्मल हो और सभी खातेदार राजी न हों तो अगले साल पहली मई तक इंतजार करना होगा। तो इसलिये यह रखा गया है कि जहां जैसा मौका हो वहां वैसी तारीख मुकर्रर कर दी जाय।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मालूम नहीं कैसे राजस्व मंत्री जी समझ लेते हैं। बैसाख के महीने में सारे खेत खाली रहते हैं और सब लोग अगर खुशी से चकबन्दी कराये हैं तो वह कैसे कहेंगे कि हम अपने खेत के लिये राजी रहे हैं? जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी समझते हैं कि लोग राजी नहीं होंगे और तभी चकबन्दी अफसर को कोई तारीख मुकर्रर करनी होगी। तो राजस्व मंत्री जी की इच्छा का मैं ध्यान रखता हूं। यह ऐसी ही इच्छा है कि जैसे किसी राजा के कुंवर ने तलवार उठा ली तो फिर राजा को यह सोचना पड़ा कि आखिर कुंवर की तलवार जमीन पर कैसे गिरे। तो हुआ कि अच्छा भाई, उंगली ही निकाल लो। तो यह इसी तरह से है और मैं इसे वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३६ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा ३६—

(१) की उपधारा (१) में शब्द "हेतु" और शब्द "मध्यस्थ" के बीच शब्द "क्षेत्राधिकार प्राप्त सिविल जज के पास अभिदिष्ट करेगा जो उसे" रख दिये जायं।

(२) की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२) उपधारा (१) के अधीन अभिदेश किये जाने पर आदिम, अपील, अभिदेश अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (Court of first instance, appeal reference or revision) में विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियां, जिसमें उस भूमि से सम्बद्ध आगम का प्रश्न उठा हो, रोक दी जायेंगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा ३६ की उपधारा (१) की पंक्ति १ में शब्द "हेतु" के स्थान पर शब्द "निमित्त" रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो मूल अधिनियम की धारा ३६ है उसमें शब्द 'निमित्त' आया है और उसके बीच में ही इस नयी धारा के शब्द जोड़ दिये गये हैं। लेकिन इसमें हेतु शब्द शायद ग़लती से रख दिया गया है। यह एक शाब्दिक ग़लती है। आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित नयी धारा ३६ की उपधारा (१) की पंक्ति (१) में शब्द 'हेतु' के स्थान पर 'निमित्त' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा ४२ में उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (४) के रूप में बढ़ा दी जाय :—

"(४) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार चकबन्दी के सहायक संचालक को चकबन्दी संचालक के सभी अथवा ऐसे कृत्यों को सम्पादित करने के लिए अधिकृत कर सकती है जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हो और तत्पश्चात् चकबन्दी के संचालक के प्रति इस अधिनियम के अधीन सभी अभिदेशों (references) के अन्तर्गत जहां तक उनका सम्बन्ध निर्दिष्ट कृत्यों से हो, सहायक संचालक के प्रति अभिदेश भी सम्मिलित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

१२—मूल अधिनियम की धारा ४३—(१) की उपधारा (१) में—

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४३ का संशोधन।

(क) शब्द "नियत की जायं" और शब्द "चुनेगी" के बीच में शब्द "सदस्यों की एक उपसमिति" रख दिये जायं।

(ख) शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" रख दिये जायं।

(२) की उपधारा (२) के पश्चात् निम्निलिखित उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दी जाय :—

"(३) जब किसी भी समय राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि चकबन्दी समिति बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा क्षंतव्य बात (resonable cause or excuse) के इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये अथवा अभ्यर्पित (assigned) कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के करने में असफल रही है, अथवा उसने उन्हें करने से इन्कार कर दिया है अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे समिति उक्त कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में असमर्थ हो गयी है अथवा अन्य किसी हेतु ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों के अनुसार या तो भूमि प्रबन्धक समिति का पुनर्संगठन करेगी या किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों अथवा कर्त्तव्यों को करने अथवा सम्पादन के हेतु नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रति सभी अभिदेशों (references) के अन्तर्गत इस प्रकार पुनर्संगठित भूमि प्रबन्धक समिति अथवा नियुक्त प्राधिकारी के प्रति, जैसी भी दशा है, अभिदेश होंगे।"

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड १२ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (१) को निम्नलिखित रूप में रखा जाय—

"(१) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार स्थापित ग्राम सभा द्वारा एक समिति संगठित की जायगी, जिसकी संख्या सात व्यक्तियों से कम तथा ग्यारह से

[श्री गेंदा सिंह]

अधिक न होगी और यह समिति उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये चकबन्दी समिति समझी जायगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, नंबर १ पर जो श्री गेंदा सिंह का प्रस्ताव आया था वह बिलकुल यही था। उसमें भी ग्राम सभा के ७ से ११ व्यक्ति इसमें पहुंचने की बात थी। इसमें भी वही बात दुहराई गयी है।

श्री अध्यक्ष--यह उस संशोधन के विपरीत जाता है। आपको इसके विषय में क्या कहना है?

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, परिभाषा में मैंने यह परिवर्तन करने की दरख्वास्त की थी। यहां मुझे यह कहना है कि मूल अधिनियम में इस प्रकार का परिवर्तन न किया जाय कि सरकार जब चाहे प्राधिकारी को नियुक्त कर दे। मेरे इस संशोधन का अर्थ यही है, वहां यह था कि चकबन्दी समिति जो बनेगी वह पंचायत राज अधिनियम के अनुसार जो गांव सभा बनी हुई है उसके द्वारा बनायी जायगी, वह अर्थ था हमारा। यह सही है कि उसके अनुसार बनायी जायगी, लेकिन उसको हटा देने और उसकी जगह प्राधिकारी नियुक्त करदेने का वह अधिकार भी आप ले रहे हैं। इसलिये मैं सोचता हूं कि इस संशोधन से उसका कोई मतलब नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--प्राधिकारी की बात के बारे में अगर कोई विरोध हो तो वह तो माननीय सदस्य कहें, वह तो अलग बात है लेकिन नं० १ में यह प्रस्ताव पहले ही आ चुका है। चकबन्दी समिति का तात्पर्य उस समिति से है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार गांव सभा द्वारा जोतों की चकबन्दी के हेतु बनाई गई हो जिसकी संख्या ७ से कम तथा ११ व्यक्तियों से अधिक की नहीं होगी। और इसे भवन अस्वीकार कर चुका है। भवन ने इस सिद्धांत को ही नहीं स्वीकार किया है कि गांव सभा कोई चकबन्दी समिति बनायेगी। अब जो मौजूदा संशोधन है वह इस प्रकार है :--

खंड १२ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (१) को निम्नलिखित रूप में रखा जाय।

"(१) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार स्थापित ग्राम सभा द्वारा एक समिति संगठित की जायेगी जिसकी संख्या सात व्यक्तियों से कम तथा ११ से अधिक न होगी और यह समिति उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये चकबन्दी समिति समझी जायेगी।

यह बिलकुल वही बात है जो कि पहले इस सदन द्वारा अस्वीकार हो चुकी है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह आउट आफ आर्डर है।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मौर्य जी की दलील से प्रभावित हुआ हूं और यह सही है कि यह संशोधन भी वैसा ही है जैसा कि पहले वाला था और यह अवैधानिक है। ऐसी अवस्था में मैं इस उपखंड का विरोध करना चाहता हूं। अभी वह प्रश्न सदन के सामने आया नहीं है। आने पर मैं उसके संबंध में बोलूंगा।

श्री बृजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित करता हूं :--

खंड १२ के उपखंड (१) के भाग (ख) के आरम्भ में शब्द "अंतिम वाक्य में आये हुये" बढ़ा दिये जायं। यह शाब्दिक संशोधन है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---जी हां, मुझे यह स्वीकार है। बात यह है कि ४३ की उपधारा (१) में भूमि प्रबन्धक समिति का जो वाक्य आया है वह दो बार आया है। जैसा कि संशोधन में है ऐसा ही रहा तो दो जगह "चकबन्दी समिति" हो जायगा। अंतिम वाक्य में जो "भूमि प्रबन्धक समिति" की जगह "चकबन्दी समिति" वाक्य आया है, वही रखा जाय। मिश्र जी का यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) के भाग (ख) के आरम्भ में शब्द "अंतिम वाक्य में आये हुये" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री व्रजबिहारी मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) में प्रस्तावित उपधारा (३) में जहां-जहां शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" आये हों उनके स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" रख दिये जायं।

इस पर व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। पहले चकबन्दी समिति के बारे में प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है। यह शाब्दिक संशोधन है और आशा है कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (२) में प्रस्तावित उपधारा (३) में जहां जहां शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" आये हों उनके स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (३) की पंक्ति १३ के शब्द "या तो" निकाल दिये जायं और पंक्ति १४ के शब्द "पुनस्संगठन करेगी" के बाद से प्रारम्भ होने वाला पूरा वाक्यांश निकाल दिया जाय।

मेरा यह संशोधन खंड १२ में है। इसमें सरकार ने जो तीसरी उपधारा रखी है। वह बिल के १४ पेज के मध्य में इस प्रकार है :—"जब किसी भी समय राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि चकबन्दी समिति बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा क्षंत-य बात के इस अधिनियम के अधीन अथवा द्वारा लगाये गये अथवा अभ्यर्पित कर्तव्यों अथवा कृत्यों के करने में असफल रही है, अथवा उसने उन्हें करने से इंकार कर दिया है अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे समिति उक्त कर्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में असमर्थ हो गयी है अथवा अन्य किसी हेतु करना उचित या आवश्यक है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों के अनुसार या तो भूमि प्रबन्धक समिति का पुनस्संगठन करेगी या किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों अथवा कर्तव्यों को करने अथवा सम्पादन के हेतु नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रति सभी अभिदेशों के अन्तर्गत इस प्रकार पुनस्संगठित भूमि प्रबन्धक समिति अथवा नियुक्त प्राधिकारी के प्रति, जैसी भी दशा हो, अभिदेश होंगे।"

तो इस धारा के अनुसार जो परिस्थिति है उसमें मेरे संशोधन का महत्व यह है कि राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह गजट में प्रकाशित करके भूमि समिति को पुनस्संगठित कर सकेगी। मंत्री जी यह स्वीकार करेंगे कि यह उनके उद्देश्यों से भी विरुद्ध जाता है चूंकि इसी बिल में भूमि प्रबन्धक समिति या चकबन्दी समिति को विशेष महत्व दिया गया है और चाहा गया है कि जहां तक हो चुने लोगों से ही तमाम काम कराया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां भी सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप न कराया जाय। अगर सरकार चाहे तो पुनस्संगठन करा सकती है, लेकिन किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं देना चाहिये।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र को यह आशंका है कि प्राधिकारी का मतलब किसी सरकारी कर्मचारी से है । यह नहीं है । सरकारी कर्मचारी भी एक्स्क्लूडेड तो नहीं हैं, कोई भी हो सकता है जिसको गवर्नमेंट अथराइज करे; यह भी जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही हो कोई समिति भी हो सकती है जिसको भी अथराइज करे । यह नहीं है कि तहसीलदार को मुकर्रर कर देंगे या डिप्टी कलेक्टर को मुकर्रर कर देंगे । "अथारिटी" बहुत वाइड टर्म है । फिर हम ऐसी नौबत आने भी नहीं देंगे कि किसी राजकर्मचारी को रखें । हमारी कोशिश होगी कि वहीं के लोगों की एक कमेटी बना दें । अगर कमेटी न बने तो वहीं के किसी आदमी पर जिस पर सबका विश्वास हो रख दें । क्योंकि चकबन्दी ऐसा काम है जिसको हमारे सरकारी अधिकारी अपनी बुद्धि से कर भी नहीं सकते । यह काम तो लार्जेस्ट मेजर आफ कोआपरेशन (largest measure of Co-operation) से ही हो सकता है । अगर किसी वजह से कमेटी की ईमानदारी में कुछ कमी हो, पक्षपात करती हो अच्छा कार्य न करती हो और बराबर कुछ दिन देखने के बाद सेटिलमेंट आफिसर आफ कंसालिडेशन इस नतीजे पर पहुंच जाय कि ठीक काम नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट किसी दूसरी कमेटी को मुकर्रर कर दे या किसी आदमी को रख दे । इस लफ्ज "अथारिटी" के अन्दर परसन (person) और कमेटी सभी हैं । अथारिटी का लफ्ज इस्तेमाल करने से माननीय त्रिपाठी जी को जो आशंका है उसकी नौबत हम हरगिज नहीं आने देंगे और अफसरों को वहां रख करके क्यों बेकार का झगड़ा अपने ऊपर लेंगे ?

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं ध्यानपूर्वक माननीय मंत्री के भाषण को सुनता रहा । यह ठीक है कि अथारिटी जिसको भी वह तय कर दे सकते हैं, परन्तु भय है कि वास्तविकता भी होकर रहेगी । अन्त में या तो कानूनगो या बहुत उच्च शिखर पर पहुंचे तो तहसीलदार के सुपुर्द यह काम कर दिया जायगा और उसका दुष्परिणाम यह होगा कि जिस स्थान पर यह काम उसके सुपुर्द किया जायगा वहां किस मात्रा में सफल होगा यह सोचने की बात है । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय रामनारायण जी के संशोधन में कौन सी बात माननीय मंत्री जी को अरुचिकर प्रतीत हो रही है । अगर जिस कमेटी पर भार दिया जाय वह ठीक कार्य न करे तो रिकांस्टीट्यूट की जा सकती है या गांव में ऐसे आदमी क्या न निकलेंगे, क्या ५ से लेकर ११ आदमी ऐसे न निकलेंगे जो इस काम के लिये अग्रसर हों ? और अगर नहीं निकलते तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की भूल होगी कि उस गांव में चकबन्दी का काम हो । जहां पर पब्लिक साथ दे वहां तो करना चाहिये लेकिन जहां पब्लिक का कोआपरेशन नहीं है वहां पर कर्मचारियों को अग्रसर करके काम कराना ठीक नहीं है । कभी उनकी निन्दा की जाती है लेकिन कभी ऐसे स्थानों पर जिस तरीके से भी हो उनको रखना चाहते हैं । मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी भूमि प्रबन्धक समिति से इतने क्यों भयभीत हैं ?

*श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक टेस्ट समझता हूं इसको कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको मानते हैं या नहीं । अगर माननीय राजस्व मंत्री जी इसको नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस चकबन्दी की सफलता नहीं चाहते और वह माननीय सदस्यों को प्रसन्न करने के लिये इस तरह का कानून हमारे सामने ले आये हैं । लेकिन वह चाहते हैं इस बात को कि चकबन्दी न होने पावे । मैं यह कहता हूं कि चकबन्दी में हर तरह की सुविधा प्रदान करने के लिये और हर तरह की खिदमत करने के लिये सारा समाज उनके पीछे खड़ा है । माननीय रामनारायण जी ने कहा कि किसी सोशलिस्ट पार्टी के सुल्तानपुर के सदस्य ने अगर इस चकबन्दी का विरोध किया होगा तो उसके खिलाफ अनुशासन भंग करने की कार्यवाही की जायगी । यह कहना मैं तो एक ऐसी चीज समझता हूं कि मालूम नहीं हमारे कितने साथियों को लटकना पड़े अगर उन्होंने कहा होगा क्योंकि सौभाग्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से रामनारायण जी, इस समय जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति है उसके संयोजक हैं। तो जब इस तरह की उनकी इच्छा है, ऐसी सफाई वह देते हैं तो उस सफाई के बाद में नहीं समझता हूं कि क्यों माननीय राजस्व मंत्री जी को माननीय रामनारायण जी के संशोधन पर संदेह होता है कि इससे चकबन्दी नहीं हो पायेगी? मैं तो यह कहता हूं कि इसी सिलसिले में इन्फारमेशन डिपार्टमेंट की जो किताब निकलता है, यू० पी० इनफारमेशन वह जून के महीने की किताब में से कुछ माननीय राजस्व मंत्री जी की खिदमत में पेश करूं। चौथे पन्ने पर यह लिखा हुआ है :--

"Reports from districts indicate that the consolidation activities have been undertaken already in some districts."

आगे बिजनौर का हवाला दिया हुआ है--

"In the Bijnor district a report reveals that over 4600 acres of land have been consolidated since July, 1952."

तो वहां पर कोई सरकारी मशीनरी नहीं काम कर रही थी। वहां पर ४६ सौ एकड़ जमीन की गांव वालों ने चकबन्दी कर ली। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी माननीय राजस्व मंत्री जी को होगी। तो क्यों न हम गांव वालों पर भरोसा करें। मैं बार-बार इस बात पर आग्रह करता हूं कि वह सरकारी अधिकारियों पर से अपना विश्वास न हटावें, क्योंकि उन्हीं की पीठ पर आज वह चल रहे हैं। अगर कहीं वह पीठ निकल गई तो मालूम नहीं वह कहां चले जायेंगे क्योंकि जनता पर तो उनको भरोसा रहा नहीं। तो फिर यह बात जो उन्होंने कहा कि ऐसे गांव भी हो सकते हैं जिनमें कोई आदमी ऐसा न मिले, जो चकबन्दी में ठीक तरह से ईमानदारी के साथ करने वाला हो जैसा कि माननीय अवधेश प्रताप जी ने कहा कि अगर उस गांव में एक आदमी भी ऐसा न हो या एक उपसमिति बनाने के लिये भी उसमें व्यक्ति न मिल रहे हों कि हम उनकी उपसमिति बना करके भूमि प्रबन्धक समिति या चकबन्दी समिति, जो भी नाम हो, उ सके जरिये से चकबन्दी करा पावें। तो वे यह इच्छा रलते हैं कि एक अधिकारी नियुक्त करें जो कि कम से कम १ हजार गांव वालों के भाग्य का फैसला कर देगा। मैं समझता हूं कि यह चकबन्दी कराने की इच्छा नहीं है। केवल एकमात्र कानून पास करने की ही इच्छा है और कुछ सरकारी अधिकारी नियुक्त करने की इच्छा है, चाहे वह किसानों को लाभकर हो या हानिकर हो। मैं क्षमा चाहूंगा इसको कहने के लिये, मेरा भी एक संशोधन आगे है मगर मैं उसको पेश करने की जरूरत नहीं समझता। मैं माननीय रामनारायण जी के संशोधन का ही समर्थन करता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम माननीय रामनारायण जी के इस संशोधन को स्वीकार कर लें ताकि यहां से कम से कम रामनारायण जी जो बड़े जोश के साथ अपने साथियों पर डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेने की बात कहते जा रहे हैं वह कम से कम यह समझें कि माननीय राजस्व मंत्री जी अपने तहसीलदारों और कलेक्टरों की मरजी पर इस सूबे की किसान जनता को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि किसान जानता के हाथ में खुद अपना फैसला करने का अधिकार रहेगा। इसमें बड़े भद्दे ढंग पर अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को कहा ही गया है कि नालायकी करे, काम न करे, इ·कार कर दे लेकिन उन्हीं के साथ यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे समिति उक्त कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में असमर्थ हो गयी है अथवा अन्य किसी हेतु ऐसा करना उचित या आवश्यक है, तो "उचित या आवश्यक" में क्या बात रह गयी जिसकी वजह से आप उसको बरखास्त करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का हठ छोड़ करके कि माननीय रामनारायण जी का यह संशोधन है इसीलिये इ ो स्वीकार नहीं करना चाहिये, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसे स्वीकार करें ताकि यहां से चकबन्दी की शुरुआत अच्छी हो। यहीं से चकबन्दी की शुरुआत अच्छी होगी और हम भी यह कहने के मूड में होंगे कि माननीय राजस्व मंत्री जी कोई अपनी इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सारे प्रदेश की इच्छा की बात कर रहे हैं और सारे प्रदेश के हित में यह काम करने जा रहे हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन तब तक बैठा रहे जब तक कि यह उत्तर प्रदेश चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित न हो जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई विरोध नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आज कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाय और सदन तब तक बैठा रहा जब तक कि प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मादनीय गेंदा सिंहजी के बाद अब मैं क्या कहूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ही अब कहें।

श्री चरण सिंह---श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि माननीय गेंदा सिंह जी बहुत मौसूम हैं। मैं कह चुका कि इसमें लफ्ज हैं "आर सम अदर अथारिटी"। अथारिटी के माने राज्य कर्मचारी के नहीं हैं। किसी भी कमेटी या किसी भी व्यक्ति को हम बनायें तो वही अथारिटी कहलायेगा। लेकिन फिर भी हमारे मित्र हैं कि यह फर्ज करते हैं कि उसके माने राज्य कर्मचारी के हैं और उस पर बोलते चले जाते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं उसके लिये।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। आम तौर पर आदमी का जो मन होता है वह इस तरह का होता है कि खुद अपने मन का पता नहीं पड़ता है कि कल क्या हो जाय और परसों क्या हो जाय। लेकिन माननीय गेंदा सिंह जी को यह सामर्थ्य हासिल है कि वह दूसरे के मन की बात जान जाते हैं और उन्होंने मेरे मन की यह बात जान ली कि मैं चकबंदी योजना को सफलता नहीं चाहता। मैं कम से कम इतना जरूर जानता हूं कि वह अपने मन में यह जानते हैं कि जो बात उन्होंने कही है वह सही नहीं कही है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपके मन की बात उन्होंने नहीं कही, परिणाम उन्होंने निकाला।

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (३) की पंक्ति १३ के शब्द "या तो" निकाल दिये जायं और पंक्ति १४ के शब्द "पुनस्संगठन करेगी" के बाद से प्रारम्भ होने वाला पूरा वाक्यांश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ में एक नयी धारा ४८ क जोड़ा जाना।

१३---मूल अधिनियम की धारा ४८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा ४८-क के रूप में जोड़ दी जाय :---

निष्क्रात सम्पत्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबंध।

४८-क-(१) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी भी बात के होते हुए भी :

(क) ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के कस्टोडियन (custodian of Evacuee Property) जिन्हें यहां पर आगे चलकर इस धारा में कस्टोडियन कहा गया है, में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित किसी भी भूमि के सम्बन्ध में, उसके निर्णय पर इस अधिनियम के अधीन कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी न तो आक्षेप करेगा और न उसे परिवर्तित अथवा व्यतिक्रांत (Call in question, vary or reverse) करेगा ।

(ख) इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ न होगा जिससे कस्टोडियन किसी भूमि के आगम (title) के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही को जो उसके समक्ष इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रचलित होने के दिनांक पर जिनके अधीन भूमि के आगम से सम्बद्ध कार्यवाहयां रुकनी चाहिए विचाराधीन हों, रोक सके अथवा जिससे चकबंदी अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसा अधिकार प्राप्त हो जिसके अनुसार उक्त दिनांक पर कस्टोडियन के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त (involved) भूमि के सम्बन्ध में आगम के प्रश्न को अवधारण के लिए अभिदिष्ट करे।

(२) जब चकबंदी क्रियाओं के फलस्वरूप किसी गांव में--

(क) ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति (Evacuee Property) के रूप में कस्डोडियन में निहित भूमियां, उन जोतों में सम्मिलित कर दी जायं, जो कस्टोडियन में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित न हो तो ऐसी भूमि चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक के कस्टोडियन में इस प्रकार निहित न रहेंगी और तत्पश्चात् उक्त ऐक्ट के उपबन्ध उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त न रहेंगे, और

(ख) ऐसी भूमियों के बदले में उसी प्रकार भूमियां उन जोतों में सम्मिलित कर दी जायंगी, जो कस्टोडियन में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित हों, और ऐसी भूमियां चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से उपर्युक्त ऐक्ट के तात्पर्य के अन्तर्गत प्रख्यापित निष्क्रांत सम्पत्ति समझी जायेंगी और कस्टोडियन में निहित हो जायेंगी, और तत्पश्चात् उक्त ऐक्ट के उपबन्ध यथासम्भव उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त होंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं--

खंड १३ में प्रस्तावित नयी धारा ४८-क की उपधारा (१) के भाग (क) को इस प्रकार रख दिया जाय--

"(क) यदि किसी भूमि के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी तथा इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट १९५० के उपबन्धों के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के कस्टोडियन (Custodian of

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

Evacuee Property) जिन्हें यहां पर आगे चल कर इस धारा में कस्टोडियन कहा गया है), के निर्णय में मतभेद हो तो कस्टोडियम या चकबन्दी अधिकारी ऐसे मामले को क्षेत्राधिकार प्राप्त सिविल जज के पास अभिदिष्ट करेगा जिसका फैसला इस सम्बन्ध में अंतिम होगा।"

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित धारा इस प्रकार है :—

"ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के कस्टोडियन (costodian of Evacuee property) जिन्हें यहां पर आगे चलकर इस धारा में कस्टोडियम कहा गया है, में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में निहित किसी भी भूमि के सम्बन्ध में उसके निर्णय पर इस अधिनियम के अधीन कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी न तो आक्षेप करेगा और न उसे परिवर्तित अथवा व्यतिक्रांत (call in question, vary or reverse) करेगा।"

इसमें यह कहा गया है कि चकबंदी का ऊंचे से ऊंचा अधिकारी भी इवैकुई प्रापर्टी के कस्टोडियन का जो निर्णय हो गया है किसी भूमि के सम्बन्ध में उस पर आक्षेप नहीं कर सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बहुत से ऐसे मामले आये जिसमें एवैकुई प्रापर्टी के कस्टोडियन के खिलाफ काफी शिकायतें हैं, ये कस्टोडियन यह समझते हैं कि वे प्रांतीय सरकार के अधीन बिल्कुल नहीं हैं इसलिये और भी मन-माना कार्य करते हैं और हमारी बदकिस्मती है कि उनका सम्बन्ध ऐसे लोगों से है जिनको विशेष परिस्थितियों में पड़ जाने से यों ही काफी परेशानियां हैं। जो यों ही बहुत परेशान हैं अगर उनके मन में यह भ्रम पैदा हो जाय कि वे खामखाह के लिये परेशान किये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार के लिये उचित नहीं है और इसमें काफी छानबीन होनी चाहिये। हमारे संशोधन का मतलब है कि अगर किसी भूमि के सम्बन्ध में चकबंदी अधिकारी को यह वास्तव में विश्वास हो जाये कि इवैकुई प्रापर्टी के कस्टोडियन का फैसला बिल्कुल ग़लत है और उन्होंने जानबूझ कर किसी आदमी को परेशान करने के लिये एक निर्णय दे दिया तो ऐसी हालत में हमारी इस योजना के अधीन जो अधिकारी हों उनको यह अधिकार होगा कि उसका रेफरेन्स अधिकार प्राप्त सिविल जज के पास भेज दें और कस्टोडियन का भी अगर चाहें तो भेज सकते हैं और उस जज का इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय होगा। इस संशोधन से जो कमी रह गयी है वह दूर हो जायगी और जो लोग इवैकुई प्रापर्टी के कस्टोडियन के निर्णयों से पीड़ित हैं उनके लिये एक ऐसा रास्ता निकल आयेगा कि हमारी इस योजना के अधिकारी उनकी कुछ मदद कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ और आज कस्टोडियन के निर्णय को हम छू न सके तो बाद में फिर माननीय राजस्व मंत्री को इसके लिए अलग से प्राविजन करना होगा। तो ऐसी सूरत में अगर इस योजना के अधीन किसी प्राधिकारी को इस बात का शुबहा हो जाय कि कस्टोडियन ने ग़लती की है तो ये दोनों अधिकारी जिसकी इच्छा हो जज के पास इसका रेफरेंस कर देंगे और वह जो फैसला करेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। इस संशोधन के द्वारा एक कमी को हम पूरा कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने, इस बिल के ऊपर विचार किया जाय, यह प्रस्ताव करते हुये निवेदन किया था, यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का कहना है कि आगम (title) के विषय में हमारे कस्टोडियन का जो फैसला हो उसे क्वेश्चेन न किया जाया। तो उनसे यह बात तय हुयी और तभी हमने यह संशोधन किया वरन् जैसा हमारा अधिनियम पहले था उसमें तो दिया ही है कि समर्थ न्यायालय हो। अगर उसका कोई फैसला न हो तो आरबिट्रेटर के सुपुर्द कर दिया जाय। इसको उन्होंने नहीं माना जिसकी वजह से हमको यह संशोधन विधेयक पेश करना पड़ा। अब अगर माननीय मित्र के संशोधन को हम मान लेते हैं

तो फिर वही सूरत हो जाती है जो अधिनियम में थी। फिर संशोधन विधेयक लाने का हमारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं, जो मेरे माननीय मित्र का संशोधन है, इसकी बाबत कोई राय जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्थिति ऐसी है। दूसरी बात यह है कि कस्टोडियन के कब्जे में कुल जमीन जो है वह १ लाख १० हजार एकड़ है, सारे सूबे में जबकि कोई सवा चार करोड़ एकड़ भूमि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कोई ·२५ परसेंट जमीन है। तहसील की तहसील पड़ी हैं जहां एक बिसवा भी निष्क्रांत सम्पत्ति नहीं है। गांव तो हमारे ९५ फीसदी होंगे जहां निष्क्रांत सम्पत्ति का एक बिस्वा भी नहीं है। इसलिये अगर यह संशोधन हो जाता है, जैसा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया चाहती है और इस योजना पर कोई प्रैक्टीकल असर भी नहीं होता है तो उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। इसलिये मैं मजबूर हूं और इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकूंगा। जो मैंने अपनी मजबूरी बतलायी है उसको मैं समझता हूं कि वह उसकी वकअत करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन को और भी बल मिला जब माननीय मंत्री जी ने इसको मेरिट्स पर जाने से इनकार कर दिया लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि यह योजना विफल हो। इस सद्भावना को ध्यान में रखते हुये, यह संशोधन भी अंतिम है, मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड १४, १५ और १६

१४––मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जायगी। उ०प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५३ का निकाला जाना।

१५––मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) के वर्तमान खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: उ०प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५४ का संशोधन।

"(द) मध्यस्थ (arbitrator) की नियुक्ति:––

(दद) सिविल जज को आगम के प्रश्न के भेजने की, तथा धारा १२, २२ और ३६ के अधीन सिविल जज द्वारा मध्यस्थ को अभिदेश (reference) की, तथा सिविल जज द्वारा तत्सम्बन्धी निर्णय की चकबन्दी अधिकारी के पास वापसी की प्रक्रिया।"

१६––धारा १७, १९ और २१ में तथा धारा ४३ की उपधारा (२) में तथा धारा ५४ की उपधारा (२) के खंड छ में शब्द "भूमि प्रबंधक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" रख दिये जायं। शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबंदी समिति" का रखा जाना।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४, १५ और १६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४।

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३ को कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधित करने का

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४।

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२२ अप्रैल, १९५४।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ट २६४ पर।)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला जौनपुर में होने वाले कार्यों की सूची

कृषि--इसके अन्तर्गत सिंचाई, फसल प्रतियोगिता, पौधा रक्षण सेवा, ट्रैक्टरों द्वारा बंजर भूमि कृषि योग्य बनाना, कन्टूर बन्धी द्वारा कृषि भूमि का सुधार करना तथा कृषि यंत्र के वितरण करने का कार्य होगा। गन्ने की फसल का रकबा १०,००० एकड़ तक बढ़ाने की योजना है।

सिंचाई--९५ सरकारी नलकूपों का तथा ५० सहकारी नलकूपों का निर्माण-कार्य होगा। इसके अलावा तराई जंगल में शारदा नहर रिजर्वायर (प्रथम खंड) तथा जौनपुर शाखा बनाने का कार्य भी होगा।

पशुपालन--सदर पशु चिकित्सालय का प्रांतीयकरण, जिला बोर्ड के पशु चिकित्सालयों को सरकारी सहायता देना, चिकित्सा बांटना, टीके लगाना, मछली के बच्चों का संचय तथा अन्य जिलों को भी बांटने तथा प्रजनन कार्य के लिये जानवरों के वितरण का कार्य है।

उद्योग--इसके अन्तर्गत प्रौद्योगिक शिक्षक (Technical Education) देना, गुड़ और खादी विकास कार्य है। इसके अलावा करघा सहकारी समितियों के कार्य का निरीक्षण उद्योग विभाग के कर्मचारी करते हैं।

यातायात--जौनपुर-सुजानगंज और बादशाहपुर-सुजानगंज सड़कों पर गवर्नमेंट रोडवेज का कार्य होगा।

स्वास्थ्य--विस्तृत मात्रा में टीके लगाना, प्रसूत-गृह तथा शिशु-पालन केन्द्र खोलना और पृथ्वी अथवा खाने को दूषित होने से वंचित बचाने का कार्य होगा।

चिकित्सा--अस्पतालों की मरम्मत और नयी इमारतें बनाने का कार्य है। इसके अलावा एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का विचार है। जिसमें १९५६ तक १० पुरुष अस्पताल, ६ मातृ शिशु केन्द्र, १७ आयुर्वेदिक अस्पताल व १ स्त्रियों का अस्पताल जिले हो जावेंगे।

श्रम--ट्रेड यूनियन की उन्नति का कार्य हो रहा है और शूगर फैक्ट्री के श्रमिकों के लिये मकान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

सहकारिता--१९५६ तक ६० सहकारी संघों को बनाने की योजना है जबकि १९५२ तक केवल २० संघ ही थे।

हरिजन--इसके अन्तर्गत हरिजन अथवा पिछड़ी जातियों के बालकों में शिक्षा का प्रसार, अच्छे मकान और कुओं की व्यवस्था करना है।

शक्ति--रिहंड बांध बनने पर इस जिले को भी शक्ति मिलेगी।

शिक्षा--जिले में ९१९ प्राइमरी स्कूल, ८१ लड़कों के व ४ लड़कियों के हायर से कैंडरी स्कूल इस योजना के अन्तर्गत हो जावेंगे।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर।)

तालिका

क्रम संख्या	ऋण । अनुदान पाने वाले का नाम	जिला	ऋण	अनुदान	उद्योग
१	२	३	४	५	६
		१९४७-४८			
				रु०	
१	श्री के०एम० कक्कड़	कानपुर	..	५००	साबुन
२	सर्वश्री सतीश बहादुर एन्ड पार्टनर्स, अकबरपुर	कानपुर	..	५००	,,
		१९४८-४९			
३	गुर्सी करन कोआपरेटिव सोसाइटी, सुभाष रोड।	अलीगढ़	..	२,०००	,,
४	श्री दक्खिनी प्रसाद यादव, उमरपुरा।	इलाहाबाद	..	१०००	साबुन
५	श्री मुन्नीदेव प्रेसीडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड।	मुरादाबाद	..	२,०००	तेल और साबुन
		१९४९-५०			
६	श्री केसर सिंह, जल चौरंग स्टेट, पो० आ० गुआलदम।	अलमोड़ा ५००		रु० ..	साबुन
७	श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित, बरिया घाट।	मिर्जापुर	२,०००	..	,,
८	श्री शांति प्रकाश मित्तल, प्रकाश इन्डस्ट्रीज।	सीतापुर	२,०००	६००	,,
९	श्री त्रिलोक चन्द, प्रोप्राइटर, सोप फैक्टरी दुगड्डा।	गढ़वाल	..	५००	,,
१०	श्री दयाराम ममगैन, परोरा पट्टी, इदल साइनदल चौरिया।	गढ़वाल	..	३००	,,
११	श्री अनन्त बहादुर सिंह ११७, सबर्तन रोड।	प्रतापगढ़	..	३००	साबुन और फीनाइल
		१९५०-५१			
१२	श्रीमती सावित्री देवी, ३७५, कर्नलगंज।	इलाहाबाद	..	७५०	साबुन और तेल

क्रम संख्या	ऋण । अनुदान पाने वाले का नाम	जिला	ऋण	अनुदान	उद्योग
१	२	३	४	५	६
			रु०	रु०	
१३	श्री केसरी प्रसाद पांडे, वेलेंडगंज	जौनपुर	३,०००	५००	साबुन और तेल
१४	श्री सूर्यवंश पुरी, तिलसारा, मोहनपुर।	आजमगढ़	..	५००	साबुन
		१९५१-५२			
१५	श्री श्याम गोपाल, ४७४ कटरा।	इलाहाबाद	२,०००	..	,,
१६	श्री दयाराम ममगैन, जय हिन्द सोप वर्क्स, पौरी-गढ़वाल।	गढ़वाल	२,०००	..	,,
		१९५२-५३			
१७	श्री विभूति भूषण बनर्जी, ८६/७६ पीतम्बरपुर।	बनारस	१,०००	..	साबुन
१८	श्री राम शंकर लाल, वेलेंडगंज।	जौनपुर	२,०००	..	साबुन और तेल
१९	सहकारी साबुन समिति, सेवापुरी।	बनारस	..	५००	,,
		१९५३-५४			
२०	श्री रामशंकर लाल, वेलेंडगंज	जौनपुर	..	५००	,,
२१	साबुन सहकारी समिति	गाजीपुर	..	५००	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर।)

	क—पुरुषों के लिये	ख—महिलाओं के लिये
१—रीतिक (Formal) और औपचारिक (Ceremonial) अवसरों के लिए।	काली शेरवानी और सफेद या क्रीम रंग का चूड़ीदार पैजामा या काला बंद गले का कोट और काला, सफेद या क्रीम रंग का पतलून। गर्मी के मौसम में शेरवानी या कोट भी सफेद या क्रीम रंग का।	हल्के रंग की साड़ी, यदि उसमें किनारा हो तो साधारण हो।
२—ऐसे अवसरों के लिये जो विशेष रीतिक न हों तथा सायंकाल की पार्टियों के लिये।	काला बंद गले का कोट तथा काला या सफेद पतलून। गर्मी के मौसम में सफेद अथवा क्रीम रंग का कोट।	ऊपर जैसी साड़ी या सलवार, कमीज दुपट्टा।
३—दफ्तर की पोशाक	बंद गले का कोट तथा पतलून। यह जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही रंग के हों। कोट या पतलून का रंग सफेद भूरा या किसी दूसरे हल्के रंग का हो। चटकीले रंग का प्रयोग न हो तो अच्छा हो। गर्मी के मौसम में दफ्तर में बुश शर्ट पहनी जा सकती है।	बिना किनारीदार या साधारण किनारीदार सूती या रेशमी साड़ी या सलवार कमीज और दुपट्टा या सिर्फ उनके लिए जो इसके आदी हों स्कर्ट और ब्लाउज।
टिप्पणी (१)	कपड़ा सूती रेशमी या ऊनी, जैसा भी उचित हो, हो सकता है। किन्तु स्वदेशी होना चाहिये और अच्छा हो, यदि वह हाथ का कता या हाथ का बुना हो।	कपड़ा, रंग और डिजाइन ऐसी होनी चाहिये जो मान मर्यादा की दृष्टि से उपयुक्त हों। दफ्तर में पहनने के ब्लाउज और साड़ियां हल्के रंग की होनी चाहिये
(२)	सभी औपचारिक अवसरों पर, जबकि कर्मचारियों को राष्ट्रपति से मिलना होता है या ऐसे जिसमें राष्ट्रपति उपस्थित हों, राष्ट्रपति की इच्छा है कि कर्मचारी हाथ के कते और हाथ के बुने कपड़े पहनें।	और ब्लाउजों की लम्बाई उपयुक्त होनी चाहिये। कपड़ों के रंग बहुत चटकीले न हों। उनकी डिजाइन बहुत भड़कीली, फूलदार या चमकदार न होनी चाहिये। सलवार कमीज तथा स्कर्ट ब्लाउज भी इस तरह की न हों। कपड़े स्वदेशी और यदि सम्भव हो तो हाथ के कते और हाथ के बुने हों तो अच्छा हो।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

बकाया गन्ने के मूल्य का विवरण

क्रम सं०	मिल का नाम	१, नवम्बर १९५३ को शेष	१, मार्च १९५४ को शेष	टिप्पणी
१	२	३	४	५
		(लाख रु०)	(लाख रु०)	
१	बेगमाबाद	..	२.२७	
२	मोहिउद्दीनपुर	४.०८	२.६०	
३	मलियाना	४.३०	६.४६	
४	सिंभौली	.०१	५.७२	
५	डौराला	..	३.७३	
६	मवाना	..	८.७७	
७	सखोती टांडा	..	३.०२	
८	शामली	..	२.७८	
९	खतौली	.०८	६.३९	
१०	रोहाना	..	४.३४	
११	मन्सूरपुर	..	५.५७	
१२	सहारनपुर	१२.६८	९.१४	
१३	लक्सर	..	३.५३	
१४	देवबन्द	.२५	४.१७	
१५	डोईवाला	..	२.०१	
१६	अब्दुल्लापुर	..	२.५२	
१७	बरेली	४.८९	४.३८	१६-२-५४ को
१८	बहेड़ी	.०३	१.३९	
१९	बिलाड़ी	.४४	२.९१	
२०	अमरोहा	.०८	२.९९	
२१	बिजनौर	.१७	.५०	१६-२-५४ को
२२	धामपुर	.३०	३.६३	
२३	सिबहारा	.२२	.७२	
२४	काशीपुर	३.१२	३.९२	१६-२-५४ को
२५	गोकुलनगर	१९.७९	१९.७९	
२६	पीलीभीत	..	३.८६	
२७	रामपुर	.७९	४.७१	
२८	रोजा	.०२	२.३४	
२९	नेवली	.०२	१.०३	
३०	गोला	.५६	४.५८	
३१	ऐरा	.६०	२.२२	
३२	हरगांव	.३१	१.३३	
३३	महोली	.२१	२.४२	
३४	बिलवां	..	.१०	

सत्यमेव जयते

क्र० सं०	मिल का नाम	१, नवम्बर १९५३ को शेष	१, मार्च १९५४ को शेष	टिप्पणी
१	२	३	४	५
३५	बुड़वल	..	.२२	
३६	बाराबंकी	.३१	२.८७	
३७	मसौधा	.१६	१.०९	
३८	शाहगंज	.१४	.५३	
३९	हरदोई	..	.१९	
४०	नवाबगंज	.०९	.६०	
४१	बलरामपुर	.१८	२.८४	
४२	तुलसीपुर	.५२	.७१	
४३	बंभनान	..	.७३	
४४	खलीलाबाद	..	१.१	
४५	मुंडेरवा	..	१.९८	
४६	बस्ती	..	२.५८	
४७	वाल्टरगंज	..	.९४	
४८	जरवल	३.२०	५.१४	
४९	सिसवाबाजार	..	२.३८	
५०	फरेंदा	२.४०	३.९८	
५१	घुघली	..	३.५८	
५२	पिपराइच	१.९२	५.८७	
५३	छितरौनी	.३७	४.०७	
५४	खड्डा	६.६१	९.४९	१५-३-५४ को
५५	सरदारनगर	२.५२	८.१७	
५६	लक्ष्मीगंज	.७८	३.३७	
५७	कप्तानगंज	.८८	२.९९	
५८	पड़रौना	६.१९	१२.००	
५९	सिवराही	.१७	५.३९	
६०	रामकोला (खेतान)	.२२	४.१०	
६१	रामकोला (पंजाबी)	.१०	५.११	
६२	कठकुइयां	१४.९०	३.३०	
६३	देवरिया	.१८	१.४७	
६४	गौरी बाजार	...	२.३९	
६५	बैतालपुर	.४६	२.०७	
६६	प्रतापपुर	.२३	.८६	
	योग	९५.४८	२३७.२६	

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ–२९३–पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक १९५४ ई० पर संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट

हम निम्नहस्ताक्षरित संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ ई० विचारार्थ दिया गया था। हमने इस विधेयक पर विचार कर लिया है और अब हम संलग्न विधेयक के साथ, जैसा हमने उसका संशोधन किया है, अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

२—समिति ने अपनी बैठकें ६, ७, ८, ९, १३, १४, १५, १६, १९ तथा २० अप्रैल, १९५४ ई० को विधान भवन में स्वशासन मंत्री, श्री मोहन लाल गौतम जी, के सभापतित्व में की।

३—हमने विधेयक के एक-एक खंड पर विचार करके बहुत से संशोधनों का प्रस्ताव किया है परन्तु उनमें सभी बराबर महत्व के नहीं हैं। विधेयक के निम्नलिखित संशोधन महत्वपूर्ण हैं :

विधेयक का खंड ३

स्पष्टता की दृष्टि से मूल ऐक्ट में जहां कहीं भी शब्द "case" और "suit' आये हैं केवल उन स्थानों को छोड़ कर जहां संदर्भ से इन शब्दों के भिन्न अर्थ हैं, क्रमशः शब्द "criminal case" तथा "civil case" रख दिये गये हैं।

विधेयक के खंड १२, १३ और ३५

गांव सभा के प्रधान, गांव पंचायत के सदस्य और न्याय पंचायत के पंचों के कार्यकाल की अभिवृद्धि की सीमा कुल एक वर्ष के लिये सीमित कर दी गई है।

विधेयक का खंड १३

इस खंड के अधीन ही प्रस्तावित नई धारा १२ को उपधारा ७ और ८ का भी संशोधन कर दिया गया है जिससे १—परिगणित जातियों के लिये जगहों का संरक्षण २६ जनवरी, १९६० ई० तक ही किया जा सके और २—राज्य सरकार द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति के निमित्त मनोनयन से पूर्व गांव सभा को चुनाव करने के लिये दो अवसर प्राप्त हों।

विधेयक के खंड १४ और ३३

प्रस्तावित नयी धारायें १२'ए' और ४३ इस प्रकार संशोधित कर दी गयी हैं जिससे धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन निर्धारित संख्या के अतिरिक्त पांच से कम व्यक्ति भी, यदि ऐसा नियत किया जाय, चुने जा सकें, और न्याय पंचायत के पंचों के मनोनयन का अधिकार "जिला मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर "निर्धारित प्राधिकारी" को दे दिया गया है।

खंड १४—प्रस्तावित नयी धारा १२

उपधारा १ निकाल दी गयी है।

विधेयक का खंड १७

मूल अधिनियम की धारा १५ के खंड (*h*) में शब्द "the State Government" के पश्चात् शब्द "and the District Board" जोड़ कर उपखंड (१) में पूर्व प्रस्तावित संशोधन बदल दिया गया है।

विधेयक का खंड १८

प्रस्तावित धारा ३७ की उपधारा (1) के खंड (*d*) में एक प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया गया है, ताकि उन क्षेत्रों के जमींदारों की भी, जहां जमींदारी विनाश नहीं हुआ है, भू-कर का भुगतान करने के लिये सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड २९

१—प्रस्तावित नयी धरा 37-A निकाल दी गयी है। समिति की राय में अनिवार्य श्रमदान के लिये वैधानिक व्यवस्था आवश्यक नहीं है। श्रमदान का मूलभूत सिद्धांत ही स्वेच्छा पर आधारित है।

२—नयी धारा 37-D को अधिक व्यापक बना दिया गया है ताकि निर्धारित प्राधिकारी तथा गांव सभा को नियत दशाओं के अधीन कर अथवा शुल्क के संबंध में सम्पूर्ण अथवा आंशिक छूट देने के लिये अधिकार दिया जा सके, और किसी पिछले वर्ष किये गये कर-निर्धारण के संबंध में इस प्रकार की छूट दी जा सके।

विधेयक का खंड ३०

प्रस्तावित धारा ३९ की उपधारा (२) में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि कोर्ट फीस तथा जुरमानों के रूप में वसूल की हुई धनराशि में सरकार संबंधित गांव-सभाओं को न्याय पंचायतों के लिये ५० प्रतिशत के भीतर ऐसा भाग देगी, जो वह नियत करे।

विधेयक का खंड ४३

प्रस्तावित धारा ५२ की उपधारा (1-A) में यह जोड़ दिया गया है कि सरकार आवश्यकतानुसार साधारणतः सभी न्याय पंचायतों के अथवा किसी विशिष्ट न्याय पंचायत के अधिकार क्षेत्र से उपधारा १ के (*a*) से (*b*) तक खंडों में उल्लिखित अपराधों पर निर्णय करने का अधिकार हटा दे।

विधेयक का खंड ४४

विधेयक का खंड ४४ निकाल दिया गया है और यह व्यवस्था की गयी है कि यदि जमानत नहीं दी जाती है, तो उस पर ५ रुपया तक प्रतिदिन जुरमाना लगाया जा सकेगा।

विधेयक का खंड ७१

यह व्यवस्था कर दी गयी है कि पुनरावलोकन के आवेदन-पत्रों के संबंध में ६० दिन की अवधि आह्वानपत्र व्यक्तिगत सिद्ध न होने की दशा में एक पक्षीय आदेश के ज्ञात होने की तिथि से लगाया जावे।

बिधेयक का खंड ७३

प्रस्तावित धारा ९३ की उपधारा (२) के उपबंधों को हटा दिया गया है।

विधेयक का खंड ७६

(१) पंचायत राज अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९५ की उपधारा (१) के खंड (*g*) के उपखंड (४) के अधीन वर्णित अयोग्यता से पंच को मुक्त कर दिया गया है।

(२) मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ९५ की उपधारा (२) के खंड (*g*) के के उपखंड (i) तथा (ii) में उल्लिखित त्रुटियों के कारण हटाये गये व्यक्ति को फिर से चुने जाने तथा फिर से नियुक्त किये जाने के लिये उन अयोग्यताओं से जिनकी उपधारा (२) में व्यवस्था है, मुक्त कर दिया गया है।

खंड ८६

मूल अधिनियम की धारा ११० में एक नई उपधारा ३ जोड़ दी गई है, जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खे जायेंगे और उनमें विधान मंडल ऐसे परिष्कार कर सकता है जो वह चाहे।

४—संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। संयुक्त प्रवर समिति यह आवश्यक नहीं समझती कि विधेयक को पुनः प्रकाशित किया जाय।

५—इस अवसर पर हम अपना यह विचार भी व्यक्त करते हैं कि गांव पंचायतों के साथ-साथ गांव सभाओं की भूमि प्रबन्धक समिति के होने से गांवों में बड़ी गड़बड़ी हो रही है और ऐसे उपाय करना शीघ्र ही आवश्यक है जिससे भूमि प्रबन्धक समिति गांवसभा के वास्तविक रूप से अधीनस्थ रहे।

मोहन लाल गौतम
कृपा शंकर
*रामनारायण त्रिपाठी
†बालेन्दु शाह
**परमानन्द सिन्हा
हरिश्चन्द्र अस्थाना
जगन्नाथ बख्श दास
*गेंदा सिंह
व्रजविहारी मिश्र
केशव पांडेय
हरी सिंह वैदेह
हरिश्चन्द्र वाजपेयी
जोरावर वर्मा
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी
*अब्दुल लतीफ
रामप्रसाद देशमुख
वीरेन्द्र वर्मा
रामनन्दन सिंह
*गुरुनारायण
प्रताप चन्द्र आजाद
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार

---

*असहमति टिप्पणी के अधीन।

**असहमति टिप्पणी का अधिकार सुरक्षित रखते हुये।

†प्रवर समिति के कुछ निर्णयों के संबंध में संशोधन प्रस्ताव लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अब्दुल लतीफ, एम० एल० ए० की असहमति टिप्पणी

नगरपालिका अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य अधिनियमों में अध्यक्ष के लिय किसी योग्यता की व्यवस्था नहीं की गयी है। मौजूदा विधान मंडल द्वारा जब से अधिनियमों का संशोधन किया गया है तभी से इस प्रकार का कोई संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। अवश्य ही यह असंगत प्रतीत होता है कि गांव सभाओं के अध्यक्षों के लिये ऐसी योग्यताओं का प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, जबकि इतनी महत्वपूर्ण स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्षों के लिये किसी प्रकार योग्यता का प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है। अतः मैं इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते समय अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता हूं कि सदन में मैं इस संबंध में संशोधन ला सकूं।

अब्दुल लतीफ खां,
एल० एल० ए०
२०-४-५४

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

MINUTE OF DISSENT BY SRI GURU NARAIN, M. L. C.

PANCHAYAT RAJ is a remarkable experiment in democracy. To U.P.should go the credit of launching this experiment with courage and hope. Whatever the defects of the legislation that ushered in this scheme of tiny village republics, there is no denying that the seeds have been sown. It is for the people to water the plant and make it a big tree.

It is but natural that the system of Panchayat Raj should be reviewed, after nearly five years of its working. The committee that went into the working of this system no doubt took great pains to analyse the pros and cons of the various issues involved in this system. The result was a comprehensive amending Bill. It was referred to a Joint Select Committee of both Houses of legislature. Nevertheless, I should say that some of the provisions of the Amending Bill are far reaching in consequences and ought not to be given effect to without still further scrutiny.

I am glad that as a result of discussions in the Joint Select Committee, the most objectionable feature of the Bill, namely the right given to Gram Panchayats to enforce compulsory labour, has been dropped. This proviso seems to have been included in the Bill as a result of wrong interpretation of Article 23 of the Constitution Act.

The success of the Panchayat Raj will undoubtedly depend on the person described as the "prescribed authority" . This prescribed authority is not defined. There may be more than one prescribed authority to deal with different problems. He can make or mar the Panchayat Raj. The Bill does not say who should be the prescribed authority and what should be his rank. Unless the 'prescribed authority' happens to be a high official, at least not below the rank of either a district magistrate or a sessions Judge, it is difficult to expect any other official of a lower rank to exercise certain amount of impartiality and straight-forwardness in the selection of members of Nyaya Panchayat or in the discharge of his duties with regard to Panchayat Raj affairs without in any way trying to curry to the Government's favour.

SECRECY OF BALLOT

The committee that inquired into the working of the Panchayat Raj Act elaborately discussed the ethics of secrecy in voting for Panchayat elections, but seems to have left it to the Panchayat themselves to decide it. This is an escapist philosophy. It may be that formerly villages were free from party politics, but in the present set up sooner or later we will have broad party divisions in rural life. This is a fact to which we should not close our eyes. Such being the case, we should face the problem boldly. If you insist on voting by show of hands, many responsible and intentioned people may not like to contest elections. There is every fear of people being bullied by interested parties. In view of this whatever the expenses involved in secret balloting, we have necessarily to go in for it. There is no escape from it.

FINANCES FOR PANCHAYAT

No doubt Gram Sabhas should be self supporting, but in our anxiety to make them self-supporting we should not give the Gram Sabhas a free hand to levy all kinds of taxes. This will result only in increasing the cost of living in rural areas. Taxation, particularly in rural areas, should be kept

at the lowest level. The ethics of taxation should be judged by the returns that the State gives to the people. There should be a lower limit for tax exemption, i.e. people getting below a certain level of income should be exempted from all taxes. This is the elementary duty that the State owes to a citizen. There can be no justification for taxing say, for instance an old woman keeping a cow and selling milk product for her sustenance. I am afraid that the Gram Sabhas will levy the maximum that is permitted under the Bill.

Before the abolition of zamindari government were collecting a cess of half an anna in the rupee from ex-zamindars. Now that the zamindari has been abolished, government are now imposing a levy of one anna in the rupee from the tenants for the purposes of maintaining Gram Pahchayats. Now why should not the Government give that half an anna in the rupee to the Panchayats ? This would be a good source of revenue to the Panchayats and at the same time enable the Panchayats to provide tax relief to its citizens.

ROLE OF LEKHPALS

The Amending Bill does not clearly define the role of the lekhpals. Probably Government's idea seems to be ultimately to make lekhpals secretaries of the Gram Panchayats. One can understand the difficulty of the Government in trying to see that the Gram Panchayat administration does not go by default for want of efficient executive officers. The same difficulty had cropped up in Bombay and Madras States. They have overcome it by having a provincial cadre of executive officers for Gram Panchayats. Of course this elaborate machinery involves huge expenditure but in the back-ground of lack of suitable men for the job there is no alternative but to go in for them, if Panchayat administration should be run on smooth lines.

Here in U. P. there is an anomaly in the Panchayat Raj. There is what is known as the Land Management Committee. The local Patwari is also the secretary of the Land Management Committee. The committee comes under the Revenue department. Curiously most of the members of the Land Management Committee are also members of the Gram Panchayat. This management Committee can be performed by the Gram Panchayats and the dual responsibility of the Revenue and Local Self Government department can be terminated.

It is better to leave Patwaris who are now known as lekhpals to do their jobs for which they are intended. If lekhpals are made secretaries to Gram Panchayats there is bound to be an unending clash between the lekhpals and Gram Panchayats. In the event of a serious clash between a Gram Panchayat and its lekhpal, there will either be total deadlock or a Gram Panchayat will become subservient to the lekhpal if the latter proves to be very strong.

If the Government cannot have a cadre of provincial executive officers for Panchayats, let the Panchayats elect their own secretaries and let them learn through mistakes. When the Government have gone to the extent of conferring so much power and responsibility on illiterate villagers, there is no harm in going a step ahead and asking them to conduct their own affiairs with their own nominees.

FAILURE TO PASS BUDGET

The Amending Bill does not show a way out in the event of a serious deadlock between the Gram Sabhas and Gram Panchayats. According to the Bill if the Gram Sabhas do not approve the estimate of income and expenditure framed by the Gram Panchayat in the first instance, it can send it back to the Panchayat. But subsequently if a Gram Sabha rejects the revised budget there is no provision to take this no-confidence to its logical conclusion. In this case the prescribed authority is to make the necssary changes and the budget will have the effect as it has been passed by the Gram Sabha. By no stretch of imagination can this be called democratic. If the Gram Sabha does not pass the budget it means it has no confidence in the Gram Panchayat. The next logical sequence of events would be to dissolve the Gram Panchayat and call for fresh elections.

ABOLITION OF DISTRICT BOARDS

Another important aspect of the Panchayat Raj administration has not been tackled. In any case, sooner or later, the issue will crop up. It is in respect of district boards. When Panchayat Raj administration is put on a firm footing, the district boards will become superfluous, and will be a fifth sheel in the coach. It is time, Government bestowed serious thought over this, and sooner the district boards are abolished, the better it would be for the efficient working of Panchayat Raj.

There are other minor points on which I do not propose to touch at present.

April, 21, 1954. (Sd.) GURU NARAIN, M.L.C.

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

पंचायत राज संशोधन विधेयक, १९५४ के लिये निर्वाचित संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट पर असहमति टिप्पणी

इस प्रदेश के ग्राम में पंचायतों का निर्माण (Village Republics) का प्रारम्भ मानते हैं। यह जानते हुये भी पंचायतों के कार्य में अनियमितताये हुई हैं, न्याय पंचायतों में भ्रष्टाचार रहा है और प्रदेश की जनता का एक बहुत बड़ा अंश इसका घोर विरोधी है, हमारी यह राय है कि पंचायतों की व्यवस्था प्रदेश में होनी चाहिये। प्रजातंत्र में गलती करने तथा उससे सीखने का अधिकार है।

आज यदि पंचायतों में कोई दोष है तो उसका कारण एक तो हमारा समाज है और दूसरे शासनारूढ़ सरकार है, जो इनकी उचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है।

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि पंचायतें ठीक ढंग से चलाई जायं, उन पर सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमाना अधिकार के प्रयोग तथा नियंत्रण के बजाय, यदि सलाह और सहयोग की व्यवस्था कायम की जाय तो पंचायतें अवश्य सफल होंगी।

सरकार ने इस विधेयक को तैयार करने में काफी समय लिया। इसके लिये एक सरकारी कमेटी भी बनाई गई थी। हमें आशा थी कि जिन कारणों से पंचायतों का विरोध हो रहा है, इस विधेयक द्वारा वे पूर्णरूपेण समाप्त कर दिये जायेंगे। परन्तु प्रस्तुत विधेयक में उक्त सरकारी कमेटी की बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें भी नहीं मानी गई हैं। इस विधेयक द्वारा पंचायतों की व्यवस्था में सरकारी नियंत्रण और भी बढ़ाया जा रहा है और सरकार और भी अधिकार ले रही है, जो हमारी राय में पंचायतों को अपने पैर पर खड़ा होने देने में सहायक नहीं होगा।

संयुक्त प्रवर समिति ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं जिनमें प्रस्तावित विधेयक की धारा ३७-ए का निकाला जाना जिसके द्वारा अनिवार्य श्रमदान की व्यवस्था की गयी थी सबसे महत्वपूर्ण है।

इन परिवर्तनों के बावजूद विधेयक में बहुत सी आपत्तिजनक बातें रह गई हैं। जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं :--

(१) सबसे आपत्तिजनक बात तो न्याय पंचों की नियत अधिकारी द्वारा नामजदगी है। विधेयक की यह धारा प्रजातंत्र के मूल आधार पर ही कुठाराघात करती है। सरकार द्वारा लिये गये इस अधिकार का बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा। तथा इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। न्याय पंचों का चुनाव पूर्ववत् होना चाहिये।

(२) जब कि प्रदेश की जनता विभिन्न प्रकार के सरकारी टैक्सों से यों ही बोझिल हो रही है तो उक्त दशा में पंचायतों द्वारा विभिन्न और बहुत से टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था अनुचित है। कर लगाने में किसी निश्चित आमदनी के ऊपर ही कर लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये। जिनकी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है। ग्राम सभा की ऐसी बैठकों के लिये जिनमें टैक्स लगाये जावें, बैठक का कोरम १/२ होना चाहिये। १/५ कोरम पर ही टैक्स लगाने का अधिकार ठीक नहीं है।

(३) विधेयक में ग्राम सभा की कार्यवाही लिखने के लिये ग्राम प्रधान को हिन्दी भाषा जानने तथा देवनागरी लिपि में लिखने की क्षमता रखने की व्यवस्था की गई है। हमारी राय है कि यदि प्रधान प्रदेश में आमतौर से प्रचलित कोई भाषा जानता हो वह भी उचित योग्यता मानी जानी चाहिये। पढ़ने की योग्यता के अलावा ग्राम प्रधानों की कम से कम अवस्था ३० वर्ष रखी गयी है। हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों में ३० वर्ष के पढ़े-लिखे लोग बहुत कठिनाई से मिलेंगे। इस व्यवस्था से इन लोगों को ग्राम प्रधान होने का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

(४) ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों के लिये प्रदेश की हर प्रकार की मालगुजारी का २५ प्रतिशत ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिये परन्तु पंचायत मंत्रियों के वेतन आदि के रूप में जो धन सरकार ग्राम पंचायतों को देती है वह नगण्य है।

(५) पहले अधिनियम में इस बात की व्यवस्था थी कि अध्यापक भी ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत के पदाधिकारी तथा सदस्य हो सकते हैं, परन्तु यह व्यवस्था इस विधेयक में हटाई जा रही है, यह उचित नहीं है।

(६) पंचायतों का चुनाव गुप्त रीति से होना चाहिये इसकी इस विधेयक में व्यवस्था नहीं है।

(७) पंचायतों के चुनाव में उम्मीदवारों के लिये इस विधेयक में फीस तथा जमानत दोनों की व्यवस्था की गई है। केवल जमानत की ही व्यवस्था होनी चाहिये।

(८) मूल अधिनियम में पंचायतों के जीवन की अवधि ३ वर्ष थी अब ५ वर्ष की जा रही है। ३ वर्षों की व्यवस्था काफी होनी चाहिये थी।

(९) हमारी राय में ग्राम पंचायतों को अनिवार्यरूप में मालगुजारी वसूल करने का अधिकार मिलना चाहिये। और उनको आवश्यकता पड़ने पर सरकारी कर्मचारी सहायक के रूप में दिये जाने चाहिये, इस प्रकार की व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है।

(१०) इस विधेयक द्वारा सरकार यह भी अधिकार ले रही है कि वह जब चाहे किसी भी ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत को या उनके प्रधान सरपंच या सहायक सरपंच को किसी ग्राम पंचायत के सदस्य को मुअत्तल कर या निकाल सकती है, जब चाहे किसी एक ग्राम सभा न्याय पंचायत को मुअत्तल या भंग कर सकती है। सरकार द्वारा इस प्रकार का अधिकार लेना अनुचित है। चुनी हुई संस्थाओं में जगहें चुनाव द्वारा ही भरी जानी चाहिये और चुनी हुई जगहों के पदाधिकारियों को उनके वोटरों द्वारा ही हटाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

(११) इस विधेयक द्वारा सरकार इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी दो वर्ष की अवधि तक इस अधिनियम के अन्तर्गत परिष्कारों, परिवर्धनों अथवा अकरणों के लिये ले रही है, यह अवधि बहुत ही अधिक है। इसके लिये ६ महीना काफी होना चाहिये था।

गेंदा सिंह,
रामनारायण त्रिपाठी,
सदस्य, विधान सभा।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में और अधिक संशोधन करने के लिये

विधेयक

यू०पी०ऐक्ट २६, १९४७।

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है;

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और शेष धारायें ऐसे दिनांक से प्रचलित होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे और विभिन्न धाराओं के निमित्त विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

यू०पी०ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

[२]२—(१) यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है की धारा १ की उपधारा (२) में से शब्द "the Jaunsar Bawar pargana of the Dehra Dun District and the portion of Mirzapur District, south of kaimur Range and" निकाल दिये जायं और शब्द [Municipality] "municipality तथा [Notified area] 'notified area' के बीच में आये हुये 'कामा' के स्थान पर शब्द "or" रख दिया जाय

(२) मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (२) के नीचे निम्नलिखित 'स्पष्टीकरण" बढ़ा दिया जायगा:—

"*Explanation*—In this Sub-section the expression "municipality includes a municipal corporation established in accordance with the law for the time being in force".

यू०पी०ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

[(१)] (१—क) खंड (b) में [शब्द और कामा, "male or female", निकाल दिये जायं और] शब्द "Completed his or her twenty first year" के स्थान पर शब्द "attained the age of twenty-one years" रख दिये जायं,

(१—ख)—खंड (c) में शब्द "case" के स्थान पर शब्द "criminal case" रखा जायगा।

(२) खंड [(i)] (j) निकाल दिया जाय।

(३) वर्तमान खंड (*m*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ---

"(*m*) 'revenue case' means a case under the United Provinces Land Revenue Act, 1901, or the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or any other law relating to land tenure triable by a Nyaya Panchayat." U. P. Act III of 1901, U.P. Act I of 1951.

(४) खंड (*m*) के बाद नये खंड (*mm*) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय ---

(*mm*) 'Public property' and 'public land' means any public building, [public] park or garden or other place to which for the time being the public have or are permitted to have access whether on payment or otherwise."

(५) खंड (*o*) में अन्त में आये हुये 'सेमीकोलन' के स्थान पर 'कामा' रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय

"but does not include any such road, street, Bridge, lane square, court, alley or passage owned, maintained or repaired by the State Government or the Central Government or any other local authority ;"

[(६)](६-क) खंड (*r*) निकाल दिया जाय

(६-ख)---खंड (*s*) में शब्द "suit" के स्थान पर शब्द "Civil case" रखा जायगा।

(७) खंड (*t*) में अन्त के आये हुये 'सेमीकोलन' के स्थान पर 'कामा' रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:--

"and includes any area which the State Government may, by general or special order, declare to [the] be a village for the purposes of this Act ;"

(८) खंड (*u*) और (*v*) निकाल दिये जायं।

४ -मूल अधिनियम में:--

(क) शब्द "Panchayati Adalat" जहां कहीं भी वह आया हो के स्थान पर शब्द "Nyaya Panchayat" यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में शब्द Nyaya panchayat आदि का रखा जाना।

(कक) विषय और संदर्भ से प्रतिकूल न होने पर ---

(i) शब्द "case" के स्थान पर जहां-जहां वह आया है शब्द "criminalcase" तथा

(ii) शब्द "suit" के स्थान पर जहां-जहां वह आया है शब्द "civil case"

(ख) धारा 77-A की उपधारा [(i)] (१) के अन्त में धारा ९५ के खंड (*c*) में और धारा १०३ और १०६ में आये हुये शब्द "proceeding" को छोड़कर जहां कहीं भी शब्द "proceeding" और आया हो उसके स्थान पर शब्द "revenue case" और

(ग) शब्द "budget" जहां कहीं भी वह आया है के स्थान पर शब्द "annual estimate of income and expenditure"

(गग) शब्द "President" के स्थान पर शब्द "Pradhan"

(गगग) शब्द "Vice President" के स्थान पर शब्द "Up-Pradhan" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Membership of Gaon Sabha.

"5. (1) A Gaon Sabha shall consist of all adults ordinarily resident within the area for which it is establishd but a person shall be disqualified for being a member of the Gaon Sabha if he—

(*a*) is not a citizen of India ; or

(*b*) is of unsound mind and stands so declared by a competent court.

(2) A person shall be deemed to be ordinarily resident in a village if he has been ordinarily residing in such village or towns or is in possession of a dwelling house (,) therein, ready for [occupations] occupation".

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धाराएं 5-A और 5-B का रखा जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा ५ के बाद निम्नलिखित नई धारायें 5-A और 5-B के रूप में बढ़ा दी जायं:—

Disqualification for holding office under Gaon Sabha or Nyaya Panchayat.

"5-A. A person shall be disqualified for being chosen, nominated or appointed to, and for holding any office in the Gaon Sabha or the Gaon Panchayat, or the Nyaya Panchayat constituted under section 42, if he—

(*a*) is, for the time being, not a member of the Gaon Sabha concerned,

(*b*) holds any office of profit under [the] a State Government or the Central Government or a local authority (other than a Gaon Sabha or Nyaya Panchayat),

(c) is a salaried servant of [the] a Gaon Sabha or a Nyaya Panchayat.

(*d*) has been dismissed from the service of [the] a State Government, the Central Government or a local authority or a Nyaya Panchayat for misconduct,

(e) is in arrears of any tax, fee or rate due by him to the Gaon Sabha for such period as may be prescribed.

(*f*) is suffering from leprosy,

(*g*) is an undischarged insolvent,

(*h*) has been cenvicted of an offence invloving moral turpitude, [or].

(*i*) has been ordered to give security for good behaviour under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898, or

V of 1898.

(*j*) is cenvicted of an election offence :

Provided that the [disqualification] disqualifications under clauses (*d*) , (*g*), (h), (i) and (j) may in the manner prescribed be removed by the State Government :

Provided further that the disqualification under clause (*e*) shall cease upon payment of the arrears."

Qualifications for holding office of (president) pradhan.

"5-B. A member of a Gaon Sabha shall not be qualified to be chosen as [President] Pradhan unless he is not less than 30 years of age and, except where the prescribed authority may relax, knows to read and write Hindi in Devanagri characters [,]."

७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६ का संशोधन।

Ceasation of membership.

"6. (1) A member of a Gaon Sabha shall cease to be a member [,] if—

(*a*) he is disqualified under section 5, [or]

(*b*) the area [to here] where he resides has been excluded from the jurisdiction of the Gaon Sabha, or

(*c*) he has ceased to be ordinarily resident within the [jurisdictions] jurisdiction of the Gaon Sabha.

(2) Where any person ceases to be a member of a Gaon Sabha under sub-section (1) he shall also cease to hold any office to which he may have been elected, nominated or appointed by reason of his being a member thereof."

८—मूल अधिनियम की धारा ६ के बाद निम्नलिखित नई धारा 6—A के रूप में रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारा 6—A का रखा जाना।

Decision on question as to disqualification.

"6-A. If any question arises as to whether a person has become subject to any disqualification mentioned in section 5[,] or 5-A or in sub-section (1) of section 6, the question shall be referred for the decision of the prescribed authority and his decision shall, subject to the result of any appeal as may be prescribed, be final, and the name of the person shall, if necessary, be struck off from the register of members."

९—मूल अधिनियम की धारा ७ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७ का निकाला जाना।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द "permanently" के स्थान पर शब्द "ordinerily" रख दिया जाय।

यू० पी ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ११ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

[Meeting] Meetings of Gaon Sabha.

"11.(1) Every Gaon Sabha shall hold two general meetings in each year, one soon after harvesting of the *kharif* crop (hereinafter called the *kharif* meeting), and the other soon after harvesting of the *rabi* crop (hereinafter called the *rabi* meeting) :

Provided that the [President] Pradhan at any time may, or upon a requisition in writing [of] by the prescribed authority or by [no] not less than one-fifth of the members shall, within 30 days from the receipt of such requisition, call an extra-ordinary general meeting. The time and place of all the meetings of the Gaon Sabha shall be published in the prescribed manner:

Provided further that where the [President] Pradhan fails to call a meeting as aforesaid the prescribed authority may do so within a period to be prescribed.

(2) For any meeting of the Gaon Sabha one-fifth of the total number of members of the Gaon Sabha shall from the quorum; provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नयी धाराएं 11-A, 11-B और 11-C का बढ़ाया जाना।

१२—मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नयी धारायें 11-A, 11-B, और 11-C बढ़ा दी जायं।

Election of [President] pradhan.

"11-A. (1) The President shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed and he shall be called Pradhan.

(2) The term of office of the pradhan shall be 5 years from the date of his election ; Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend the term [from time to time] for a total period not exceeding one year [at a time].

(3) The[declaration] notification under sub-section (2) may be published at any time before the expiry of 5 years aforesaid or where the prieod has been extended before the expiry of such extended period.

Election of [Vice-President]up-Pradhan.

11-B. (1) The Vice President shall be elected annually by the Gaon Panchayat from amongst its members in such manner as may be prescribed and he shall be called [UP] Up-Pradhan.

(2) The term of office of [UP] Up-Pradhan shall be one year from the date of his election.

11-C. No person shall simultaneously hold any office [both]—

Prohibition of holding office simultaneously in Gaon Panchayat, Nyaya Panchayat and in more than one Gaon Sabha.

(*a*) both in the Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat, or

(*b*) in more than one [Gaon Sabha] Gaon sabhas and the rules may provide for [the vacation by a member who is so chosen to two such offices for the vacation] of one or the other office."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १२ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"12. (1) As soon as may be after its establishment , every Gaon Sabha shall elect from amongst its members an Executive Committee called the Gaon Panchayat.

(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the [President] Pradhan and the [Vice-President] Up-Pradhan of the Gaon Sabha shall be ex-officio [President] Pradhan and [Vice-President] Up-Pradhan of the Gaon Panchayat.

(3) The term of office of a member of Gaon Panchayat other than a [President] Pradhan or [vice-President] Up-Pradhan or a member chosen to fill a casual vacancy shall be 5 years [·]

Provided that the State Government may, by notificaton in the official *Gazette* , extend the term from time to time for a period not exeeding one year. [at a time].

(4) The [declaration] Notification under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of five years aforesaid or when the period has been extended before the expiry of such extended period.

(5) The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into such number of constituencies as may be convenient for the purpose of election.

(6) The election of the members of a Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such manner [a] as may be prescribed and the rules may provide for the payment of fees and the furnishing of security deposit.

(7) Seats shall be reserved for scheduled castes in the Gaon Panchayat and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the Gaon Panchayat as the population of the scheduled castes in the area of the Gaon Sabha bears to the total population of such area [.] :

Provided that this sub-section shall cease to have effect on and from the twenty-sixth day of January, 1960 :

Provided further that nothing in the preceding proviso shall affect any representation in a Gaon Panchayat until the disolution thereof.

[(8) Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2), it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed as if he had been duly elected in accordance with the provisions of this Act'] (8) Where a prescribed under sub-section (2) it shall be called upon to elect the remaining number of members, but if it again fails to elect the full number of remaining members it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed to have been duly elected.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धाराएं 12-A से 12-K, तक बढ़ाया जाना।

१४—मूल अधिनियम की धारा १२ के बाद निम्नलिखित नई धारायें 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 12-E, 12-F, 12-G, 12-H, 12-I, 12-J और 12-K के रूप में बढ़ा दी जायं:—

Number of persons to be elected for Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat.

["12-A. For the purpose of electing members of Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from amongst its members such number as shall exceed by five the number prescribed under Sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the District Magistrate has selected five persons under section 43 for membership of Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat.]12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section(2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat.

Additional members.

12-B. [(1) Notwithstanding anything in section 12, the State Government may, if it is satisfied upon the result of election of members to a Gaon Panchayat that any village included in the Gaon Sabha is not represented, appoint additional members not exceeding five as it may deem necessary, and wherever the State Government so appoints any members, the number of members prescribed under sub-sectin (2) of the said section shall be deemed to have been enlarged accordingly.]

(2) In addition to the membrs prescribed under section 12 [or appointed under sub-section (1) of this section] the State Government may, by a general or special order, direct that one or more members of Prantiya Rakshak Dal having such qualifications as may be prescribed shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Gaon Panchayat or any committee thereof as may be specified. Such person

shall not, however, by virtue of this sub-section be entitled to vote in the meetings of the Gaon Panchayat or the committees.

Application for questoining the elections.

12—C. (1) The election of a person as [President] pradhan of a Gaon Sabha or as [Member] member of a Gaon Panchayat including the election of a person who may be appointed as a Panch of a Nyaya Panchayat under section 43 shall not be called in question except by an application presented to such authority within such time and in such manner as may be prescribed on the ground that—

(*a*) the election has not been a free election by reason that the corrupt practice of bribery or undue influence has extensively prevailed at the election; or

(*b*) that the result of the election has been materially affected—

(i) by the improper acceptance or rejection of any nominaton ; or

(ii) by gross failure to comply with the provisions of this Act or the rules framed thereunder.

(2) The following shall be deemed to be corrrupt practices of bribery or undue influence for the purposes of this Act :—

(A)(1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing—

(*a*) a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate at an election ; or

(*b*) an elector to vote or refrain from voting at an election; or as a reward to—

(i) a person from having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidatures; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting.

(B) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a candidate or of any other person with the connivance of the candidate with the free exercise of any electoral right :

Provided that without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who—

(i) threatens any candidate, or any elector, or any person in whom a candidate or an elector is interested, with injury of any kind including social ostracism and excommunication or expulsion from any caste or community; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meanings of this clause.

(3) The application under sub-section (1) may be presented py any candicate at the election or any elector and shall contaih such pariculars as may be prescribed.

(Iyceba) *Explanation* :—Any person who filed a nomination paper at the election whether such nomination paper was accepted or [rejected] *rejected* shall be deemed to be a candidate at the election.

(4) The authority to whom the application under sub-section (1) is made shall, in the matter of—

(i) hearing of the application and the procedure to be followed at such hearing,

(ii) setting aside the election or declaring the election to be void or declaring the applicant to be duly elected or any other relief that may be granted to the petitioner,

have such powers and authority as may be prescribed.

(5) Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (4) the rules may provide for the summary hearing and disposal of an application under sub-section (1).

(6) The order passed by the prescribed authority upon an application under sub-section (1) shall be final and conclusive, and shall not be questioned in any *Civil Court*.

Disputes pertaining to the election of (Vice-president) Up-pradhan/Sarpanch or Sahayak Sarpanch.

12-D. Any dispute relating to the election of Vice-President *Up-Pradhan* of a Gaon Sabha or (A) *of* Sarpanch or Sahayak Sarpanch of a Nyaya Panchayat shall be referred in the manner prescribed to the prescribed authority whose decision thereon shall be final and conclusive and shall not be questioned in any Civil Court.

Oath of office.

12-E.(1) Every member of a Gaon Sabha shall, before entering upon any office referred to in sections 11-A, 11-B, 12-A, 43 or 44, make and subscribe before such authority as may be prescribed an oath or affirmation in the form to be prescribed.

(2) Any member who declines or otherwise refuses to make and subscribe an oath or affirmation as aforesaid shall be deemed to have vacated the office forthwith.

Resignation

12-F. [A President, Vice-Prasident] A Pradhan, Up-Pradhan or a member of a Gaon Panchayat may, by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed, resign his office and his office shall thereupon become vacant.

General elecions.

12-G. Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B, sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a genenrl election of Presidents Pradhans of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including [panches] Panches of Nyaya Panchayats in the whole State or in any specified area thereof.

12-H. If a vacancy in the office of a member of a Gaon Panchayat arises by reason of his death, removal or resignation it shall, subject to the provisions of section 12, be filled for the unexpired part of his term in the manner provided therein and if the member vacating the office was also a (President) Pradhan or (Vice-President) Up-Pradhan then that office shall also be (filed) filled as far as may be in the manner laid down in and under section 11-A or section 11-B as the case may be,

Jurisdiction of civil courts in election matter barred.

12-I. No civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or any decision given by an officer or authority appointed under this Act, in connection with the conduct of elections thereunder.

Power of (vice-President) up-pradhan.

12-J. The (Vice-President) Up-pradhan shall exercise such powers of the (President) Pradhan as may be prescribed.

Tenure of office of (President and vice-president) pradhan and up-pradhan.

12-K. Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 11-A or of 11-B the (President and the Vice-President) pradhan and the up-pradhan shall continue in office until their respective successors are elected (or appointed).

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १३ का संशोधन।

१५--[मूल अधिनियम की धारा १३ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय] मूल अधिनियम की धारा १३ में शब्द "biennial" के स्थान पर शब्द "half yearly" रख दिया जाये और धारा के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड बढ़ा दिया जावे:--

"Provided that where for any reason an annual estimate of income and expenditure is not passed by a Gaon Sabha in its *kharif* meeting, it may be passed by it at any subsequent meeting before such date as may be prescribed under sub-section (4) of section 41."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १४ का संशोधन।

१६--मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

Removal of (President and Vice-President) Pradhan and up-pradhan.

"14. The Gaon Sabha may at a meeting specially convened for the purpose and of which at least 15 days previous notice shall be given remove the (President or the Vice-President) pradhan and up-pradhan by a majority of two-thirds of the members present and voting. The procedure to be followed at the meeting shall be such as may be prescribed"

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १५ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा १५ में:--

[(१) खंड (*h*) में शब्द "*hats*" और शब्द "within" के बीच शब्द "held on land vested in the Gaon Samaj established under section 113 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" (be) रख दिये जायं;]

(१) खंड (*h*) में शब्द "State Government" तथा शब्द "and" के बीच में शब्द " or the District Board" रख दिये जायं;

"(२) वर्तमान खंड (t) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(*t*) the maintenance and control of class (1) and Kaiser- Hind forests, waste lands (benap), water-channels and drinking places (panghat) in the hill patties of the Kumaon Division."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १६ का संशोधन।

१८--मूल अधिनियम की धारा १६ में--

(१) खंड (*b*) में शब्द "them" और उसके बाद पड़ने वाले सेमीकोलन के [पश्चात्] बीच में शब्द "including the maintenance of pedigree bulls." (;)

(२) खंड (*l*) में शब्द "sweepings" और उसके बाद पड़ने वाले सेमीकोलन के (पश्चात्) बीच में शब्द "and making arrangements for the disposal of carcasses of animals ;" रख दिये जायं; और

(३) खंड [(--)](*r*) के बाद निम्नलिखित नया खंड (*s*) जोड़ दिया जाय।

"(*s*) making arrangements for the seizure and disposal of of stray cattle, stray dogs, wild animals and monkeys."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ कोधारायें १९ और २० का कासंशोधन।

१९--मूल अधिनियम को धारायें १९ और २० में शब्द "Ayurvedic" जहां कहीं भी वह आया हो के बाद कामा बढ़ा दिया जाय और उसके बाद शब्द ["Homeopathic"] "Homoeopathic" बढा दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २२ का संशोधन।

२०--मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द [Patwari] "patwari" और "or" के बीच में [कामा बढ़ा दिया जाय और उसके बाद शब्द "Chowkidar" बढ़ा दिया जाय। शब्द "or lekhpal, Village Chowkidar" बढ़ा दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २४ का संशोधन।

२१--मूल अधिनियम की धारा २३ में--

(१) शब्द "of" और "official" के बीच में आये हुये शब्द "their" के स्थान पर शब्द "his" रख दिया जाय।

(२) शब्द ["Constable"] "Constable" के बाद शब्द ["Chowkidar"] "Village Chowkidar" और उसके बाद कामा बढा दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २३ का संशोधन।

२२--मूल अधिनियम की धारा २४ में--

(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(*a*) with the State Government or any local authority to collect any taxes or dues payable to the State or to such local authority upon payment of such collection charges as may be prescribed ; or" (;)

(२) खड (b) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(*b*) with the State Government or any local authority for carrying out any work on such terms as may be agreed upon."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २५ का संशोधन।

२३--मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"25 (1)A Gaon Panchayat may, subject to the previous approval of the prescribed authority, appoint such staff other than the Secretary as may from time to time be necessary:

staff.

Provided that in any emergency the Gaon Panchayat may appoint any person without the previous approval

of the prescribed authority and every such appointment shall be liable to termination if the prescribed authority so directs.

(2) The power to appoint, punish, discharge, dismiss or control a servant of the Gaon Sabha other than a Secretary shall be vested in the (a) Gaon Panchayats, but the Gaon Panchayat may delegate to such officer subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the power to impose any punishment other than discharge or dismissal.

(3) An appeal from an order punishing, discharging or dismissing a servant shall lie —

(*a*) to the prescribed authority where such an order is passed by the Gaon Panchayat, and

(*b*) to the Gaon Panchayat, where such an order is passed by an officer to whom such powers have been delegated under sub-section (2).

(4) The prescribed authority may, subject to the conditions as may be prescribed, transfer any person from the staff of one Gaon Panchayat to the staff of any other Gaon Panchayat or group of Gaon Panchayats within the same district and the State Government may similarly transfer any such person from one district to another.

(5) A Nyaya Panchayat may with the previous sanction of the prescribed authority,appoint persons on its staff in the manner prescribed. [Person] Persons so appointed shall be under the administrative control of the prescribed authority, who shall have power to transfer, punish, discharge or dismiss them.

(6) Appeal shall lie from an order of the perscribed authority punishing, discharging or dismissing a person under sub-section (5) to an authority appointed in this behalf by the State Government.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २५-ए—का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा 25—A में शब्द "Secretary Gaon Sabha or Gaon Sabhas" के स्थान पर "Secretary of the Gaon Sabha or Sabhas." रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३१ का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा ३१ में शब्द और संख्या "30 and 114 के स्थान पर शब्द और संख्या "30 [37-A] and 41 रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३२ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Gaon fund.

(1) There shall be a Gaon Fund for each Gaon Sabha and the same shall, subject to the provisions of the annual estimate of income and expenditure passed under section 41, be utilized for carrying out the duties or obligations imposed upon the Gaon Sabha or the Gaon Panchayat or any committee thereof by this or any other enactment."

[(2) Section 32 of the Principal Act shall be placed under the heading of Chapter V occurring immediately before section 33.,]

"(२) मूल अधिनियम की धारा ३२ धारा ३३ के ठीक पहले आने वाले पांचवें अध्याय के शीर्षक के नीचे रखा जायगा।"

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३६ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३६ में शब्द "State Government", के बाद शब्द "or any other Gaon Sabha" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३७ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा ३७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"Imposition of Taxes and fees.

37. (1) Subject to the rules made or directions given or restrictions imposed by the State Goverment, a Gaon Sabha may levy—

(*a*) in areas where the rights, [titles and interests] title and interest of intermediaries have been acquired under section 4 of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, a tax on land, not exceeding one anna in a rupee on the amount of land revenue payable [therefore] therefor :

Provided that where the land is in the actual cultivation of a person other than the person liable to pay land revenue therefor, the tax shall be payable by [such] the person in actual cultivation;

(*b*) in areas other than those referred to in clause (*a*) a tax on rent not exceeding one anna in a rupee on the amount of rent payable by a tenant by whatever name called under the law in force relating to land tenures :

Provided that where the land is in the actual cultivation of the person liable to pay land revenue therefor, the tax shall not exceed one anna in a rupee on the amount of land revenue for such land;

(*c*) a fee subject to a maximum of [Rs. 6] six rupees per annum on person carrying on any trade, calling or profession within the jurisdiction of the Gaon Sabha:

Provided that in the case of a theatre, a cinema [and] or similar entertainment temporarily stationed in the area of the Gaon Sabha a fee not exceeding [Rs. 1] one rupee per diem as may be approved by the prescribed authority may be levied ;

(*d*) a tax payable by the owner there of on animals and vehicles other than mechanically propelled vehicles kept with in the area of the Gaon Sabha and plied for hire, at the rate —

(i) in the case of animals, not exceeding [Rupees 3] three rupees per animal per annum ;

(ii) in the case of vehicles, not exceeding [Rupees 6] six rupees per vehicle per annum ;

(*e*) fees on persons, not being persons assessed to fee under clause (*c*) exposing goods for sale in markets, *hats* or *melas* belonging to or under the control of the Gaon Sabha concerned ;

(*f*) fees on the registration of animals sold in any market or place belonging to or under the control of the Gaon Sabha ;

(*g*) fees for the use of slaughter houses and encamping grounds;

(*h*) a water rate where water is supplied by the Gaon Sabha;

(*i*) a tax for cleaning private latrines and drains payable by the owners or occupiers of the houses to which the private latrine or drain is attached, where such cleaning is done through the agency of the Gaon Sabha;

(*j*) a lighting rate where the lighting of public streets, places or buildings is undertaken by the Gaon Sabha ;

(*k*) a tax, not exceeding such rate as may be prescribed, on buildings owned by [person] persons who do not pay any of the aforesaid taxes and whose annual income exceeds [Rs. 300] three hundred rupees.

(2) The taxes and fees under sub-section (1) shall be imposed [an] and assessed in and such manner and realised in such manner and at such times as may be prescribed."

२९—मूल अधिनियम की धारा ३७ में निम्नलिखित धारायें 37-A 37-B और 37-C [और 37-D] के रूप में रख दी जायं—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारायें ३७—एसे ३७ डी तक का रखा जाना।

Imposition of compulsory physical labour.

37-A. (1) A Gaon Sabha may, by a resolution passed by a majority of two-thirds of the members present and voting, declare with reference to any work of public utility undertaken in the circle of the Gaon Sabha that every male member who is not more than 60 years of age shall, unless he is physically disabled, perform physical labour in the execution of the work :

Provided that no member shall be compelled to perform such labour for more than four days in a month and in the aggregate for more than twenty-four days in a year.

(2) The resolution referred to in sub-section (1) shall be passed in a meeting of the Gaon Sabha specially summoned for the the purpose of which such previous notice shall be given as may be prescribed.

(3) Where a resolution has been duly passed under sub-section (1) every member of the Gaon Sabha except those who may be exempted on account of physical disability or the like shall be bound to contribute physical labour in the execution of the work in accordance with the scheme to be prepared by the Gaon Panchayat.

(4) Any person who is bound under sub-section (3) to contribute physical labour and fails to do so without resonable cause to the satisfaction of the Gaon Panchayat shall in lieu thereof contribute such sum not less than Rupee one and not more than Rs. 2 per diem as may be prescribed.

(5) Any contribution payable by a member under sub-section (4) may be realised from him in the manner prescribed under sub-section (2) of section 37 for realisation of taxes.

Appeal against levy of tax or fee.

37-B.(1) An appeal against the levy of a tax or fee by the Gaon Sabha shall lie to the prescribed authority,

(2) Where it is brought to the notice of the prescribed authority that a tax or fee has not been imposed on any person on whom it should have been imposed it may direct the Gaon Sabha to impose it on that person or persons and the Gaon Sabha shall thereupon act accordingly.

Tax and dues recoverable as arrears of land revenue.

37-C. All dues on account of the taxes imposed and other sums payable to a Gaon Sabha under this Act shall be recovered as arrears of land revenue if the Gaon Panchayat concerned passes a resolution to that effect within three months from the date of assesment :

Provided that where a Gaon Panchayat fails to pass such a resolution within the said period of three months the prescribed authority shall authorize the recovery of the arrears of taxes as arrears of land revenue.

Remission of tax or fee.

37-D. The State Goverment may remit the whole or any tax or fee lievied by a Gaon Sabha either generally or for a specified area under such circumstances as may be prescribed.

Remission of tax or fee.

[37-D. (1) The State Government may remit the whole or part of any tax or fee levied by a Gaon Sabha in respect of a period whether before or after the commencement of the U. P. Panchayat Raj (Amendment) Act, 1954.

(2) The power exercisable by the State Government under sub-section (1) shall also be exercisable either generally or in any specified area by the prescribed authority under such circumstances as the State Government may prescribe.

(3) A Gaon Sabha may by resolution and under such circumstances as may be prescribed remit the whole or part of any tax or fee imposed or levied by it, provided that no such resolution shall take effect unless it is approved by the prescribed authority.

(4) Where any tax or fee has been remitted under Sub-section (1) to (3), any sum realized from the assessee on account of the tax or fee so remitted shall be refunded to him by a the Gaon Sabha.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३९ का संशोधन।

३०—मूल अधिनियम की धारा ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

39 (i) [Th] The expenses of a Nyaya Panchayat shall be charged to the Gaon Fund or Gaon Funds of the Gaon Sabhas comprise in the circle in such proportion as may be determined by the prescribed authority.

(2) All sums realized by way of court fees or fines in a case triable under this Act shall be credited to the State Government. ["] but the State Government shall out of the sums so realized pay by way of grant such portion not exceeding fifty per centum as it may fix to the Gaon Sabha concerned for defraying the expenses of the Nyaya Panchayat."

३१—मूल अधिनियम की धारा ४० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४० का संशोधन।

"Audit. 40. The accounts of every Gaon Sabha and Nyaya Panchayat shall be audited at such intervals and in such manner as may be prescribed."

३२—मूल अधिनियम की धारा ४१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४१ का संशोधन।

"Annual estimate of income and expenditure. 41. (1)(*a*) Every Gaon Panchayat shall prepare and lay before the *kharif* meeting of the Gaon Sabha an estimate of its income and expenditure for the year commencing on the 1st day of April next following.

(*b*) Every Gaon Panchayat shall prepare and lay before the *rabi* meeting of the Gaon Sabha its report including the account of its actual and expected receipts and expenditure for the year ending on the 31st March last preceding such meeeting.

(2) The Gaon Sabha may pass or refer back to the Gaon Panchayat the annual estimate submitted to it for reconsideration with such direction as it may give in the manner prescribed and may likewise pass a recommendatory resolution in respect of the report or of any other matter.

(3) If the annual estimate is referred to the Gaon Panchayat for reconsideration as aforesiad, the [President] Pradhan shall call an extraordinary meeting of the Gaon Sabha to be held within a fortnight of the said annual meeting and the Gaon Panchayat shall re-submit the annual estimate at the said meeting with such modifications as may be necessary in the light of the directions of the Gaon Sabha, and the Gaon Sabha shall then pass the annual estimate in the manner prescribed. Subject to rules in this behalf the annual estimate shall take effect after it has been approved by the prescribed authority, and a Gaon Panchayat may incur any expenditure under any of the heads of the annual estimate in excess of the amount approved under that head without variation or alteration of the annual estimate with the approval of the prescribed authority.

(4) If before such date as may be prescribed a Gaon Panchayat does not lay the annual estimate of income and expenditure before the Gaon Sabha or the Gaon Sabha does not pass the same, the prescribed authority may call upon the Gaon Panchayat to furnish such information as it may require and may prepare an annual estimate of income and expenditure for the Gaon Sabha. The annual [estimates] estimate

so prepared shall then be sent to the Gaon Sabha which shall accept and pass the same in the manner prescribed. Where the Gaon Sabha fails to do so within such time as may in this behalf be prescribed the said annual estimate of income and expenditure shall have effect as if it had been prepared by the Gaon Panchayat and passed by the Gaon Sabha concerned :

Provided that the Gaon Sabha may at any time after the annual [estimates take] estimate takes effect, make in the manner prescribed such modifications or changes therein as it may consider necessary.

(5) The prescribed authority may at any time whether before or after the annual estimate takes effect under sub-section (3) make such amendments, modifications or changes therein as may appear to it necessary."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४३ का संशोधन।

३३--मूल अधिनियम की धारा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

Constitution of Nyaya Panchayat.

43. There shall be appointed by the prescribed authority five persons or such lesser number of persons as may be fixed under section 12-A of prescribed qualifications out of the persons elected in accordance with sub-section (6) of section 12 and section 12-A to be panches of the Nyaya Panchayat and the persons so appointed shall, notwithstanding anything herein before contained, not be members of Gaon Panchayat :

Provided that where suitable persons possessing the prescribed qualifications are not available for such appointment any or all of such qualifications may be relaxed by the prescribed authority."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४४ का संशोधन।

३४--मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

Election of Sarpanch and Sahayak Sarpanch.

44. The panches appointed under section 43 shall, in the manner and within the period to be prescribed, elect from amongst them two persons who are able to record proceedings, one as [a] the Sarpanch and the other as [a] the Sahayak Sarpanch :

Provided that if the panches fail to elect the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch as aforesaid the [District Magistrate] prescribed authority may appoint the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४५ का संशोधन।

३५--मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"45(1) The term of office of every Panch shall be five years from the date of his election ;

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend the term [from time to time] for a total period not exceeding one year [at a time]".

Provided further that the Sarpanch and the Sahayak Sarpanch shall continue in office until their respective successors are elected or appointed.

(2) The [extension of term] notification under sub-section (1) may be [made] published at any time before the expiry of five years aforesaid or, (when) where the period has been extended, before the expiry of such extended period."

३६--मूल अधिनियम की धारा ४६ निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४६ का निकाला जाना।

३७--मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-- यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४७ का संशोधन।

"Resignation of Panches.

47. A Panch may resign his office as such by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed and his office shall thereupon become vacant."

३८--मूल अधिनियम की धारा ४८ निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४८ का निकाला जाना।

३९--मूल अधिनियम की धारा ४९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-- यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४९ का संशोधन।

"Bench of Nyaya Panchayat.

49. (1) The Sarpanch shall form Benches consisting of five Panches each for the disposal of cases and inquiries coming up before the Nyaya Panchayat.

(2) The formation of Benches, the period for which they will work including the hearing of part heard cases, the method of distribution, transfer or re-transfer of work among the Benches and proceedings generally to be followed by them in hearing and deciding cases, shall be governed by rules.

(3) No Panch, Sarpanch or Sahayak Sarpanch shall take part in the trial of or inquiry in any case to which he or any near relation, employer, employee, debtor, creditor or partner of his is a party or in which any of them is personally interested.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government may prescribe the constitution of Special Benches for the trial of any class or classes of cases :

Provided that the State Government may at any time order for the re-constitution of such a Special Bench.

(5) The prescribed authority may transfer or re-transfer a case [or] an inquiry from one Bench or to another Bench of the same Nyaya Panchayat.

(6) Any dispute relating to the formation of Benches or method of their working, shall be referred to the prescribed authority whose decision shall be final."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५० का संशोधन।

४०—मूल अधिनियम की धारा ५० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"Filling of casual vacancies.

50. (1) If a vancancy in the office of a Panch arises by reason of his death, removal or resignation it shall, subject to the provisions of section 45 be filled for the unexpired part of his term by the [District Magistrate]prescribed authority by appointing a person from amongst the members for the time being of the Gaon Panchayat, and if the Panch vacating the office was also the Sarpanch or Sahayak Sarpanch a new Sarpanch or Sahayak Sarpanch, as the case may be, shall be elected in the manner provided in section.

(2) Any person appointed as Panch under sub-section (1) shall cease to be a member of the Gaon Panchayat from the date of his appointment and the vacancy so caused in the Gaon panchayat shall be deemed to be a casual vacancy for the purpose of section 12-H."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में एक नई धारा ५०-ए का बढ़ाया जाना।

४१—मूल अधिनियम की धारा ५० के बाद निम्नलिखित नई धारा 50-A के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"Powers of Sahayak Sarpanch.

50-A. The Sahayak Sarpanch shall exercise such Powers of the Sarpanch as may be prescribed".

यू० पी० ऐक्ट २७, १९४७ की धारा ५१ का संशोधन।

४२—मूल अधिनियम की धारा ५१ में:—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(1) Notwithstanding anything contained in the Code of 'Criminal Procedure 1898, every criminal case triable by a Nyaya Panchayat shall be instituted before the Sarpanch of the Nyaya Panchayat of the circle in which the offence is committed;" [and] और

Act V of 1898.

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५२ का संशोधन।

४३—मूल अधिनियम की धारा ५२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"Offences cognizable by Nyaya Panchayats.

52. (1) The following offences as well as abetments of and attempts to commit such offences, if committed within the jurisdiction of a Nyaya Panchayat, shall be congnizable by such Nyaya Panchayat —

(*a*) offences under sections 140, 160, 172, 174, 179, 269, 277, 283, 285, 289, 290, 294, 323, 334, 341, 352, 357, 358, 374,

379, 403, 411 (where the value of the stolen or misappropriated property in cases under sections 379, 403, and 411 [are concerned] does not exceed fifty rupees),426, 428, 430, 431, 447, 448, 504, 509 and 510, of the Indian Penal Coed, 1860 ;

Act XLV of 1860.

(*b*) offences under sectios 24 and 26 of the Cattle Trespass Act, 1871 ;

Act I of 1871

(*c*) offences under sub-section (1) of section 10 of the United Provinces District Board Primary Education Act, 1926. ;

Act I of 1926

(*d*) offences under sections 3, 4, 7 and 13 of the Public Gambling Act, 1867 ;

Act III of 1867

(*e*) any other offence under aforesaid enactments or any other enactment as may, by notification in the official *Gazette*, be declare by the State Government to be congnizable by a Nyaya Panchayat ; and

(*f*) any offence under this Act or any rule made thereunder.

(1-A). The State Government may by order published in the official *Gazette* empower any Nyaya Panchayat to take cognizance of offence under sections 279, 286, 336 and 356 of the Indian Penal Code, 1860 ["] and may likewise withdraw any offences referred to in clauses (*a*) to (*d*) of sub-section (1) from the cognizance of Nyaya Panchayats generally of such Nyaya Panchayats as may be specified.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५३ का निकाल दिया जाना।

४४--[मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जाय।] मूल अधिनियम की धारा ५३ में निम्नलिखित नवीन उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दी जाय:--

"(3) If the person required to execute a bond as aforesaid under sub-section (2) fails to do so, he shall be liable to pay a penalty up to five rupees as the Bench may fix for every day the default continues during the period fixed in the order."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५४ का संशोधन।

४५--मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) के अन्त में फुल-स्टाप के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में रख दिया जाय--

"Provided that no accused shall be tried for more than three offences in the same criminal case and the fine that may be imposed on any one accused in a criminal case shall not in the aggregate exceed one hundred rupees."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५५ का संशोधन।

४६--मूल अधिनियम की धारा ५५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

cognizance of [civil] cases

55. (1) After a Nyaya Panchayat has been established for any area, no court except as otherwise provided in this Act shall take cognizance of any case triable by such Nyaya Panchayat.

(2) When a Nyaya Panchayat is suspended, superseded or dissolved under section 95, or for any other reason ceases to function all cases pending before it shall stand transferred to the court of competent jurisdiction which shall dispose them of according to law :

Provided that the trial of all such cases in court shall commence *de novo;*

Provided further that a Nyaya Panchayat shall not be deemed to cease to function merely for the reason that its Panches have to be re-elected.

(3) Notwithstanding anything contained in section 52 and in sub-section (1) of this section any court may take congizance of any offence under sections 431 and 447 of the Indian Penal Code, 1860 if it is otherwise competent to do so.

Act XLV of 1860

(4) Notwithstanding anything contained in section 52 and sub-sections (1)to(3) of this section but subject always to the provison of the Code of Criminal Procedure,1898 where any court has taken cognizance of any offence referred to in the said sections and a summons or warrant, as the case may be, issued for the appearance of the accused in such case, the has offence may be enquired into and tried by such court."

Act of 1898.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५६ का संशोधन।

४७—मूल अधिनियम की धारा ५६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"Transfer of cases by courts to Nyaya-Panchayats

56. A Court, if it finds that a case is triable by a Nyaya Panchayat, shall, except as provided in sub-section (4) of section 55 transfer the case to the Nyaya Panchayat of competent jurisdiction, which shall thereafter try the same *de novo*."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५८ का संशोधन।

४८—मूल अधिनियम की धारा ५८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"Transfer of cases by Nyaya Panchayat to courts.

58. If at any time it appears to a Nyaya Panchayat —

(*a*) that it has no jurisdiction to try any case pending before it, [or]

(*b*) that the offence involved is one for which it cannot award adequate punishment, or

(*c*) that the case should otherwise be tried by a court; it shall transfer the same to the court of competent jurisdiction and shall give information of such transfer to the the parties concerned."

४९—मूल अधिनियम की धारा ५९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धार ५ का संशोधन।

59. No Nyaya Panchayat shall take cognizance of any criminal case against a person where such person—

Certain persons not to be tried by Nyaya panchayats.

(*a*) has been previously convicted of an offence punishable with imprisonment of either discription for a term of three years or more, [or]

(*b*) has been previously fined for theft by any Nyaya Panchayat, [or]

(*c*) has been bound over to be of a good behaviour under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898, [or]

(*d*) has been previously convicted under the Public Gambling Act, 1867, [or]

(*e*) is a public servant."

५०—मूल अधिनियम की धारा ६० में—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६० का संशोधन।

(१) खंड (*a*) के अन्त में शब्द "and" को निकाल दिया जाय।

(२) खंड (*b*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(b) in the payment to any person of compensation for any material loss or injury caused by the offence, or,"

(३) खंड (*b*) के बाद निम्नलिखित खंड (c) के रूप में रख दिया जाय—

"(*c*) in compensating any *bona fide* purchaser of stolen property for loss of the same, where property is restored. to the possession of the person entitled [thereof] there to".

५१—मूल अधिनियम की धारा ६१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६१ का संशोधन।

Compensation to accused.

"61. (1) If in any criminal case institutd before a Nyaya Panchayat any person is accused of any offence triable by a Nyaya Panchayat and the Nyaya Panchayat acquits the accused and is of the opinion that the accusation against him was false and either frivolous or vexatious, the Nyaya Panchayat may, call upon the complainant forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused.

(2) If after hearing the complainant, the Nyaya Panchayat is satisfied that the accusation was false and either frivolous or vexatious, it may direct that compensation not exceeding [Rs. 25] twenty five rupees be paid by such complainant to the accused."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६३ का संशोधन।

५२--मूल अधिनियम की धारा ६३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

63. Notwithstanding anything in the Code of Criminal Procedure, 1898, a Magistrate may direct an enquiry referred to in section 202 of the Code to be made by a Nyaya Panchayat in a criminal case in which the offence was committed within the territorial jurisdiction of such Nyaya Panchayat and the Nyaya Panchayat shall enquire into the case and submit its report to the said Magistrate. On the receipt of the directions of Sarpanch or Sahayak Sarpanch and in their absence the Panch mentioned in section 75, shall entrust it to a Bench formed under section 49."

Act V of 1898 "Enquiry in cases forwarded by magistrates.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६४ का संशोधन।

५३--मूल अधिनियम की धारा ६४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

64. (1) Subject to the provisions of section 66 a Nyaya Panchayat may take congnizance of any [suit] civil case of the following description if its value does not exceed one hundred rupees—

"Extent of jurisdiction in civil cases.

(*a*) a [suit] civil cases for money due on contract, other than a contract in respect of immovable property;

(*b*) a [suit] civil case for the recovery of movable property or for the value thereof ;

(*c*) a [suit] civil case for compensation for wrongfully taking or injuring a movable property ; and

(*d*) a [suit] civil case for damages caused by cattle trespass.

(2) The State Government, may by notification in the official *Gazette* direct that the jurisdiction of any Nyaya Panchayat shall extend to all such [suits] civil cases of the value not exceeding five hundred rupees."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६५ का निकाला जाना।

५४--मूल अधिनियम की धारा ६५ निकाल दी जाय :--

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६६ का संशोधन।

५५--मूल अधिनियम की धारा ६६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"Exclusion of Nyaya Panchayati jurisdiction.

66. Subject to the provisions of section 64, a Nyaya Panchayat shall have no jurisdiction to take cognizance of the following [suis] civil cases.—

(1) a [suit] civil case for a balance due on partnership account, except where the balance has been struck by the parties or their agents ;

(2) a [suit] civil case for a share or part of a share under an intestacy or for a legacy or part of a legacy under a will ;

(3) a [suit] civil case by or against the State Government or the Central Government or a public servant for acts done in his official capacity ;

(4) a [suit] civil case by or against a minor or a person of unsound mind ; and

(5) a [suit] civil case the cognizance of which by a Panchayat established under the U. P. Village Panchayat Act, 1920 is barred by section 25 of the United Provinces Debt Redemption Act, 1940." U. P. Act VI of 1920. U. P. Act XIII of 1940.

५६--मूल अधिनियम की धारा [५६] ६७ की उपधारा (२) में शब्द "portions of it" के स्थान पर शब्द "portion of his claim" और शब्द "of the" तथा "so omitted" के बीच में आया हुआ शब्द "portions" के स्थान पर शब्द "portion" रख दिया जाय। यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६७ का संशोधन।

५७--मूल अधिनियम की धारा ६८ के अन्त के फुलस्टाप (full stop) के स्थान पर कोलन (colon) रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :-- यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ६८ का संशोधन।

"Provided that in computing the period of limitation prescribed for any [suit] civil case the time during which the plaintiff has been prosecuting with due deligence another [suit] civil case against the defendant in any court, shall be excluded where the [suit] civil case is [found] founded upon the same cause of action and was prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or cause of like nature (,) was unable to entertain it."

५८--मूल अधिनियम की धारायें ७०, ७१ और ७२ [तक] निकाल दी जायं। यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७० से ७२ तक का निकाला जाना।

५९--मूल अधिनियम की धारा ७४ में शब्द "case, suit or proceeding' जहां कहीं वे आये हों, के स्थान पर शब्द ["case, suit or revenue case"] "criminal case, civil case or revenue case" रखे जायेंगे। यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७४ का संशोधन।

६०--मूल अधिनियम की धारा ७४ के बाद निम्नांकित को धारायें ७४-ए और ७४-बी के रूप में बढ़ा दिया जाय यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धाराएं ७४-ए और ७४-बी का बढ़ाया जाना

74-A. Section 10 of the Code of Civil Procedure, 1908 shall apply to trial of revenue cases and [suits] civil cases pending before two or more Nyaya Panchayats having jurisdiction.

Trial when cause of action in a [suit] civil case or revenue case arises in circles more than one.

"Trial where scene of offence is uncertain or not in one circle only or where offence is a contiuing one or consists of several acts.

74-B. Where it is uncertain in which of several circles an offence was committed or where an offence was committed partly in one circle and partly in another or where an offence is a continuing one and continues to be committed in more [circle] circles than one or where it consits of several acts done in different circles, it may be enquired into by a Nyaya Panchayat having jurisdiction in any such circles."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७५ का संशोधन।

६१—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ७५ की संख्या बदल कर धारा ७५ की उपधारा (१) कर दी जाय और उसमें :

(१) शब्द "Sarpanch" और शब्द "of" के बीच में शब्द "and in his absence to the Sahayak Sarpanch" बढ़ा दिये जायं ;

(२) शब्द "of" और शब्द "absence" के बीच में आये हुये शब्द "his" के स्थान पर शब्द "their" रख दिया जाय; और

(३) शब्द "he may have appointed" के स्थान पर शब्द "may have been appointed by the Sarpanch" रख दिये जायं।

(४) धारा ७५ में, इस प्रकार संख्यांतरित उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित को उप-धारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा :—

"(2) Where a [suit, case] civil case, cirminal case or revenue case is instituted orally, the Sarpanch, Sahayak Sarpanch or Panch receiving the application shall record without delay the prescribed particulars and the signature or thumb-impression of the applicant shall be taken thereon."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७६ का संशोधन।

६२—मूल अधिनियम की धारा ७६ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय :—

"Application to be laid before the Bench.

76. The Sarpanch, Sahayak Sarpanch or in their absence the Panch mentioned in section 75, shall thereupon lay the application before a Bench of the Nyaya Panchayat formed under section 49 for disposal and shall also fix a date for the first hearing of the application before the said Bench and give notice of the date to the parties and to the members of the Bench.

६३—मूल अधिनियम की धारा ७७ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७७ का संशोधन।

77. The [bench] Bench shall choose one of the members to be the Chairman of that Bench who shall conduct the proceedings ;

"Chairman of a Bench.

Provided that where the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch is a member of the [bench] Bench he, and where both of them are members of the same[bench]Bench the Sarpanch shall be the Chairman."

६४—मूल अधिनियम की धारा ७७-ए की उपधारा (१) से शब्द "for the trial of [case, suit or proceeding]" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ७७-ए का संशोधन।

६५—मूल अधिनियम की धारा ८० [क] के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८० का संशोधन।

80. No legal parctitioner shall appear, plead or act on behalf of any party before a Nyaya Panchayat(.)"

"Legal practitioner not to appear before Nyaya Panchayat.

Provided that a person who is arrested and is detained in custody shall have the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice."

६६—मूल अधिनियम की धारा ८१ में—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८१ का संशोधन।

(१) शब्द "authorised" के स्थान पर शब्द' 'duly authorised in writing" रख दिये जायं, और

(२) अन्त में "फुलस्टाप" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय—

"Provided that no stamp duty shall be required to be paid for any power of attorny filed under this section."

६७—मूल अधिनियम की धारा ८२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८२ का संशोधन।

82. Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, it shall be lawful for a Nyaya Panchayat to decide any dispute arising in its local area and not pending in any court in accordance with settlement, compromise or oath agreed upon in writing by the parties."

"Special jurisdiction in certain matters.

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८३ का संशोधन।

६८—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८३ की संख्या फिर से बदल कर धारा ८३ की उपधारा (१) के रूप में रख दिया जाय।

(२) इस प्रकार बदली गयी उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित को नई उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(2) Nothing in this sub-section shall entitle any party to compound any offence which is not compoundable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 or to compound an offence without the permission of the [bench] Bench concerned, if it is compoundable with permission under the provisions of the said Code."

Act V of 1898

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८४ का संशोधन।

६९—मूल अधिनियम की धारा ८५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"power of superior courts to transfer cases from Nyaya Panchayats.

85. (1)On the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as [desired] desire to be heard or on his own motion without such notice the Sub-Divisional Magistrate, the Munsif or the Sub-Divisional Officer, according as the case pending before a Nyaya Panchayat is a [case, suit] Criminal case, civil suit or revenue case may at any stage withdraw the same and—

(i) try or dispose [off] of the same, or

(ii) transfer it to another [bench] Bench of the Nyaya Panchayat, or

(iii) transfer the same for trial or disposal to any other Magistrate, Munsif or Asisstant Collector competent to try or dispose of the case.

(2) Where any [case, suit] criminal case, civil case, or revenue case has been withdrawn under sub-section (1) of the court or officer [which] who thereafter tries such [case, suit] criminal case, civil case or revenue case may either retry it or proceed from the point at which it was withdrawn.

(3) If any application under sub-section (1) is either frivolous or vexatious the applicant may be fined up to [Rs. 50] fifty rupees by the Sub-Divisional Magistrate, the Munsif, or the Sub-Divisional Officer, as the case may be."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८७ का संशोधन।

७०—मूल अधिनियम की धारा ८७ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में "फुलस्टाप" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित को तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय:—

"Provided further that where it appears to the Nyaya Panchayat that a witness is unable to appear before it by reason of illness or physical infirmity or that his presence cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, it may, subject to such restrictions as may be prescribed, issue a commission in the manner

prescribed to take the evidence of such witness. The evidence so taken shall form part of the record of the case."

७१—मूल अधिनियम की धारा ८९ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ८९ का संशोधन।

"Revision

89. (1) A Sub-Divisional Magistrate, Munsif, or Sub-Divisional Officer, according as it is a [case, suit] criminal case, civil case or revenue case, may either on his own motion or on the application of any party made within 60 days from the date of the order complained of or where personal service of summon had not been effected on the applicant from the date of the knowledge of the order call for the record of any case which has been decided by a Nyaya Panchayat and if it appears to him that [material] injustice or material irregularity has occurred, he may make such order in the case as he thinks fit.

Explanation—Failure to exercise a jurisdiction vested by law or exercise of jurisdiction in excess of that vested by law shall for purposes of this section be deemed to be a material irregularity.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Sub-Divisional Magistrate, Munsif or Sub-Divisional Officer as the case may be, may—

(*a*) quash the decree or order passed by the Nyaya Panchayat,

(*b*) modify the order, [or]

(*c*) remand the case to the Nyaya Panchayat for retrial with such direction as he may deem fit, or

(*d*) try the case himself or transfer it to another court or officer competent to try the same.

(3) If any application under sub-section (1) is found by the Sub-Divisional Magistrate, Munsif or Sub-Divisional Officer as the case may be, to be frivolous or vexatious, he may, for [reason] reasons to be recorded, make an order for the payment to the opposite party by the applicant [on] of special costs not exceeding [Rs. 50] fifty rupees by way of compensation.

(4) Except as aforesaid, a decree or order passed by a Nyaya Panchayat in any [suit, case] civil case, criminal case or revenue case shall not be open to appeal or revision in any court."

७२—मूल अधिनियम की धारा ९१ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९१ का निकाल दिया जाना।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९३ का संशोधन।

७३—मूल अधिनियम की धारा ९३ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

Execution of decrees.

93. (1) A decree or order passed by a Nyaya Panchayat shall be executed by it in such manner as may be prescribed. If the property of the defendant, or opposite party is situated outside the jurisdiction of the Nyaya Panchayat passing the decree or order, it may, in the manner prescribed transfer the decree or order for execution to the Nyaya Panchayat, within whose jurisdiction the property may be situated, and if there be no Nyaya Panchayat then to the court of the Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, within whose jurisdiction it may be situated.

(2) If a Nyaya Panchayat finds any difficulty in executing a decree or oder, it may forward the same to the Munsif or Sub-Divisional Officer, as the case may be, who shall then execute the same as if it were a decree or order passed by him

[Provided that no decree or order passed by a Nyaya Panchayat shall be executed on the expiry of two years from the date on which it was passed."]

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९४ का संशोधन।

७४—मूल अधिनियम की धारा ९४ में:

(१) शब्द "The fine imposed in a case" के स्थान पर शब्द "Any fine imposed, or compensation ordered to be paid in section 61" रख दिये जायं और

(२) शब्द "provided in section 386 of the Code of Criminal Procedure 1898" के स्थान पर "prescribed" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारा ९४-ए का बढ़ाया जाना।

७५—मूल अधिनियम की धारा ९४ के पश्चात् अध्याय ६ के अन्त में निम्नांकित को धारा ९४-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Contempt of Nyaya panchayat.

94-A (1) If any person intentionally offers any insult to a Nyaya Panchayat or any member thereof, while it is sitting in any stage of judical proceedings in its or his view or presence or refuses to take oath duly administered or sign a statement made by the said person when leagally required to do so, the Nyaya Panchayat may at any time before rising on the same day take cognizance of the offence and sentence the offender to a fine not exceeding five rupees.

(2) The fine imposed under sub-section (1) by a Nyaya Panchayat shall, for the purpose of section 94, be deemed t. be a fine imposed in a criminal case."

[७६]--७६ (१) मूल अधिनियम को वर्तमान धारा ९५ की संख्या बदल कर धारा ९५ को उपधारा (१) कर दी जायगी। यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९५ का संशोधन।

(२) इस प्रकार संख्यांतरित उप-धारा (१) के उपखंड (ए), (बी) और (सी) में शब्द "[joint] committee" जहां कहीं वे आये हों, के स्थान पर शब्द "or a Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।

(३) इस प्रकार बदली गयी उप-धारा (१) के वर्तमान खंड (*f*) के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय:--

"(*f*) [suspended], suspend supersede or dissolve any Gaon Sabha, Gaon Panchayat, Joint Committee or Nyaya Panchayat if in the opinion of the State Government such Gaon Sabha, Gaon Panchayat, Joint Committee or Nyaya Panchayat has abused its position or has continuously failed to perform the duties imposed upon it by or under this Act or if its continuance is not considered desirable in public interest ;

Explanation—Suspension or supersession may be for such period as may be specified."

(४) खंड (*f*) के पश्चात् निम्नांकित को नये खंड (*g*) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(*g*) suspend or remove a member of a Gaon Panchayat or joint committee, an office bearer of a Gaon Sabha or a Panch, Sahayak Sarpanch or Sarpanch of a Nyaya Panchayat, if he—

(i) absents himself without sufficient cause from more than three consecutive meetings or sittings,

(ii) refuses to act or becomes incapable of acting for any reason whatsoever or if he is accused of or charged for an offence involving moral turpitude,

(iii) has abused his position as such or has persistently failed to perform the duties imposed by this Act or rules made thereunder or his continuance as such is not desirable in public interest, or

(iv) being [a Panch or] a Sahayak Sarpanch or a Sarpanch of the Nyaya Panchayat takes active part in politics."

(५) इस प्रकार संख्यांतरित में बदली गयी उप-धारा (१) के पश्चात् निम्नांकित को नयी उपधारायें (२), (३) और (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"(2) A person removed under sub-clause (iii) and (iv) of clause (*g*) of sub-section (i) of this section shall not be entitled to be re-elected or re-appointed to any office under this Act for a period of five years or such lesser period as the State Government may order in any case.

(3) No order made by the State Government under this section shall be called in question in any court.

(4) Where any Gaon Sabha, Gaon Panchayat or joint committee is superseded the State Government may appoint such person or persons to exercise and perform the powers and duties thereof as it may deem fit."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ९८ का संशोधन।

७७—मूल अधिनियम की धारा ९८ में शब्द "may with the sanction of the prescribed authority" के स्थान पर शब्द "with the sanction of the prescribed authority, may" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०० का संशोधन।

७८—मूल अधिनियम की धारा १०० में—

(१) खंड (*a*) में शब्द "manner" और उसके बाद के सेमीकोलन के बीच में शब्द "as arrears of land revenue" रख दिये जायं; और

(२) खंड (*b*) में शब्द "a magistrate" के स्थान पर "the Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०४ का संशोधन।

७९—मूल अधिनियम की धारा १०४ की उपधारा (२) में शब्द "Panchayats Fund" के स्थान पर शब्द "Gaon Fund" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०५ का संशोधन।

८०—मूल अधिनियम की धारा १०५ की उपधारा (१) में शब्द "Sarpanch" के स्थान पर शब्द ["President"] "Pradhan" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०६ का संशोधन।

८२—[मूल अधिनियम की धारा १०६ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "a Gaon Panchayat" और शब्द "or" के बीच में शब्द "or a Nyaya Panchayat" रखे जायं,

(२) शब्द "of the Gaon Panchayat" जो शब्द "servant" और "or" के बीच में आये हैं, के स्थान पर शब्द "thereof" रखा जाय।

(३) शब्द "the Panchayat" के स्थान पर शब्द "the Gaon Panchayat or the Nyaya Panchayat as the case may be" रखे जायं।

(४) शब्द "Panchayat" और "delivered" के बीच में शब्द "or Nyaya Panchayat" रख दिया जाय।]

मूल अधिनियम की धारा १०६ की वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :—

Suits against Gaon Sabhas, Gaon Panchayats, their officers, or the officers and servants of Nyaya Panchayats.

"106. (1) No suit or other legal proceeding shall be instituted against a Gaon Sabha or Gaon Panchayat or against a member thereof or against an officer or servant of a Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat or against any person acting under the direction of any of these bodies or persons for anything done or purporting to have been done in official capacity under this Act, until the expiration of 2 months next after notice in writing has been, in the case of a Gaon Sabha or Gaon Panchayat delivered in or left at the office of the Gaon Panchayat concerned and in the case of a member, officer or servant or any person acting under his direction or the direction of the Gaon Sabha, Gaon Panchayat of Nyaya Panchayat delivered to him or left at his office or place of abode, explicitly stating the cause of action, the nature of the relief sought, the amount of compensation, if any, claimed, and the name and place of abode of the intending plaintiff and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left."

[८२—मूल अधिनियम की धारा १०७ की उपधारा (२) में शब्द "Panchayat" और "or" के बीच में शब्द "or a Nyaya Panchayat" रख दिया जाय।]

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०७ का संशोधन।

८३—मूल अधिनियम की धारा १०७ के पश्चात् निम्नांकित को नयी धारा 107–A के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०७–ए का बढ़ाया जाना।

"Validity of Proceedings.

107-A. Except as otherwise provided under this Act a Gaon Sabha, Gaon Panchayat or any committee thereof, shall have power to act, not, withstanding any vacancy in the membership or defect or irregularity in the enrolment of a member thereof, and any proceedings in any Gaon Sabha, Panchayat or committee shall be valid notwithstanding that there was any defect or irregularity in the enrolment of any member or that some person, who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings, provided, however, that at least two-thirds of the persons, persent at the time of the act being done were not disqualified to be members."

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०९ का संशोधन ।

८४—मूल अधिनियम की धारा १०९ में शब्द "arises" के बाद शब्द "as to the jurisdiction of a Nyaya Panchayat or" बढ़ा दिये जायं ।

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १०९ ए का बढ़ाया जाना ।

८५—धारा १०९ के बाद निम्नांकित नयी धारा 109--A बढ़ा दी जाय :—

Mode of proof of Gaon Sabha record.

109-A copy of any entry in a register in the possession of a Gaon Sabha or of any document made or executed by an officer thereof shall, if duly certified by the [President] Pradhan of the Gaon Sabha or other person authorised by the [President] Pradhan in writing in this behalf, be received as *prima facie* evidence of the existence of the entry or document and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded in every case where and to the same extent as the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove such matters."

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ११० का संशोधन ।

[८६] ८६—(१) मूल अधिनियम की धारा ११० की उपधारा (२) में—

(१) खंड (ii) के बाद निम्नलिखित को नये खंड (ii-*a*), (ii*b*), (ii-*c*), (ii-*d*), (ii-*e*), (ii-*f*), (ii-*g*),ii-*h*) और (ii-*i*) के रूप में बढ़ा दिये जायं ।—

"(ii-*a*) the qualifications for the [Vice-President] Up-Pradhan;

(ii-*b*) distribution of assets and liabilities of Gaon Panchayats and Nyaya Panchayats consequent upon a change in their circles ;

(ii-*c*) presentation and disposal of election petitions ;

(ii-*d*) taking of oath by [President, Vice-President] Pradhan, Up-Pradhan, members of Gaon Panchayats, Panch, Sahayak Sarpanch and Sarpanch ;

(ii-*e*) filing of resignation by [President, Vice-President], Pradhan, up-Pradhan, members of Gaon Panchayat, Panch, Sahayak Sarpanch and Sarpanch;

(ii-*f*) holding of general elections and bye-elections ;

(ii-*g*) nomination of persons as members of Gaon Panchayat;

(ii-*h*) grant of leave for absence to office bearers of Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat;

(ii-*i*) the carrying out of the duties of the [President and the the Vice-President] Pradhan and the Up-Pradhan in their absence for any cause,"

(२) खंड (vii) में शब्द "Gaon Sabhas" के स्थान पर "Gaon Panchayats" रख दिये जायं और निम्नलिखित एक नये खंड (vii-*a*) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(vii-*a*) periodical revision and amendment of Gaon Sabha and Gaon Panchayat registers ;

(३) खंड (x) में शब्द "Gaon Panchayat" और शब्द "from" के बीच में शब्द "or Nyaya Panchayat" रख दिये जायं।

(४) खंड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(xi) appointment, qualifications, supervision, dismissal, discharge, removal or other punishment and other matters relating to the conditions of service, leave, transfer, pay and privileges of the servants of the Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat and their rights of appeal" ;

(५) खंड (xii) में शब्द "Gaon Panchayat" और शब्द "if" के बीच में शब्द "and Nyaya Panchayat" रख दिये जायं

(६) खंड (xv) में शब्द "water hyacinth" और शब्द "on any" के बीच में "कामा" बढ़ा दिया जाय और उसके बाद शब्द "grass, weed or other wild growth" बढ़ा दिये जायं ;

(७) खंड (xvi) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (xvi-*a*) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(xvi-*a*) the carrying out of functions and duties of Gaon Panchayat as mentioned in sections 15 , 16 and 17" ;

(८) खंड (xvii) में शब्द "ear-making" और शब्द "fund" के बीच में शब्द 'of' रख दिया जाय ;

(९) खंड (xix) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (xix-*a*) के रूप में रख दिया जाय ;

"(xix-*a*) collection of State and other dues by Gaon Panchayats and remuneration to be paid therefor" ;

(१०) खंड (xxi) में शब्द "Gaon Panchayats" के बाद शब्द "and Nyaya Panchayats रख दिये जायं;

(११) खंड (*xxv*) के बाद निम्नांकित को नये खंड xxv-*a* [,] और (xxv-*b*) [और] (xxv-*c*) के रूप में बढ़ा दिये जाय :—

"(xxv-*a*) issue of commissions for examination of witnesses ;
[(xxv-*b*) institution of cases by ladies ;]
(xxv-*c*) institution of cases where a Sarpanch refuses to entertain" ;

(१२) खंड (xxxiii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(xxxiii) the prescribing and printing of forms and registers generally relating to any matter under this Act or rules made thereunder [,]" ;

(१३) खंड (xxvii) में शब्द "Gaon panchayats" और शब्द "and" के बीच में शब्द "Naya panchayats" रख दिये जायं;

(१४) खंड (xxxvii) में शब्द "Gaon Panchayats" और शब्द "and' के बीच के शब्द "and Nyaya panchayats" रख दिये जायं;

(१५) खंड (xxxix) में शब्द "Gaon Panchayat" के स्थान पर शब्द "Gaon Sabhas or Nyaya Panchay at" रख दिये जायं।

(१६) खंड (xlii), के बाद निम्नांकित को नये खंड (xliii), (xliv), (xlv), (xlvi) और (xlvii) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(xliii) assistance to be given by the Gaon Panchayat to Government servants on any matter affecting the general administration ;

(xliv) powers and duties of Sahayak Sarpanch and [Vice-President;] Up-Pradhan.

(xlv) borrowing and lending of money by Gaon Panchayats;

(xlvi) the matters which are to be and may be prescribe; and

(xlvii) any matter in respect of which power is conferred in section 111 on the prescribed authority to frame a bye-law for a Gaon Panchayat."

(२) मूल अधिनियम की धारा ११० में निम्नलिखित को नवीन उपधारा के रूप में बढ़ा दिया जायगा :--

"(3) All rules made under this Act shall be laid for not less than fourteen days before the State Legislature as soon as they are made, and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they are so laid."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ११२ का संशोधन।

८७--मूल अधिनियम की धारा ११२ में--

(१) खंड (*f*) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (*g*) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"(*g*) to regulate any other duties or functions of the Gaon Sabha as may be directed by the prescribed authority [;]" [and] तथा

(२) उपधारा (२) के अन्त के फुलस्टाप के स्थान पर एक कोलन रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"Provided that the State Government may at any time rescind or modify any bye-laws so approved,."

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ११४ का बढ़ाया जाना।

८८--मूल अधिनियम की धारा ११३ के बाद निम्नांकित को नयी धारा ११४ के रूप में बढ़ा दिया जाय--

Casual vacancies to be left unfilled in certain cases.

"114. Where a vacancy occurs on any body constituted under this Act by reason of the death, resignation, removal or avoidance of the election of a member or other office bearer and the term of office of that member or other office bearer would in the ordinary course of events have determined within six mon ths of the occurrence of the vacancy, the prescribed authority

may direct that the vacancy be left unfilled until the next general election under this Act."

[कठिनाई दूर करने का अधिकार।

८९—(१) राज्य सरकार किसी भी कठिनाई को, विशेषतयः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण से सम्बद्ध किसी भी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के आरम्भ होने के ठीक बाद के दो वर्ष के अन्तर्गत परिष्कारों, परिवर्द्धनों अथवा अकरणों के रूप में उन अनुकूलनों के अधीन जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे, प्रभावशाली हों,

(ख) सामान्यतया अथवा किसी विशेष गांव पंचायत अथवा उसके मेम्बर [अथवा] [प्रेसीडेंट या वाइस-प्रेसीडेंट] प्रधान या उप-प्रधान अथवा किसी न्याय पंचायत के या उसके पंच, सहायक सरपंच अथवा सरपंच के कार्यकाल को मूल अधिनियम में तत्संबंधी किसी विरोधी बात के होते हुये भी दो वर्ष से अधिक न होने वाली कालावधि के लिये बढ़ा सकती है अथवा उसे घटा सकती है।

(ग) अन्य ऐसे अस्थायी उपबन्ध, उपर्युक्त ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये, जो निर्दिष्ट की जाय, बना सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा इस अधिनियम के आरम्भ से दो वर्ष तक के लिये प्रभावी होगी।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

उद्देश्य और कारण

वर्तमान यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट विधान मंडल द्वारा १९४७ में पारित हुआ था और इसके अधीन संगठित ग्राम पंचायतों तथा पंचायती अदालतों ने १५ अगस्त, १९४९ से कार्य करना आरम्भ किया। यद्यपि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट की सामान्य योजना निर्विवाद सफल हुयी है तथापि अनुभव एवं विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी मार्गों से प्राप्त अनेक सुधारों और सुझावों के, जिसमें पंचायती अदालतों से सम्बद्ध माननीय हाई कोर्ट की बहुत सी नजीरें भी हैं, दृष्टिकोण से उक्त ऐक्ट में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतएव विधान मंडल के दोनों सदनों की एक समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया है और इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन उसी के अनुसार हैं।

विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से गांव पंचायत और न्याय पंचायत (जो पंचायती अदालत का अधिक अच्छा नया नाम समझा गया है) के गठन और निर्माण पर तथा उनके अधिकार एवं कृत्यों तथा कार्यकाल और न्याय पंचायत की न्यायपाठों के गठन और कार्य की रीति पर प्रभाव पड़ेगा। इनमें सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों को सम्पन्न करने के हेतु और इस प्रकार उपलब्ध महती जनसत्ता के उपयोग के निमित्त श्रमदान की भी व्यवस्था की गयी है।

पंचायत राज ऐक्ट को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, जिसके कारण उक्त ऐक्ट के कतिपय उपबन्ध निष्प्रभाव और असंगत हो गये हैं, के प्रवृत्त होने से उत्पन्न स्थिति के अनुकूल करने में इस अवसर का उपयोग किया गया है।

इसी आशय से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

मोहनलाल गौतम,
स्वायत्त शासन मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४ एल० ए० १९५४—८५०।